खण्ड-364, अंक-3
बुधवार, 26 माघ, शक संवत् 1905
(15 फरवरी, 1984 ई0)

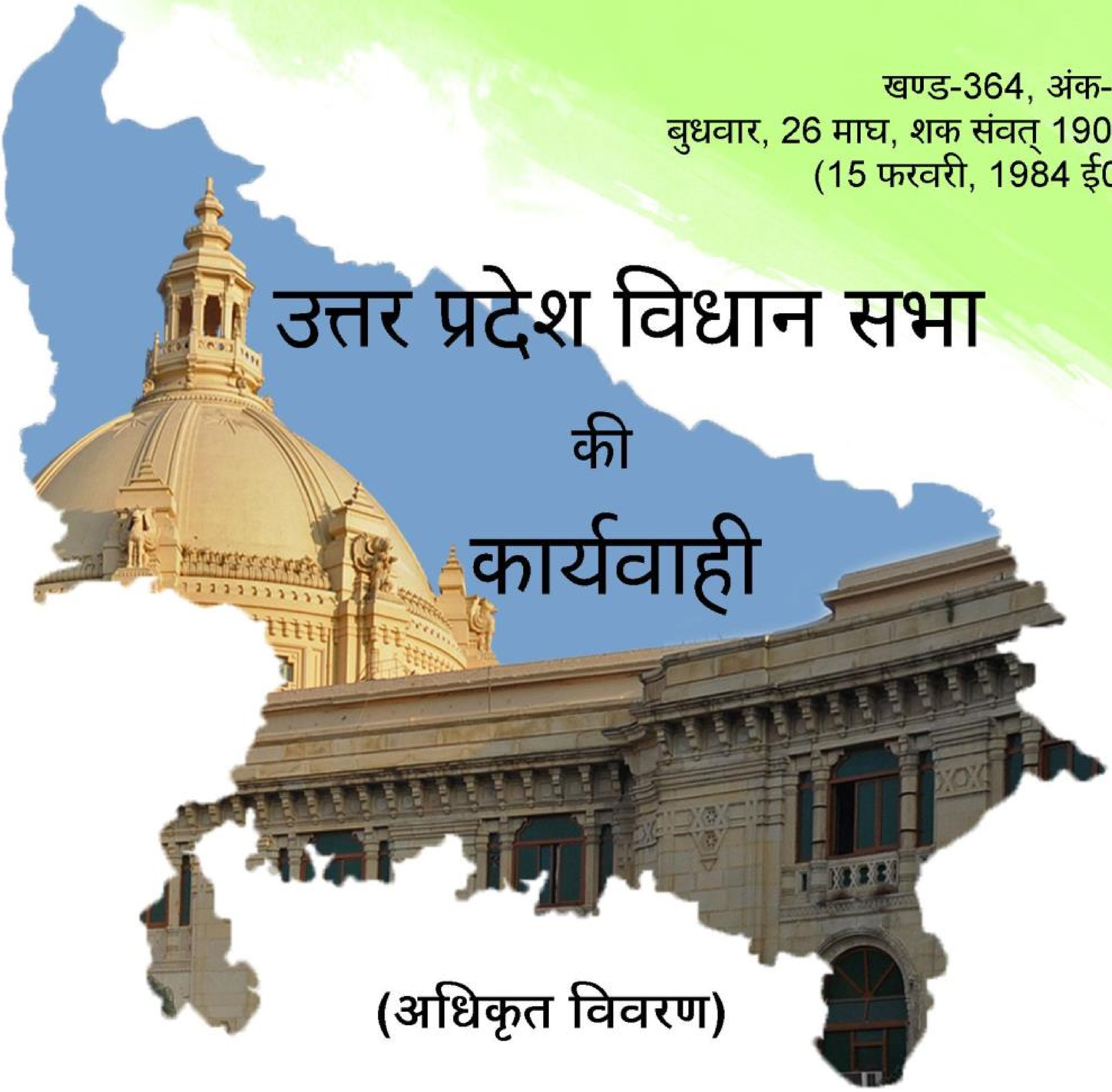

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 364 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	147–150
प्रश्नोत्तर	151–246
आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टाण्डा, जनपद फैजाबाद के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन व एरियर रुका होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	247
तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के कतिपय ग्रामों में गोमती नदी की कटान से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	248
सिसवा बाजार, गोरखपुर की महावीर शुगर मिल में लाखों कुन्टल गन्ना पड़ा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने का प्रयास	248
लखनऊ पालिटेक्निक की दीवार ढहने से हुई मजदूरों की मृत्यु तथा मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	249
सचिवालय रक्षकों की भर्ती में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	249
श्री दुखहरन निषाद, थाना महराजगंज, गोरखपुर के गायब होने तथा पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	250
स्व0 खूब सिंह, आई0 ए0 एस0, सहारनपुर के परिवार को जालन्धर पुलिस द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	250
लखनऊ में सरस्वती प्रतिमा विसर्जित करते समय गोमती नदी में तीन नावों के उलटने से 40 व्यक्तियों की मृत्यु तथा प्रशासन की लापरवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	251
महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी की अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	251–252
राजकीय जिला अस्पताल, मथुरा के स्टोर में आग लगने तथा दवाओं के जल जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	252
थाना भटनी, जिला देवरिया की पुलिस द्वारा श्री सुरेश गौड़ की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	252–253
प्रदेश में वृद्धावस्था पेन्शन के छः माह से न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	253

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद हरदोई के सण्डीला-गौसगंज-मोंहदी घाट मार्ग पर सई नदी में पुल के निर्माण में देरी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	253
श्रीमती ग्यान्ती देवी, पत्नी श्री सरजू, जनपद आजमगढ़ की ससुराल वालों द्वारा दहेज के कारण हत्या तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	254
आगरा जनपद की तहसील किरावली स्थित तेरहमीरी बांध रिजर्वायर योजना से किसानों को क्षति की संभावना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	254–255
आगरा जनपद की सदर तहसील की नहरों के सूखे रहने से किसानों की फसल को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	255
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानागंज में शारदा सहायक परियोजना नहर की शाखा के बार-बार कटने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	255
इटावा की बिधूना थाने की पुलिस द्वारा सत्यभान एवं रामपाल आदि को पीटे जाने की जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	256
जनपद इलाहाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् से संबंधित अध्यापकों के आमरण अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	256
जनपद गोण्डा में ओलावृष्टि से हुई क्षति तथा राहत कार्य न आरम्भ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	257
सदन में हुए श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री राज्यपाल के आचरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	257–262
दिनांक 27-1-84 को श्री राज्यपाल द्वारा सदन को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	263–270
जनपद फैजाबाद के टाण्डा कस्बे में हुए साम्प्रदायिक दंगे से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	270–271
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री मुहम्मद आजम खां के व्यवहार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	271–281
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	281
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक 1984 । (पुरः स्थगित किया गया)	281

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	282–288
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1984 (पुर:स्थगित किया गया)	288
कार्य-स्थगन प्रस्ताओं की सूचनाएं	288–301
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कार्य-सूची में दो सदस्यों के नाम छपे होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	301–304
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	304
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	304–305
वित्तीय वर्ष 1983-84 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	305
नत्थियां---	306–415

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 15 फरवरी, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 355

अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री — बरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्र जीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उमेश्वर प्रताप सिंह,, श्री — गोंडा
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राडस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैयालाल महेन्द्र, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपीनाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्द्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरीशंकर एडवोकेट श्री, — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 — बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री — बांदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चारु चन्द्र ओझा, श्री — पिथौरागढ़
चेतराम गगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी

छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री — मैनपुरी,
जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जयदीप सिंह बरार, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री — मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री — जालौन
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' श्री — फैजाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री — मेरठ
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजबहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री — मथुरा
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीनानाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन बन महन्थ, श्री — गोंडा
दुर्गाप्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धर्मपाल सिंह, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री — पिथौरागढ़

नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नाजिर अली, श्री — शाहजहाँपुर
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्मल खत्री, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री — मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर, श्री — रामपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलबीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह 'खुर्जेवाला', श्री — बुलन्दशहर
बृजकिशोर मिश्र, डाक्टर — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्मदत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी

भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूप सिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मशहूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान बहादुर श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र श्री	गोरखपुर
मित्रसेन श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रतीराम, श्री	बिजनौर
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पांडेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
रामआसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर	जौनपुर
रामगोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरुप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरुप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजावानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर

रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)	इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना श्री	आगरा
विद्या भूषण श्री	मुजफ्फरनगर
विद्यासागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
बिनोद कुमार तिवारी, डाक्टर	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्रामदास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिव पाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव मंगल सिंह श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह श्री	अलीगढ़
शिवानन्दन नौटियल, डा०	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नारायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद 'अरोज, श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराईच
सुमन लता, श्रीमती	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरुप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पांडेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरी शंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट—नगर विकास एवं आवास राज्य मंत्री, श्री अरुण कुमार सिंह, पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री राम सजीवन सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 15 फरवरी, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शारदा सहायक नहर में सीपेज समस्या के सम्बन्ध में हंग्री की फर्म से वार्ता तथा समस्या के निराकरण हेतु योजना

**1—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक सीपेज की समस्या के निराकरण हेतु माह अक्तूबर, 1983 में समाजवादी सरकार हंग्री के प्रतिनिधि मण्डल से कोई वार्ता हुई है? यदि हां, तो उनके तकनीकी तथा रबर लाइनिंग लगाने के प्रश्न पर मुख्य-मुख्य सुझाव क्या हैं? इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

माह अक्तूबर, 1983 में हंग्री की टारिस डब्लू0 फर्म के प्रतिनिधि से शारदा सहायक सीपेज की समस्या के निराकरण हेतु वार्ता हुई थी। हन्ग्री की समाजवादी सरकार के प्रतिनिधि से कोई वार्ता नहीं हुई।

उपरोक्त फर्म ने लाइनिंग के लिए नहर की तली और बैंकों पर वाटर प्रूफ रबर-शीट लगाने का प्रस्ताव रक्खा था। फर्म के प्रतिनिधि ने स्थल को देखकर परामर्श दिया कि शारदा सहायक में भूगर्भ जलस्तर नहर की तली के स्तर से ऊंचा हो जाता है, अतः रबर शीट लगाना उपयोगी नहीं होगा।

श्री मित्र सेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब रबर शीट लगाने का प्रस्ताव उपयोगी नहीं माना गया तो क्या हमारी सरकार ने और हन्ग्री की टारिस डब्लू0 फर्म के प्रतिनिधि के मध्य दूसरे विकल्प पर विचार विमर्श किया गया? क्या उन्होंने कोई दूसरा इसका विकल्प बताया? सीपेज की समस्या को देखते हुए उसके निराकरण के लिए कौन सा विकल्प सोचा गया है? जो वहां के प्रतिनिधि आये थे उन्होंने दूसरा क्या विकल्प बताया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह एक फर्म है जिसके स्पेशलिस्ट आये थे। जब उन्होंने मौके पर देखा और वहां पर गये तो उन्होंने कहा कि यहां पर भूगर्भ जलस्तर नहर की तली के स्तर से ऊंचा हो जाता है, इसलिए रबर शीट यहां पर लगाना उपयोगी न होगा। अगर जल स्तर नहर की तली से नीचा रहता तो यह संभव था। उन्होंने अपनी कोई दूसरी राय नहीं दी, लेकिन हमारे सिंचाई विभाग के टेकनिकल लोगों का विचार है कि ड्रेन बनायी जायें, जल स्तर को नीचा करने के लिए नलकूप लगाये जायें और वन लगाये जायें। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। इससे सीपेज बन्द की जा सकती है।

श्री उदल–

माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रायबरेली तथा बाराबंकी में जो शारदा सहायक की नहर और गाजियाबाद की जो डबल शाखा निकली है उससे करीब एक लाख एकड़ की जमीन बारहों महीने सीपेज से डूबी रहती है और आये दिन उस सम्बन्ध में आन्दोलन भी होते रहते हैं और माननीय मंत्री जी को उन्हें फेस भी करना पड़ता है तो क्या सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कोई योजना बनायी है या बनाने जा रहे हैं जिससे सीपेज की समस्या समाप्त हो जाये?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सीपेज से 45 हजार एकड़ जमीन का नुकसान होता है। 18 हजार 6 सौ हेक्टेयर जमीन में से 12 हजार 600 हेक्टेयर जमीन में ड्रेन बना दी गयी है और वहां पर सीपेज की समस्या समाप्त हो गयी है लेकिन शेष में अभी बाकी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी बना दी जाय। और हाटल ड्रेन बनायी जायं तो 30 करोड़ रुपये व्यय होगा और यदि नलकूप लगाये जायं तो कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने की सम्भावना है। मान्यवर, अगर धन उपलब्ध हो जाता है तो उसको कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि कैसे यह सीपेज की समस्या दूर हो।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में कहा है उसके सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा भूगर्भ जलस्तर नहर की तली के स्तर से ऊंचा हो गया है इसलिए यह नहीं हो सकता। सिंचाई विभाग के लोगों ने बताया कि उसमें पेड़ आदि लगाये जायं। तो मैं निश्चित रूप से यह पूछना चाहता हूं कि शासन किस ठोस नतीजे पर पहुंचा है इस सीपेज की समस्या को दूर करने के लिये। दूसरी बात यह है कि आप जो भी योजना बना रहे हैं उसे कब तक आप कार्य रूप में परिणत कर देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि जो काम जल्दी हो सकता है उसे हम करेंगे। लेकिन जब धन की कमी हो जाती है तो जो हम करना चाहते हैं उसे भी नहीं कर पाते। फिर भी जो सुविधा हम जल्दी दे सकते हैं, ड्रेन बना सकते हैं और काम कर सकते हैं, उसे हम कर रहे हैं। काफी काम कर भी चुके हैं। 780 किलोमीटर तक उसमें ऐसा है कि जिसमें 12 करोड़ रुपया लगेगा। पैसा उपलब्ध होने पर हम इसे पूरा कर देंगे।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने सीपेज के बारे में विस्तार से बताया सदन उसका आभारी है, लेकिन सीपेज की समस्या इस समय प्रदेश में इतनी भीषण समस्या बन गयी है कि और सारी समस्यायें उसके सामने गौण बन गयी हैं। मैं माननीय जी से पूछना चाहता हूं कि जो भी खर्चे का अनुमान आपने बताया है, क्या अपने नहर विभाग में और योजनाओं को रोक कर इस सीपेज की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर युद्धस्तर पर काम शुरू करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, और योजनाओं को रोकना सम्भव नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके लिये ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे क्षेत्र को तो मैंने नहीं देखा लेकिन सीतापुर और लखीमपुर जनपद का वह इलाका जो सीपेज से प्रभावित है, उसे मैंने स्वयं जाकर देखा है और उस सम्बन्ध में नयी जानकारी के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि सीतापुर में कहीं भी कोई ड्रेन नहीं बनायी गयी है। हो सकता है यह दुर्भाग्यशाली इलाका हो। मैं बताना चाहता हूं कि ड्रेन वहां बनायी जायं और जहां वाटर लेबुल बहुत ऊंचा हो, ड्रेन सफल न हो पायें वहां के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है? दूसरी बात यह है कि अनेक वर्षों से सीपेज की वजह से काश्तकार भुखमरी के कगार पर हैं, एक भी अन्न का दाना पैदा नहीं हो पा रहा है तो क्या इस बात पर शासन विचार करने की कृपा करेगा कि जब तक सरकार अपनी ओर से जमीन को कृषि योग्य बनाकर वापस नहीं कर देती है तब तक उस जमीन को अस्थायी रूप से एक्वायर समझकर फसल का पूरा मुआवजा उन काश्तकारों को देने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा, मैं सीतापुर गया था, माननीय मुख्तार अनीस भी थे। उन्होंने देखा कि कुछ ड्रेनें बनी हैं और काम भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनी हैं और काम नहीं कर रही हैं। लेकिन जितना काम होना चाहिए था, कुछ काम अभी बाकी है, उसे हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग प्रभावित हैं जो सीपेज से तबाह हो गये हैं उनको कंपेंसेशन की क्या व्यवस्था हो सकती है उसके लिए मैं आज ही, जब मैं इस सवाल को देख रहा था, मैंने कहा कि उसके लिए एक कमेटी सिंचाई विभाग और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों की बनायी जाय और बैठ कर निर्णय लें। उसमें टेकनिकल भी हों और राजस्व विभाग के आफिसर भी हों और देखा जाय कि क्या क्या रिलीफ दे सकते हैं और जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं। इस सबको देखने के लिए कमेटी बनाई जाय जो तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दे ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके।

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात के लिए तैयार हैं कि जो कमेटी बना रहे हैं उसमें इस आदरणीय सदन के सदस्यों को मनोनीत करने पर विचार करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अभी तो देखना है कि क्या हो सकता है, अभी तो हमें यह देखना है कि हम क्या कर सकते हैं उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो विचार किया जा सकता है।

श्री राम कुमार भार्गव–

मान्यवर, वहां पर भुखमरी की नौबत आ रही है। माननीय मंत्री जी चाहें तो जहां पर सिंचाई का दो पैसा लेते हैं वहां भले ही 10 पैसा ले लें लेकिन हमारे यहां जो लोग प्रभावित हैं उनसे सारी वसूली बैंकों आदि की स्थगित करा दें और जो मुआवजा है उसे शीघ्र दिला दें?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, कमेटी बैठ रही है वह सारी बातों को देखेगी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कमेटी कैसे सारी बातों को देखेगी उसमें तो समय लगेगा हमारे सीतापुर और लखीमपुर में भुखमरी की स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि मुआवजा के बारे में साफ बता दें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम सागर–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सीपेज को प्लास्टिक की शीट लगा कर समाप्त किया जा सकता है लेकिन जलस्तर ऊपर आ रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जल स्तर समान रहे और वह बढ़े न इसके लिए क्या उपाय वह कर रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इसके लिए एक ही रास्ता है कि उस क्षेत्र में नलकूप काफी मात्रा में लगाये जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वह कैसे लगेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नलकूप जब लगाये जाते हैं तो वाटर लेवल नीचे होता है आप देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र के लोग जहां गंगा और यमुना नहरें हैं स्वयं के नलकूप लगाये हुए हैं, गवर्नमेन्ट के भी लगे हैं इससे यह समस्या नहीं पैदा होती है। जहां नहरें हैं वहां नलकूप भी लगाना आवश्यक है वह निजी और सरकारी दोनों हो सकते हैं।

श्री मित्र सेन–

माननीय मंत्री जी अपने उत्तर से स्वयं संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा इस समस्या का निराकरण करने के कई माध्यम हैं जैसे पेड़ लगा कर या नालियां निकाल कर और कहा कि ड्रेनेज बनाई जा रही है। जैसा माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा इससे सीपेज खतम नहीं किया जा सकता है। दूसरा फैजाबाद में शारदा सहायक नहर जो जाती है उसके किनारे जो गांव बसे हैं उनके घरों में पानी चलता रहता है और लोग चूल्हा नहीं जला पाते हैं।

मान्यवर, स्थिति यह है कि लोगों से लगान और सिंचाई दोनों ही ली जाती है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन सीपेज से प्रभावित है उनको क्षतिपूर्ति के बारे में, लगान वसूली के बारे में और सीपेज के निराकरण की कोई वैज्ञानिक ढंग से योजना लागू करने की क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है तो यह बात सही नहीं है कि ड्रेन से कोई फायदा नहीं है, ड्रेन से जो फायदा हम उठा सकते हैं वह उठायेंगे और यदि ड्रेन से फायदा नहीं होता है तो उसका आल्टरनेटिव तलाश करेंगे और इसलिए मैंने कहा है कि जो इक्सपर्टस इंजीनियर हैं उनकी हम कमेटी बना रहे हैं और वह देखेंगे कि इसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है।

जहां तक सिंचाई दर लेने की बात है तो आदेश दे रखे हैं कि जो एरिया सीपेज से प्रभावित है वहां सिंचाई दर वसूल न की जाय, यदि दर लिख भी दी जाती है तो भी वसूल न की जाये चूंकि पैदावार नहीं होती है। लगान के बारे में रेवेन्यू विभाग से हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या रास्ता हो सकता है, इसलिये विचार इस पर हो रहा है।

फैजाबाद के भिक्षुक गृह में भिक्षुकों की मृत्यु की जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

**2—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद के भिक्षुक गृह में दिसम्बर, 83/जनवरी, 84 में हुई मृत्यु की कोई जांच करायी गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां। निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मामले की जांच जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट फैजाबाद द्वारा की गई एवं आयुक्त, फैजाबाद मण्डल के आदेश पर जांच सहायक निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, फैजाबाद द्वारा की गयी। दोनों रिपोर्टों का मूलतः यह परिणाम है कि दिनांक 13 दिसम्बर, 1983 को दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रेषित भिक्षुओं में से 24 भिक्षुकों की हालत संस्था के अंशकालिक डाक्टर के अनुसार गम्भीर थी और फलस्वरूप डाक्टर ने यह राय दी थी, कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाय। परन्तु इस राय के आधार पर संस्था के अधीक्षक एवं कम्पाउन्डर ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के विपरीत इन भिक्षुकों को अपनी संस्था में रखे रहे और अस्पताल में भर्ती नहीं कराया।

अधीक्षक की अनुपस्थिति में संस्था के वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं वरिष्ठ लिपिक जो उनके कार्य को सम्पादित कर रहे थे लेकिन उन्होंने भी इन भिक्षुकों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया।

कार्य के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में नगर मजिस्ट्रेट फैजाबाद की जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए संस्था के चार कर्मचारियों अधीक्षक, कम्पाउन्डर, वरिष्ठ प्रशिक्षक, तथा वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध धारा 304/201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया और उन्हें 1 जनवरी, 1984 को हिरासत में ले लिया गया तत्पश्चात् उन्हें निलंबित कर दिया गया।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुल कितने भिक्षुक मरे हैं। दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दिल्ली से भेजे गये थे भिक्षुक तो उनकी उस समय डाक्टरी हुई थी कि नहीं, क्या उस समय वह बीमार तो नहीं भेजे गये थे।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इसका उत्तर है कि 9 संवासियों की मृत्यु हुई, जिनके नाम मान्यवर, यदि आप कहें तो मैं पढ़ दूं।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दें क्योंकि मंत्री जी नाम पढ़कर बेकार में समय खराब करती हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैंने कहा कहिए तो नाम भी बता दूं, 9 की मृत्यु हो गई, एक प्रश्न का यह उत्तर है। दूसरे प्रश्न का यह उत्तर है कि जब यह लोग दिल्ली से यहां पर लखनऊ में आए तो यहां पर इनकी डाक्टरी जांच की गयी थी और उस जांच में 24 संवासियों की हालत गम्भीर पायी गयी थी और वे लोग ब्रांकाइटिस, माल-न्यूट्रेशन और एनीमिया आदि गम्भीर बीमारियों से पीड़ित थे।

श्री पंचानन राय–

श्रीमन्, आप इसको स्थगित करवा दीजिए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है। यू0पी0 में भेजने से पहले उनकी वहां पर कोई डाक्टरी हुई थी या नहीं? यहां तो डाक्टरी हुई और यहीं की डाक्टरी रिपोर्ट पर यह मान लिया गया कि यह वहां से ही बीमार आए थे।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दिल्ली में यहां भेजने से पूर्व उनकी डाक्टरी हुई या नहीं, इसकी सूचना मंगवाई जाएगी। इसके लिए आप अलग से सूचना पूछें यह सही है कि अपने यहां हमने जांच की थी तो 24 लोगों को गम्भीर रूप से बीमार पाया गया था।

श्री पंचानन राय–

श्रीमन्, इनका जो भिक्षुक गृह है, उसमें स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाता है, तो क्या यह सही है कि वहां की सीलन के कारण वह बीमार पड़े थे और यह बहाना बनाया जा रहा है कि वह वहीं से बीमार आए थे? तो क्या मंत्री जी प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराकर सीलन को दूर कराने की व्यवस्था करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यहां पर यह लोग 13 ता0 को आए हैं और 14 को उनकी डाक्टरी हो गयी। यह मैं नहीं कहती कि सीलन नहीं है, लेकिन ऐसी नहीं है कि इतनी जल्दी इतने गम्भीर रूप से बीमार हो जायं और फिर यह लोग तो क्रानिक ब्रांकाइटिस और अन्य क्रानिक बीमारियों के मरीज थे। माल न्यूट्रेशन एक दिन में नहीं होता है, सालों में होता है। फिर भी हम सीलन के संबंध में तुरन्त ही कार्यवाही करेंगे और सीलन को हटाने और वहां स्वस्थ वातावरण बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा उन्होंने कहा, वहां पर उनका दोष है, तो वहां पर इसके लिए एफ0आई0आर0 लाज करा दी गयी है, निलम्बित भी कर दिए गये हैं और इस समय जेल में हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जलधारी देवी संस्कृत महाविद्यालय ग्राम नूनखार, थाना खुखुन्दू देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा आहरित छात्रवृत्ति की धनराशि की रिपोर्ट पर जांच

*1–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पोस्ट नूनखार, थाना खुखुन्दू, देवरिया के जलधारी देवी संस्कृत महाविद्यालय द्वारा हाई स्कूल के छात्र, छात्राओं के नाम पर 1981-82, 1982-83 के अन्दर एक लाख चौबीस हजार के लगभग धन प्रधानाचार्य द्वारा निकाले जाने के विषय पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

ग्राम व पोस्ट नूनखार, थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया के जलधारी देवी संस्कृत महाविद्यालय द्वारा वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 (न कि वर्ष 1981-82 व 1982-83) की अवधि में प्रधानाचार्य द्वारा आहरित की गयी धनराशि रुपये 1,24,400/– के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है और पुलिस द्वारा विवेचना अभी चल रही है।

श्री एन0एन0 शर्मा, सहायक निदेशक द्वारा तथा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया द्वारा उक्त संस्था के किये गये जांच एवं निरीक्षण की आख्या की †प्रति संलग्न है। उक्त जांच आख्या के फलस्वरूप जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध अनुशासनिक जांच कार्यवाही की जा रही है और उन्हें इसके दौरान निलम्बित कर दिया गया है। जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध भी प्रशासकीय कार्यवाही करके उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। संस्था के प्रधानाचार्य के विरुद्ध दायर "प्रथम सूचना रिपोर्ट" पर विवेचना पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है और उसके पूर्ण होने पर ही यदि आवश्यक हुई तो अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मैं आपके माध्यम से माननीया शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस उत्तर से संलग्न जो गोपनीय पत्रावली है और उसमें जो जांच रिपोर्ट है उसे पढ़ने की कृपा करें.

श्री अध्यक्ष–

वह कैसे पढ़ी जा सकती है? आप कृपया प्रश्न करें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मेरे पास है, मैं पढ़े देता हूं। यह इस प्रकार है–जलधारी देवी संस्कृत महाविद्यालय नूनखार, देवरिया नामक फर्जी संस्था को लगभग 1,22,400 रुपये की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में स्वीकृत करने के लिये श्री एन0 के0 धूसिया जिला हरिजन

†छापी नहीं गयी

एवं समाज कल्याण अधिकारी देवरिया, श्री राय वृक्ष वरिष्ठ लिपिक, श्री सुदामा प्रसाद वरिष्ठ लिपिक तथा लल्लन प्रसाद कनिष्ठ लिपिक दोषी हैं . . . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

शिकायतकर्ता श्री आनन्द प्रकाश त्रिपाठी के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी देवरिया को दिए गये बयान जिनकी पुष्टि उनके कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री केशव प्रसाद ने की है, से स्पष्ट है कि . . . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जांच निष्कर्ष में जब सारे तथ्य उजागर हो गये हैं तो केवल कनिष्ठ कर्मचारियों को ही दंडित क्यों किया गया है? जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको निलम्बित न किये जाने तथा उनके खिलाफ कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जायेगा किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा, जिसने कसूर किया है उसे अवश्य दंड दिया जायेगा । (व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, माननीय गुलाब सेहरा जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी वहां गये थे और वहां काफी अपना दबाव इस बात पर डाला कि कुछ जो दोषी लोग हैं अगर वे कांग्रेस में आ जायें तो उनको माफ कर दिया जायेगा. . . . (व्यवधान) । इसमें 1 लाख 24 हजार रुपया गबन किया गया है। यह जो इतना रुपया निकाला गया वह प्रिन्सिपल और जिला हरिजन अधिकारी की राय से निकाला गया। माननीय सेहरा जी ने दबाव डाला कि उनके भाई बन्धु प्रसाद जी अगर कांग्रेस में आ जायें तो उन्हें माफ कर दिया जायेगा। इस कारण से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इनको क्यों छोड़ दिया गया ?

मान्यवर, इसमें 20 हजार रुपया श्री एन0 एन0 शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर तथा वर्मा ने 10 हजार रुपया लिया और गोलमाल जवाब दे दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो रुपया लिया गया वह तो ले ही लिया गया लेकिन क्या जो सही एफ0आई0आर0 की स्थिति बनती है उस पर कार्यवाही करेंगे और धूसिया साहब को, शर्मा जी को तथा सुपरवाइजर को गिरफ्तार कराने की कोई कार्यवाही करेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है माननीय सदस्य ने जो अभी फरमाया, जो आरोप लगाये हैं वह निराधार है।

(शोर)

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

इसी बात के ऊपर यह इस्तीफा दे दें। (शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मुझे मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको आदेश देता हूं कि आप पूरे तरीके से इस मामले की पूरी जांच करेंगी और लखनऊ से किसी उच्च अधिकारी को भेजकर इस मामले की जांच करायेंगी और जो जांच का सारांश है माननीय सदस्य को भेजेंगी।

(मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जैसी आपकी आज्ञा।

श्री महादेव अग्रवाल बेसिक प्राइमरी पाठशाला, कालपी, जालौन के अध्यापकों को वेतन भुगतान

*2–श्री शंकर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री महादेव अग्रवाल बेसिक प्राइमरी पाठशाला, कालपी, जनपद जालौन में अध्यापकों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों? इस विलम्ब का क्या कारण है और अध्यापकों को कब तक वेतन दे दिया जावेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। महादेव अग्रवाल बेसिक प्राइमरी पाठशाला, कालपी, जनपद जालौन में कार्यरत अध्यापकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु हरिजन सहायक विभाग द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के अन्तर्गत मार्च, 1982 से फरवरी, 1983 तक के लिए कुल 26,476 रु0 की स्वीकृति मण्डलीय उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, झांसी द्वारा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी जालौन को भेजी गयी किन्तु संस्था एवं जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी जालौन ने मिलकर शिक्षा विभाग के वर्तमान वेतनमानों के अनुसार वेतन का भुगतान जो फरवरी, 1983 तक के लिए स्वीकृत था, नवम्बर, 1982 तक ही में अध्यापकों को कर दिया गया जिसे नियमानुसार नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार चार माह के वेतन का भुगतान जो बकाया कहा जा रहा है वह वास्तव में बकाया नहीं है। अतः बकाया वेतन कब तक दे दिया जायेगा इसका प्रश्न ही नही होता है।

प्रगति आश्रम स्कूल बालागंज, लखनऊ के लेखाकार श्री मोहन नायर के सम्बन्ध में दिया गया ज्ञापन

*3–श्री मोहन सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 91 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञापन किन-किन दिनांकों को प्राप्त हुए थे, जांच अधिकारी द्वारा जांच कब प्रारम्भ की गयी तथा जांच आख्या कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सन्दर्भित ज्ञापन दिनांक 6-8-82 व 10-8-82 निदेशक हरिजन समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में क्रमशः दिनांक 6-8-82 व 11-8-82 को प्राप्त हुए थे।

जांच अभी जारी है। अग्रेतर कार्यवाही जांचोपरान्त, यदि आवश्यक हुई, सम्भव होगी।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, एक तो मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा, माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा समाज कल्याण मंत्री को, कुछ उनको अभ्यास है कि वह जो मूल प्रश्न है उसका मूल उत्तर कभी सही नहीं देती हैं। मैंने साफ-साफ पूछा है कि किन-किन तारीखों को ज्ञापन मिला और जांच अधिकारी द्वारा जांच कब प्रारम्भ की गयी ? इनको ज्ञापन जो मिला उसकी तिथि का उत्तर दे दिया लेकिन जांच किस तिथि से प्रारम्भ की गयी इसका उत्तर नहीं दिया। जब तक आप इसका उत्तर नहीं देती हैं तब तक मैं प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं हूं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जांच 7 सितम्बर, 83 को श्री एन0 एन0 शर्मा को दी गयी और उसी दिन से उन्होंने जांच प्रारम्भ कर दी।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह अफसोस की बात है कि अनुदान का फर्जी तरीके से कुछ निहित स्वार्थी तत्व भक्षण अनन्त काल से करते चले आ रहे हैं। प्रश्न पूछने पर लीपापोती कर दी जाती है। इस संबंध में हमारा जो अतारांकित प्रश्न था उसका उत्तर 7-8-83 को इसी सदन में दिया गया। इनको ज्ञापन 10-8-82 को मिला, डेढ़ वर्ष पहले, और इस आदरणीय सदन में 7-9-83 को मेरा प्रश्न न लगा होता तो संभव है कि जांच का आदेश न दिया जाता। जांच की तिथि वही है जिस दिन मेरा प्रश्न लगा था। तो एक वर्ष तक इस ज्ञापन, शिकायत पर परदा पड़ा रहा। अब आपने आज से 7 महीने पहले आदेश दिया। मान्यवर, इनके दल में विद्रोह हो गया है, ये जाने वाली हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच मुश्किल से 30 किलोमीटर दूरी पर होनी है, जहां पर वह संस्था है। वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपका निदेशालय है, डेढ़ वर्ष हो रहा है, जांच नहीं हो पा रही है। मैं यह माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि कितनी अवधि में आप जांच पूरी करा लेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, शीघ्रातिशीघ्र जांच पूरी करा ली जायगी।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, सरकारी धन को कुछ लोग लूटने में लगे हुए हैं, डेढ़ वर्ष में भी इनका शीघ्रातिशीघ्र नहीं पूरा हुआ। मान्यवर, 1982 की शिकायतें हैं, आज दो वर्ष होने जा रहा है, लेकिन दो वर्ष भी इनका शीघ्रातिशीघ्र पूरा नहीं हुआ। मैं मान्यवर, यह स्पष्ट आश्वासन माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि कितने समय में इनका शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, नियमानुसार जितनी जल्दी हो सकेगा, जांच करा ली जायगी ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, 1982 में शिकायत हुई, जांच का आदेश उस तारीख को हुआ, जिस दिन मेरा प्रश्न लगा । मान्यवर, सितम्बर, 1983 में तो इन्होंने जांच के आदेश कर दिये, जिस दिन मेरा प्रश्न यहां पर लगने वाला था, मान्यवर, आज की तारीख तक उस मामले में कोई जांच की कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए मान्यवर, मैं साफ तौर से चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी स्पष्ट तारीख बतावें कि कब तक जांच पूरी करा लेंगी ? मान्यवर, शीघ्रातिशीघ्र तो एक टरकाऊ बात है, वह टलती रहेगी । इन्होंने जांच आदेश करके इतिश्री समझ लिया और यह समझा कि अब हम दूसरा प्रश्न नहीं करने वाले हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, भ्रष्टाचार निवारण के बारे में जितना विपक्ष के लोग और माननीय मोहन सिंह जी चिंतित हैं, हम लोग उनसे और भी अधिक चिंतित हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम अधिक सेवा हरिजनों और गरीबों की करें । इसमें जितना भी भ्रष्टाचार है, उसको शीघ्रातिशीघ्र उन्मूलन करने के लिए कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं आरोप करना चाहता हूं कि माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री अपने विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही हैं। धन का अपवंचन कर लिया गया है । अध्यापकों का उत्पीड़न हो रहा है । वह सड़क पर घूम रहे हैं । वहां पर आडिट रिपोर्ट आ चुकी है । पैसे का गबन हुआ है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए मैं विशेषाधिकार हनन की नोटिस दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इस पर विचार कर लें कि क्या 6 महीने में जांच समाप्त हो सकेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, आपकी आज्ञानुसार पूरे तरीके से प्रयास किया जायगा कि 6 महीने में जांच समाप्त हो जाय ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, 6 महीने तक न ये रहने वाली हैं और न हम रहने वाले हैं ।

करछना तहसील, जनपद इलाहाबाद में सिंचाई सुविधाओं की मांग

*4–श्री रेवती रमण सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि करछना तहसील, जनपद इलाहाबाद में लिफ्ट नहर होने के कारण किसान को पानी सिंचाई के लिए नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो वहां ट्यूबवेल लगवाकर सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । करछना तहसील में एक मध्यम पम्प नहर (टोंस पम्प नहर) तथा चार छोटी लिफ्ट नहरों (पालपुर, बीकर, धरवारा एवं अरई) द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तथा कृषकों को पानी समय से उपलब्ध कराया जाता है।

करछना तहसील के जिस क्षेत्र में लिफ्ट नहरों से सिंचाई संभव नहीं हो पाती थी उस क्षेत्र में 153 नलकूप लगाकर सिंचाई सुविधा दे दी गयी है जिसमें से 129 नलकूप क्रियाशील हैं । 24 को अगली खरीफ तक क्रियाशील किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मन्त्री जी को समय नहीं मिल पाता है, इनके पास दो-दो विभाग हैं। बड़े व्यस्त मन्त्री हैं और दिल्ली भी जाना पड़ता है। मैं यह चाहूंगा कि कम से कम मन्त्री जी जवाब सही दिया करें । मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने एकड़ सिंचाई होती है क्या मन्त्री जी बता पायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रेवती रमण सिंह जी भी मन्त्री रह चुके हैं पता नहीं इस समय भूल गये हैं। जो सूचना आयी है, उसमें टोंस पम्प नहर है, 4 छोटी पम्प नहर हैं, 153 राजकीय नलकूप हैं और एक नया नलकूप बनाया जा रहा है । टोंस पम्प से 480 क्यूसेक पानी मिल रहा है । जमुना पम्प कैनाल से भी पानी दिया जा रहा है, बेलन से भी यह पानी देते हैं । सब मिलाकर 890 क्यूसेक पानी करछना तहसील को दिया जा रहा है । 24 नलकूप ऐसे हैं जो अधूरे हैं इनको जल्दी ही पूरा किया जायेगा, एक नया नलकूप लगाया जा रहा है। इससे रेवती रमण जी की चिन्ता दूर हो जायेगी ।

श्री रेवती रमण सिंह–

क्या मेरी जानकारी को सही मानकर माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे, और जांच ही नहीं उसे सदन में रखेंगे कि पिछले डेढ़ महीने से करछना तहसील में एक भी बूंद पानी नहीं दिया गया । यह कह कर कि नहरों की सफाई कराई जा रही है । रबी की फसल खड़ी है, फसल सूख रही है । लेकिन पानी न देकर नहरों की सफाई कराई जा रही है, क्योंकि लाखों रुपया इधर से उधर अधिकारियों को करना है । मैं चाहूंगा कि मेरी जानकारी को सही मानकर किसी को भेजकर पता लगवा लें कि डेढ़ महीने से एक बूंद पानी नहीं मिला है ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

पिछले डेढ़ महीने का तो पता नहीं है लेकिन 82-83 की रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें खरीफ में 12 हजार 427 हेक्टेयर और रबी में 34 हजार 434 हेक्टेयर की सिंचाई हुई है । डेढ़ महीने की जांच मैं करा लूंगा ।

मेसर्स लक्ष्मी कत्था फैक्ट्री, नजीबाबाद पर पंजाब नेशनल बैंक की बकाया धनराशि

*5—श्री खैरुल बशर—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी कत्था फैक्ट्री, नजीबाबाद पर पंजाब नेशनल बैंक का सत्तावन लाख, बनारस स्टेट बैंक का सात लाख, सरकारी बकाया, 6 लाख, बिजली का बकाया 70 लाख रुपया है, जिसके कारण फैक्ट्री की तालाबन्दी की गयी है ? यदि हां, तो सरकार को इस परिस्थिति में इस संस्थान का अधिग्रहण करने में कौन सी बाधा है ? क्या सरकार इसका अधिग्रहण करके इस संस्थान के मजदूरों को फैक्ट्री चालू करके मजदूरों की रोजी बहाल करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मेसर्स लक्ष्मी कत्था फैक्ट्री, नजीबाबाद पर पंजाब नेशनल बैंक का 57.27 तथा बनारस स्टेट बैंक का रु0 4.67 लाख बकाया है । इसके अतिरिक्त सेंट्रल एक्साइज, वन विभाग, सेल्स टैक्स तथा विद्युत आदि का लगभग 6 लाख रु0 बकाया है । यह इकाई जनवरी, 1983 से पूर्णतया बन्द है तथा पंजाब नेशनल बैंक ने इकाई के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कर रखा है जो न्यायालय के विचाराधीन है । न्यायालय द्वारा इकाई में एक रिसीवर की नियुक्ति करा दी गई है ।

इकाई के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि नजीबाबाद लक्ष्मी कत्था फैक्ट्री कई महीने से बन्द है और सरकार का लगभग एक करोड़ रुपया बाकी है । वह फैक्ट्री बन्द है और फैक्ट्री मालिक दूसरी जगह फैक्ट्री बनवा रहा है। तो जब वह रुपया ट्रान्सफर हो जाएगा तो सरकार तो कुछ कर नहीं पाएगी । एक हजार मजदूर बेकार पड़े हैं । प्रोडेक्शन का लास हो रहा है तो सरकार को उस फैक्ट्री को अधिग्रहण करने में क्या आपत्ति है ? क्या सरकार इसमें सक्षम नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह केस न्यायालय में पंजाब नेशनल बैंक ने कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ कार्यवाही की है कि पंजाब नेशनल बैंक का पैसा इन्होंने अदा नहीं किया है और जो इन्होंने फैक्ट्री को लिया था और जाने क्या-क्या किया था बिना परमीशन के, इस पर इन्होंने कोर्ट में केस दायर किया था । जब तक इसमें कोई केस दायर नहीं हो जाता तब तक सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कोर्ट में आपने मुकदमा दायर कर दिया, मेरा प्रश्न है कि उस फैक्ट्री को अधिग्रहण करने में क्या परेशानी है जबकि सरकारी बकाया है जिसके कारण फैक्ट्री की तालाबन्दी की गयी है । उन्होंने न तो अपने धन के लिए मुकदमा दायर किया है । शासन को उस मिल को टेकओवर करने में क्या परेशानी हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जो पैसा इसमें लगा है वह 76 लाख 8 हजार रुपया है जो इसमें बाकी है। जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, मंडी समिति सबका है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक ने केस दायर किया है इस बारे में जब तक कुछ नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं किया जा सकता।

बुधवार, 15 फरवरी, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले की बिसवां एवं महमूदाबाद तहसीलों में बाढ़ से क्षति को रोकने हेतु योजनायें

*1–श्री मुख्तार अनीस–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीतापुर जिले की बिसवां एवं महमूदाबाद तहसीलों में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण करोड़ों रु0 की क्षति होती है? यदि हां, तो इस सम्पूर्ण क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए सिंचाई विभाग के विचाराधीन क्या कुछ योजना है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

बाढ़ से क्षति रोकने के लिए सिंचाई विभाग के विचाराधीन निम्न योजनायें हैं–

1–कतरनियां घाट पर रेलवे लाइन के घाघरा नदी के दायें तट व शारदा नदी के बायें तट पर एरेरा ब्रिज तक और चौका नदी के दायें तट पर चिलहारी घाट से एरेरा ब्रिज तक मार्जिनल बांध (तटवर्ती बांध) की योजना की सम्भावना विचाराधीन है।

2–सीतापुर जनपद की बिसवां व महमूदाबाद तहसील में वर्तमान महमूदाबाद बांध को चौका नदी व बकुआ नाले के दायें तट पर 14·6 किमी0 लम्बाई में बढ़ाने की योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदित की जा चुकी है।

3–एक बांध चौका नदी के दाहिने किनारे पर एलगिन पुल से ऊपर की ओर 48 किमी0 लम्बाई में प्रस्तावित है। यह बांध जनपद बाराबंकी से आरम्भ होगा और इससे सीतापुर जनपद की महमूदाबाद तहसील का कुछ भाग लाभान्वित होगा 98·61 लाख रुपये की यह योजना तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदित हो चुकी है एवं इसकी माडल स्टडी सिंचाई अनुसंधान केन्द्र, रुड़की में प्रगति पर है।

4–जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में पिपरी ड्रेन बसुआ ड्रेन रेंडा झील ड्रेन का निर्माण होना है। कुल 30·4 कि0 मी0 लम्बाई की परियोजना पर 17 लाख रुपये की योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अपना उत्तर दिया है यह उत्तर यह लगातार 3-4 साल से दे रहे हैं और कोई कार्यवाही इस पर नहीं होती है। मान्यवर, 27 लाख की आबादी में 10 लाख की आबादी सीतापुर में हर साल डूबती है। यह इनका तीन-चार साल से चल रहा है कि देखा जा रहा है। सोचा जा रहा है। संभावनायें हैं। मान्यवर, "कतरनियां घाट पर रेलवे लाइन के घाघरा नदी के दायें तट व शारदा नदी के बायें तट पर एरेरा ब्रिज तक और चौका नदी के दायें तट पर चिलाहारी घाट से एरेरा ब्रिज

तक मार्जिनल बांध (तटवर्ती बांध) की योजना की संभावना विचाराधीन है।''यह इनके उत्तर का पहला अंश है इस पर क्या कार्यवाही हुई क्या कोई सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हुई है यदि कोई सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है? दूसरी बात मान्यवर, महमूदाबाद की है इसमें इन्होंने क्या काम कर दिया है? मान्यवर, इन्होंने जो 14.6 किलोमीटर लम्बा बांध बनाने की योजना बनायी है, उससे नतीजा क्या निकलेगा? इससे हमारा सारा इलाका डूब जायगा। यह बांध बनाने की योजना एक साथ बनायी है या खण्डों में?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह दो तहसीलों के बारे में पूछा है। बिसवां और महमूदाबाद तहसील के बारे में पूछा है। अब यह देखना है कि शारदा नदी से 110 किलोमीटर जो बांध बनाने की योजना है, उसके बारे में इसका सर्वेक्षण हो रहा है, रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसकी रिपोर्ट जल्दी ही प्राप्त हो जायेगी। रिपोर्ट आ जाने के बाद उसे राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद देखेगा और उसके बाद तकनीकी बाढ़ आयोग देखेगा। उसके बाद कार्यवाही होगी। जो प्रासेस है उसके अनुसार कार्य होगा। तकनीकी काम है। माननीय सदस्य की जो चिंता है, उससे हम पूरी तरह अवगत हैं। वहां गंभीर समस्या है और परेशानी रहती है।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने जो उत्तर नम्बर एक दिया, इस पर मान्यवर, वर्ष 1977 से कार्यवाही हो रही है। कछुआ भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन सात साल हो गये और आपके विभाग में कार्यवाही ही हो रही है। खाली सर्वे करना है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि यह सर्वे का काम कब तक पूरा हो जायेगा, एक महीने में, छः महीने में या साल भर में?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, छः महीने के अन्दर कर दिया जायगा।

बुन्देलखण्ड को बाढ़ से बचाने हेतु योजनायें

*2–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 83-84 में बुन्देलखण्ड में भीषण बाढ़ से भारी आर्थिक क्षति हुई है? भविष्य में बुन्देलखण्ड को बाढ़ से बचाने के लिए क्या-क्या योजनायें लागू की जायेंगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

भविष्य में बुन्देलखण्ड को बाढ़ से बचाने के लिए निम्नलिखित योजनायें विचाराधीन हैं :—

1—बेतवा नदी पर माताटीला बांध के जलग्रहण क्षेत्र को जो मध्य प्रदेश में "वायरलेस" संचार व्यवस्था की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है, ताकि बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना उपलब्ध हो सके।

2—हमीर शहर को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने की योजना तैयार करने हेतु शासन द्वारा एक समिति गठित की गयी है।

3—केन नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने एवं सिंचाई सुविधा हेतु "केन बहुउद्देशीय योजना" मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाई गई है जो उनके द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी है।

4—बांदा नगर को बाढ़ से बचाने हेतु निम्नी नाला बांध परियोजना बनायी गई है ।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमीरपुर शहर को बाढ़ से बचाने के लिए इनकी अध्यक्षता में समिति कब गठित की गयी, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह समिति 16 नवम्बर, 1983 को बनाई गई, जिसके अध्यक्ष श्री बी0 बी0 सिन्हा, राजस्व एवं राहत आयुक्त हैं । यह समिति कार्य देख रही है और नियंत्रण कर रही है । योजना अभी शासन को प्रस्तुत नहीं हुई है । कहा गया है कि यह समिति 28-2-84 तक अपनी रिपोर्ट दे दें ।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

मान्यवर, बांदा नगर के लिए निम्नी नाला बाढ़ नियंत्रण योजना बनी है । चौबीस लाख उसकी लागत है, लेकिन शासन ने इस पर अभी तक कोई धनराशि आवंटित नहीं की है, जबकि प्रत्येक वर्ष नगर को पांच लाख रुपये का नुकसान होता है । मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वर्ष 1983-84 में यह कार्य प्रारम्भ करा दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इस पर 1984-85 में कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जो पानी आता है । ओरछा से निकलकर जामनी नदी द्वारा, जो पारछी बांध से पास होता है, जिससे हमीरपुर और बांदा में भयंकर बाढ़ आ जाती है । आपके पास आंकड़े उपस्थित होंगे, अभी झांसी में एक ऐतिहासिक बाढ़ आई, जिससे काफी क्षतिग्रस्त हो गया । क्या माननीय मंत्री जी इस सदन में स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि पारछी के पास सिंचाई की दृष्टि से कोई बांध बनाया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य को भी इस संबंध में मालूम होगा कि हम मध्य प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में बात कर रहे हैं कि जो पानी बह कर आता है, इसके लिए बांध

बनाया जाय, ताकि बुन्देलखण्ड का जो क्षेत्र है, जहां की जमीन बहुत अच्छी है, अगर वहां पर पानी मिल जायेगा, तो पैदावार में वृद्धि होगी । इसके लिए हम स्वयं चिन्तित हैं । हमनें कई योजनायें भी उनको भेजी हैं, रिजरवायर बनाने की योजना भी हमने भेजी है । आपकी बात सही है कि मध्य प्रदेश से जो पानी बह कर आता है, उससे काफी परेशानी होती है । यह तभी हल हो सकता है जब मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से यह कार्य करने के लिए तैयार हो ।

श्री के0 डी0 कौशिक, तत्कालीन वरिष्ठ खनन अभियन्ता की अध्यक्षता में समिति का कथित गठन

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य खनिज विकास निगम में जुलाई, 1981 में श्री के0 डी0 कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति (डी0पी0सी0) का गठन किया गया था, जिसने विभागीय पदोन्नतियों आदि से संबंधित अपनी संस्तुतियां भी प्रेषित कर दी थीं ? यदि हां, तो संस्तुतियों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री के0 डी0 कौशिक तत्कालीन वरिष्ठ खनन अभियन्ता की अध्यक्षता में किसी समिति (डी0पी0सी0) का गठन नहीं किया गया । अतएव कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी तो सच्चाई को भी हजम कर गए यह समिति विभागीय पदोन्नति के सिलसिले में गठित हुई थी, कौशिक की अध्यक्षता में । अब मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि यह समिति गठित नहीं हुई थी तो इस समय विभागीय पदोन्नति के बारे में कोई नियम है ? यदि हां, तो उसे माननीय मन्त्री जी बता दें । दूसरा क्या यह सही है कि जिन कौशिक जी की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गयी थी, उन्हीं की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो रहा है । वह कोई डी0 पी0 सी0 की कमेटी नहीं थी "चौपन इकाई" एक कमेटी बनायी गई थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं के0 डी0 कौशिक । इस इकाई ने जो रिपोर्ट दी थी वह उचित नहीं थी । उसके बाद विभिन्न माइनिंग के प्रतिनिधित्वों को बुलाया गया और उनसे विचार-विमर्श किया गया कि किस प्रकार वरिष्ठता की सूची तैयार की जाय । विचार-विमर्श के बाद एक लिस्ट बनायी गयी और उसके जो मापदण्ड हैं, उसी के अनुसार कार्य हो रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जिन कौशिक जी की अध्यक्षता में इस समिति को गठित किया गया था । क्या कौशिक साहब की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सेवा अगर किसी की समाप्त होती है तो उसके लिये कारण होंगे । कमेटी की रिपोर्ट देने पर तो सेवायें समाप्त नहीं हो सकतीं ।

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में बाढ़ से प्रभावित ग्रामों हेतु योजना

***4–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह** (अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कटी बांध बंधने के बावजूद भी गोंडा जनपद की तरबगंज तहसील के अधिकांश गांव बाढ़ से प्रभावित हैं ? क्या सरकार घाघरा–भोरीगंज तटबन्ध बनवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । गोण्डा जनपद में कटी नाला बांध बन जाने पर भी तरबगंज तहसील के कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । इसका कारण घाघरा नदी में अत्यधिक बाढ़ के समय नाले में बैक वाटर होता रहा है । नदी के जलमग्न क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा भी इसका कारण रहा है । पूर्व वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बाढ़ से कम गांव व क्षेत्र प्रभावित हुए ।

वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त न होने पर मुआवजा दिये जाने की मांग

*5–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम के कारण जंगलों के कटान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग जाने से पर्वतीय क्षेत्र में लगे वनों पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे ये उद्योग ठप्प पड़ गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन उद्योगपतियों को मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

भारत सरकार द्वारा लागू वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उद्देश्य बनों का और वनभूमि का संरक्षण है । इस अधिनियम का उद्देश्य किसी उद्योग को कच्चा माल की आपूर्ति बन्द करना नहीं है । यदि उक्त अधिनियम के लागू होने से जंगलों के कटान पर प्रतिबन्ध लग गया है तो पर्वतीय क्षेत्र में लगे वनों पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार बाध्य नहीं है । चूंकि लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण उद्योग विभाग में इस शर्त के साथ किया जाता है कि इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उद्योग विभाग की नहीं होगी । अतः ऐसी दशा में किसी इकाई को कच्चा माल प्राप्त न होने पर मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि वर्ष 1975-76 में श्री गोविन्द सिंह नेगी कमेटी का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्र में लगे वनों पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई। उस समिति ने जो सिफारिशें की थीं, राज्य सरकार ने उनको माना था। इसके अलावा प्रदेश में फारेस्ट स्क्रीनिंग कमेटी है, जो कि फारेस्ट बेस्ड इण्डस्ट्रीज को कच्चे माल की उपलब्धता के विषय में गठित है। तीसरी, उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समिति है, जिसकी 15वीं बैठक 28 जनवरी, 1982 को माननीय मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में हुई थी। उसने भी निर्णय लिया था कि पर्वतीय क्षेत्र में जो वनाधारित उद्योग हैं, उनको कच्चे माल की उपलब्धता करायी जाय। इस सबके बावजूद भी इन उद्योगों को कच्चा माल क्यों नहीं उपलब्ध किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

भारत सरकार के द्वारा एक आदेश जारी हुआ 25 अक्टूबर, 1980 को, उसमें कहा गया है कि वन नहीं कटेंगे। चमखड़ी इत्यादि की जो इण्डस्ट्री थीं, वे तो बन्द हो गयी क्योंकि लकड़ी कट नहीं रही है। बाकी जो 12 उद्योग हैं, उनके लिये जो लकड़ी उपलब्ध है, वह उपलब्ध करायी जा रही है।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

पर्वतीय क्षेत्र में आज भी 25 हेक्टेयर भूमि से वन प्रतिदिन कट रहा है, लकड़ी की कमी नहीं है, लेकिन वन निगम लकड़ी को बाहर भेज रहा है और इन उद्योगों को नहीं दे रहा है। आपकी प्रदेश सरकार ने एक आदेश निकाला है कि 1000 मी0 से ऊपर हरा पेड़ नहीं कटेगा। आपकी इस नीति की वजह से सारे उद्योग ठप्प पड़ गये हैं। क्या सरकार यह निर्णय लेगी कि आपकी नीति की वजह से जो उद्योग बंद हो गये हैं, उनको मुआवजा दिया जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि 1000 मी0 से ऊपर के पेड़ों को काटना प्रतिबन्धित कर दिया गया है। क्योंकि धीरे-धीरे पहाड़ उजाड़ होते जा रहे थे। पहाड़ों पर पेड़ों का कटना रोकने से यह समस्या हुई, लेकिन अगर पहाड़ नंगे हो जाते तो और भी बहुत सी समस्यायें पैदा हो रही थीं। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, किसी भी इण्डस्ट्री को "सिक" हो जाने पर मुआवजा नहीं दिया जाता है।

*6–श्री यदुनाथ सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

लखनऊ स्थित गोमती बंधे के सुदृढ़ीकरण हेतु कथित आवंटित धनराशि

*7–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित गोमती बंधे के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन ने वित्तीय वर्ष 82-83 में कितना धन आवंटित किया था और उससे कौन-कौन से कार्य कराये गये तथा वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए कुल कितनी धनराशि इस कार्य के लिये शासन द्वारा पुनः स्वीकृत की गयी है ? क्या वित्तीय वर्ष 82-83 में कृत कार्यों में अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं और काफी धन भी उपयोग होने से शेष रह गया था ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 82-83 में लखनऊ जनपद में निर्मित गोमती बांध के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन द्वारा कोई धन आबंटित नहीं किया गया था । अतः इस मद में कोई कार्य नहीं कराया गया ।

वित्तीय वर्ष 1983-84 में उक्त कार्य हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सन्त बख्श रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 1982-83 में कोई धनराशि आबंटित नहीं की गयी है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता है । लेकिन हमारी निश्चित जानकारी है कि पक्के पुल के पास माह नवम्बर में कई किलोमीटर तक कार्य करवाया गया है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि शंकरगढ़ स्टोन और झांसी ग्रिट की जो आपूर्ति की गयी है, वह किस मद से की गयी है । यह माल शासन की स्वीकृति से मंगवाया गया है या स्वीकृति की प्रत्याशा में ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सुदृढ़ीकरण के लिए कोई पैसा नहीं दिया है लेकिन मरम्मत के कार्य के लिए कुछ न कुछ पैसा दिया जाता है, उसी मद में दिया गया होगा ।

(व्यवधान)

शारदा सहायक खण्ड-30 (इलाहाबाद) के अन्तर्गत फूलपुर ब्रांच में निर्माणाधीन कथित पुल

*श्री राधेश्याम पटेल (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 30 (इलाहाबाद) के अन्तर्गत फूलपुर ब्रांच में कि0 मी0 4.15 पर निर्माणाधीन पुल दो बार गिर चुका है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था और उसमें कितना नुकसान हुआ ? इससे सम्बन्धित अधिकारी कौन था, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शारदा सहायक खण्ड--30 इलाहाबाद के अन्तर्गत फूलपुर ब्रांच में कि0 मी0 4.15 पर कोई भी पुल निर्माणाधीन नहीं है ।

अतः उसके दो बार गिरने, व किसी नुकसान होने अथवा किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

छोटी सरयू तथा महुआ गढ़वाल बांध के मध्य स्थित भूभाग में नलकूपों के कलस्टर सर्वेक्षण पर कथित विचार

*9–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में छोटी सरयू तथा महुला गढ़वाल बांध के मध्य स्थित भूभाग की सिंचाई व्यवस्था के लिए विश्व बैंक द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत नलकूपों का कलस्टर सर्वेक्षण के उपरान्त लगवाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आजमगढ़ जनपद में विश्व बैंक परियोजना फेज-द्वितीय वर्ष के 1983-84 में छोटी सरयू तथा महुआ गढ़वाल बांध के मध्य स्थित भूभाग में नलकूपों का कलस्टर पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह भू भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तथा इसकी जमीन बलुई एवं अत्यधिक ऊंची नीची है और पूरे कलस्टर हेतु लगभग 3000 हेक्टेयर का क्षेत्र भी उपलब्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है, इस सम्बन्ध में मेरी सूचना को सही मानते हुए कि वहां पर कभी भी बाढ़ नहीं आयी और न ही वह भाग ऊंचा-नीचा है बल्कि बिल्कुल समतल है और 3000 हेक्टेयर से ज्यादा है। इसलिए क्या मा0 मंत्री जी पुनः वहां की जांच करवाकर मामले पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हमारे पास जो रिपोर्ट है, उसमें यही दिया गया है कि जमीन ऊंची नीची है और 3000 हेक्टेयर से कम है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है । परन्तु अब आपकी सूचना के अनुसार फिर जांच करा लेंगे ।

गांव पाटल्यू-मठल्यों, जिला पौड़ी गढ़वाल में पेयजल आपूर्ति

***10–श्री ऊदल–**

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पाटल्यू-मठल्यों गांव सभा कोला गाड़, विकास खंड पोखड़ा, जिला पौड़ी गढ़वाल में पेयजल की व्यवस्था हेतु वहां के भगवान सिंह वगैरह के प्रार्थना पत्र को प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ मंत्री जी को 22 सितम्बर, 83 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक पेयजल की व्यवस्था उक्त गांव के लिये न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के अभावग्रस्त ग्रामों को पेयजल की आपूर्ति में प्राथमिकता निर्धारित की गयी है । विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कोला नामक दो ग्राम हैं । ग्राम कोला (स्थानीय कोड सं0 1310) अभावग्रस्त ग्रामों की सूची में है । इस ग्राम में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है, किन्तु कोला ग्राम (स्थानीय कोड सं0 1407) अभावग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं है । अतएव इस ग्राम की पेयजल आपूर्ति हेतु कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि 1972 के सर्वेक्षण में जो गांव छूट गये हैं, उनमें से एक 1407 नम्बर पर एक गांव है जहां पर पानी का बड़ा संकट है और विभाग ने उसका सर्वे कर लिया है तो उसको क्या सम्मिलित कर लिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह कहा गया है कि जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें पौड़ी के 862 गांव में जल का अभाव है। जब यह सब गांव पूरे कर लिये जायेंगे तो फिर आगे के गांव लिये जायेंगे।

अयोध्या तीर्थ स्थली में कथित "राम की पैड़ी नहर निर्माण योजना"

*11–श्री निर्मल खत्री–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या तीर्थस्थली में "राम की पैड़ी नहर निर्माण योजना" सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर सरकार कब से निर्माण प्रारम्भ करने जा रही है तथा योजना कितनी राशि की है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

"अयोध्या तीर्थ स्थलों में राम की पैड़ी नहर निर्माण योजना" नामक कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। "अयोध्या पम्प नहर स्टेज–2" नामक योजना शासन द्वारा दिनांक 2-12-83 से स्वीकृत की जा चुकी है, जिसकी अनुमानित लागत रु0 134 लाख है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है तथा कार्य 1983-84 में ही प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। इस योजना से अयोध्या के प्राचीन मंदिरों के समीप जल उपलब्ध हो जायेगा।

श्री निर्मल खत्री–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पम्प नहर योजना है उसका पानी सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा इस पर भी विचार किया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह विचाराधीन है, उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है या नहीं, इस पर विचार किया जायेगा?

श्री एस0 पी0 मिश्रा, तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

*12–श्री मित्रसेन–

क्या हरिजन एवं कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, फैजाबाद में शासन द्वारा हरिजन कल्याण हेतु आवंटित धनराशि की अपर जिला विकास अधिकारी (श्री एस0पी0 मिश्र), फैजाबाद द्वारा वर्ष 81-82 व 82-83 में भारी पैमाने पर किये गये दुरुपयोग एवं अनियमितता की जांच की जा रही है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

श्री एस0 पी0 मिश्रा तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0) फैजाबाद को जांच के दौरान शासन द्वारा उनके मूल विभाग (सहकारिता) में प्रत्यावर्तित कर दिया गया। प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप प्रकाश में आई अनियमितताओं के लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस प्रकरण में दोषी पाये गये अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री मिश्र सिंह–

माननीय मंत्री जी से प्रश्न करने में डर लगता है क्योंकि उत्तर सुनिश्चित नहीं मिलता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप कई अनियमिततायें प्रकाश में आयीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी अनियमिततायें हैं जो प्रकाश में आयी हैं और उनके संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जांच के दौरान जो अनियमिततायें प्रकाश में आयीं वह यह हैं कि जो हरिजनों को अनुदान या ऋण दिया गया है उसके सम्बन्ध में हैं। फार्म ठीक प्रकार से नहीं भरे गए हैं और उनको पूरा पैसा नहीं दिया गया है। इस तरह की अनियमिततायें हैं, जो प्रकाश में आयी हैं। इसके अतिरिक्त श्री मिश्र के विरुद्ध यह शिकायत है कि वह सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और उसके साथ ही साथ किराया भी लेते हैं। जो रिपोर्ट भेजी गयी है उस पर पूरी कार्यवाही की गयी है।

मड़ियाहूं केराकत राजबहा के पुनर्निर्माण, रखरखाव व मरम्मत पर व्यय

*13–श्री प्रभुनारायण सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर की मड़ियाहूं केराकत राजबहा के पुनर्निर्माण, रखरखाव व मरम्मत पर वर्ष 1980 से अब तक (10 अक्टूबर, 83) कितना व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि इस धन के सही उपयोग न होने के कारण इस रजवहा के पानी का सही उपयोग नहीं हो पाया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत राजबहे के पुनर्निर्माण, रख-रखाव व मरम्मत पर वर्ष 1980 से अक्टूबर, 1983 तक 28,76,518 रुपये व्यय हुआ।

जी नहीं।

श्री प्रभु नारायण सिंह–

मान्यवर, इस रजबहे के रख-रखाव में 29 लाख रुपया व्यय हुआ है, लेकिन कुछ निश्चित स्थान हैं जहां पर प्रतिवर्ष वह टूटता है और कई हजार एकड़ भूमि को जल से प्रभावित करता है।

मैं तो कहता हूं कि उसका रख-रखाव किया ही नहीं जाता है। वह पैसा फर्जी ढंग से निकाल लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या वे सोहनी, भैंसा, जमुआ, लहरपुर, बिरही आदि क्षेत्रों की जांच करेंगे जहां पर कि प्रति वर्ष नहरें टूट जाती हैं और उनकी मरम्मत नहीं की जाती है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि इस नहर की री-माडलिंग हो रही है और वह अभी पूरी नहीं हुई है। उस पर काम हो रहा है। उसके पूरा होने पर उसकी क्षमता भी बढ़ जायेगी। जहां काम पूरा नहीं हुआ है और जैसा कि माननीय सदस्य ने शिकायत की है वे लिखकर दे दें मैं उसकी जांच करके उसे तुरन्त पूरा करा दूंगा।

सिंचाई कार्य खण्ड गोण्डा उप खण्ड तृतीय के कतिपय अभियंताओं के विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती पत्र

*14—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा 4 अगस्त, 83 को सिंचाई कार्य खंड गोण्डा उप खंड तृतीय के सहायक अभियन्ता, दो अवर अभियंता एवं अधीक्षण अभियन्ता (श्री बी0 आर0 खान) के विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती पत्र मुख्य मंत्री व सिंचाई मंत्री को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्या का शिकायती पत्र दिनांक 5-8-83 (न कि 4-8-83) प्राप्त हुआ है।

शिकायती पत्र के आरोपों की जांच के आदेश मुख्य अभियंता (आयू) को दे दिये गये हैं।

श्रीमती गौरी देवी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, 5-8-83 को प्रश्नकर्ता ने दिया और 4-8-83 को वह आपको कैसे प्राप्त हो गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, वह 4-8-83 का है।

श्रीमती गौरी देवी—

[illegible] बाराबंकी से बहराइच बाढ़ में घाघरा नदी पार करके 27 रुपये घन मीटर की दर से 7 लाख रुपये की मिट्टी दिखाकर उसका भुगतान किया गया है। माप पुस्तिका गायब कर दी गयी और एक लाख रुपया कैश चेस्ट से हड़प लिया गया। क्या माननीय मन्त्री जी जांच के पहले सहायक अभियन्ता सहित अधीक्षण अभियन्ता को निलम्बित करके जांच करने की कृपा करेंगे। इन अधिकारियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और उन्हें बिना निलम्बित किये ही जांच करवा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि सरकारी धन का ये अधिकारी दुरुपयोग किये हैं और आप उसकी जांच करवा रहे हैं। उनको निलम्बित करके जांच करवायें। मन्त्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, किसी शिकायत पर कोई सस्पेण्ड नहीं होता है। शिकायत करने पर पहले उसकी जांच करवाई जाती है और दोष सिद्ध होने पर किसी को सस्पेण्ड किया जाता है और कार्यवाही की जाती है। उसकी जांच चीफ इंजीनियर को दी गयी है। हम चाहते हैं कि उसकी जांच जल्दी से जल्दी हो जाय और उस पर तुरन्त कार्यवाही हो जाय।

अनुसूचित जाति/जन जाति तथा महिलाओं के सम्मेलन पर हुआ व्यय

*15–श्री माता प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 अक्टूबर, 1983 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के सम्मेलन पर सरकारी खजाने का कुल कितना रुपया व्यय हुआ तथा इसमें बेगम हजरत महल पार्क के पंडाल बनाने में कुल कितने रुपये का व्यय हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग ने किया ? इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

कुल रु0 3,14,792.25 पैसे खर्च हुए । इसी धन में से रु0 63,028 पंडाल पर व्यय हुए थे । अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं व जनता को शासकीय नीतियों व कल्याण कार्यक्रमों व योजनाओं से अवगत कराना उद्देश्य था ।

सिंचाई विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर्स पद के चयन में धांधली की जांच

*16–श्री राज कुमार राय (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग, लखनऊ द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर्स पद के लिये चयन में की गयी धांधली के विषय में उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-9-83 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अंकित आरोपों में से कौन कौन से आरोप सही पाये गये ? क्या यह भी सही है कि उक्त चयन निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो अनावश्यक साक्षात्कार कराने तथा कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का क्या आधार था ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, किन्तु आरोप सही नहीं पाये गये । यह सही है कि चयन निरस्त कर दिया गया है ।

कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना हेतु ये पद स्वीकृत किये गये थे जिन्हें भरने के लिये चयन करके नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे । उक्त केन्द्र के लिये उच्च पदों पर नियुक्तियां करने में होने वाले विलम्ब के कारण उक्त केन्द्र को संचालित नहीं किया जा सका । अतएव चयन निरस्त कर दिया गया । यह उल्लेखनीय है कि चयनित अभ्यर्थियों ने कार्य-भार भी ग्रहण नहीं किया था ।

टिहरी गढ़वाल जनपद के विकास खण्ड कीर्ति नगर के दुण्डसिर नाले को नियंत्रित करने की योजना

*17–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद के दुण्डसिर विकास खण्ड कीर्तिनगर में जो भू-स्खलन से खतरा उत्पन्न हो गया है, उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार टिहरी गढ़वाल जनपद के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत दुण्डसिर नाले में वर्षा काल में पानी की मात्रा बढ़ने से खेतों को क्षति पहुंचती है और यत्र-तत्र भू-स्खलन भी होना पाया गया है । प्रभावित क्षेत्र में भू-स्खलन की

रोक-थाम के लिये तथा दण्डसिर नाले को नियंत्रित करने के लिये नाले के दोनों ओर तटबन्ध बनाये जाने हेतु योजना तैयार की गयी है । इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण भूमिहीन के लिये रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया गया है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस गांव के दोनों तरफ जो भूमि वर्षा से कटती आ रही है उसकी रोक-थाम के लिये कार्यवाही कब तक शुरू की जायेगी ?

और अब जो जिलाधिकारी ने प्रस्ताव किया है उस पर कार्यवाही कब से शुरू हुयी ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह तो नहीं बता सकता कि कब शुरू हुई लेकिन यह योजना 12.64 लाख की बनायी गयी है और कहा गया है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाय और इसी लिये आप देखेंगे कि रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे लिया गया है ताकि लोगों को काम भी मिले और जल्दी कार्य हो ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवार, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रह गया है । हरिजनों से सम्बन्धित है ।

चारबाग से चिनहट चलने वाली सिटी बसों को अविलम्ब चलाने की मांग

*18–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि चारबाग से चिनहट चलने वाली सिटी बसें जो कुछ महीने पूर्व चला करती थीं अचानक बन्द कर दी गयी हैं, जिससे इस क्षेत्र के हजारों सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों, महिलाओं को भीषण असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या इन बसों को अविलम्ब चलाने के आदेश जारी किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)–

जी हां, परन्तु इससे जनता को कोई असुविधा होने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चिन्हट की ओर से लखनऊ आने वाले यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है ।

प्रश्नगत सेवा से प्राप्त औसत आय संचालन व्यय की तुलना में अत्यधिक कम थी, अतः इसे पुनः संचालित करना उचित नहीं होगा ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के आवासों के निर्माण हेतु समिति का गठन

*19–श्री श्याम लाल वाजपेयी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री जिलों में हरिजनों के लिये आवास तथा दुकानों के लिये खरीदी जाने वाली भूमि में गोलमाल रोकने हेतु विकास खण्ड अथवा

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

विधान सभा क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय विधायक, ब्लाक प्रमुख, सम्बन्धित तहसीलदार, जिला हरिजन कल्याण अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि की समिति बनाने पर विचार करेंगे जो भूमि खरीद, आवास तथा दूकान का निर्माण एवं आवंटन सम्बन्धी निर्णय करें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के आवासों के निर्माण हेतु कोई भूमि क्रय नहीं की जाती है अतः इस सम्बन्ध में प्रश्नगत समिति गठित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । इस विभाग द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान द्वारा चयनित विकास खण्डों में निर्मित करायी जाने वाली दुकानें यथा सम्भाव ग्राम समाज की भूमि पर बनायी जा रही हैं, जो दुकानों के लिये निःशुल्क प्राप्त होगी । अन्य उपयुक्त स्थानों पर क्रय की जाने वाली भूमि के स्थल चयन तथा उसकी खरीद, दुकानों का निर्माण और उसके आवंटन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित अन्तर्विभागीय समिति गठित है तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जिलाधिकारियों को पर्याप्त निर्देश दिये गये हैं । विभाग द्वारा शासन तथा अन्य स्तरों से फील्ड स्तर पर योजना के समुचित कार्यान्वियन की निरन्तर जांच की जा रही है और प्रत्येक माह इस योजना की शासन स्तर पर समीक्षा की जाती है । अतः इस सम्बन्ध में विकास खण्ड अथवा विधान सभा क्षेत्र स्तर पर अलग से समिति गठित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

राज्य परिवहन निगम में घाटे का निवारण

*20–श्री मुईद अहमद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम में सन् 80 से लेकर सन् 83 तक अलग-अलग वर्षों में घाटे का ब्यौरा क्या है? इसके निवारण हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मासिक लाभ/हानि खातों के अनुसार वर्ष 1980-81 से वर्ष 1982-83 तक लाभ हानि का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	लाभ/हानि (लाख रुपया)
1980-81	964–85 हानि
1981-82	267–4 हानि
1982-83	1161–31 हानि

घाटे के निवारण हेतु निम्न उपाय किये जा रहे हैं :–

1–अनाधिकृत संचालन को रोकने के लिये राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सघन चेकिंग।

2–आफ रोड बसों का जीर्णोद्धार करके उन्हें संचालित करना ।

3–डीजल, इंजन, आयल, मोबिल आयल, टायर ट्यूब एवं अन्य कल पुर्जों के क्रय तथा उपभोग में नियंत्रण एवं मितव्ययता।

4—पुरानी बसों के प्रति स्थापन हेतु नई बसों का क्रय।

5—कर्मचारियों की नई भर्ती पर रोक।

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद में घाघरा नहर पर निर्माणाधीन पुल के बारे में शिकायती पत्र

1—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में रोनाही के निकट घाघरा नहर पर निर्माणाधीन पुल के बारे में श्री मुन्ना सिंह, अध्यक्ष, युवा लोकदल, फैजाबाद द्वारा दि0 26-2-82 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को कोई शिकायती पत्र प्रेषित कराया गया है? यदि हां, तो शिकायतकर्ता की शिकायतों के बारे में किससे जांच कराई गयी तथा शिकायतकर्ता के लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य जांच के दौरान लिये गये ? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण क्या है तथा अब तक सरकार की तरफ से उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, फैजाबाद द्वारा शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कराई गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता के मौखिक साक्ष्य भी लिये गये।

शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है :—

(क) फैजाबाद लखनऊ मार्ग पर रोनाही के निकट घाघरा नहर पर निर्माणाधीन पुल की फर्श एवं निचली सतह पुरानी है जिसे तोड़ा नहीं गया तथा ऊपर से ही बालू मिट्टी भरकर निर्माण आरम्भ किया गया जिससे लाखों रुपये का गोल-माल हुआ।

(ख) जिस ठेकेदार का रेट न्यूनतम था, उससे कार्य न करवाकर अन्य ठेकेदार से, जिसका रेट अधिक था, कार्य कराया गया।

(ग) विभागीय अवर अभियन्ता व ड्राफ्टसमैन की ठेकेदार के साथ पार्टनरशिप है।

(घ) ठेकेदार से एग्रीमेन्ट भी नहीं हुआ है और अनियमित ढंग से रुपये कमाने के लिए जल्दी-जल्दी कार्य आरम्भ करा दिया गया है।

शिकायतें निराधार पाई गई अतएव किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी क्षेत्र के परिवहन कर्मचारियों द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की जांच

2—श्री रामस्वरूप शर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित झांसी क्षेत्र के परिवहन कर्मचारियों द्वारा दी गयी भ्रष्टाचार की शिकायतों सम्बन्धी पत्र दिनांक 9-12-82 को उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसकी जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा कराई गयी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां।

शिकायत की जांच मध्य जोन के सम्परीक्षा अधिकारी श्री बी0 डी0 जोशी के माध्यम से कराई गई। अब तक जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री समदमीर खां, स्टेशन इंचार्ज को एक प्रतिकूल प्रविष्टि दिनांक 29-8-1983 को उप प्रधान प्रबंधक (मध्य जोन) द्वारा दी गयी तथा सहायक कोषाध्यक्ष श्री अहमद सिद्दीकी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के आदेश उप प्रधान प्रबंधक (मध्य जोन) द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक को दे दिये गये हैं।

श्री एस0 आर0 पी0 दीक्षित, परिचालक हरदोई डिपो का मध्य जोन में स्थानान्तरण तथा उक्त पद पर कार्य दिये जाने का आधार

3–श्री खैरुल बशर–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई डिपो (उ0प्र0 रा0 स0 प0 नि0) में कार्यरत श्री एस0आर0पी0 दीक्षित, परिचालक कितने समय से उक्त डिपो में कार्यरत हैं? कितने समय के लिए इनका स्थानान्तरण हरदोई डिपो से अन्यत्र किया गया था तथा इन्हें दुबारा डिपो में ही स्थानान्तरण किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री गुलाब सेहरा–

श्री एस0आर0पी दीक्षित, परिचालक हरदोई डिपो में वर्तमान में 2 मई, 1979 से कार्यरत हैं। इसके पूर्व वे नवम्बर, 1978 से अप्रैल, 1979 तक शाहजहांपुर डिपो में रहे। श्री दीक्षित का स्थानान्तरण तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अप्रैल, 1979 में हरदोई के लिये प्रशासनिक आधार पर किया गया था।

अब श्री दीक्षित को पुनः हरदोई डिपो से मध्य जोन में स्थानान्तरित करने के आदेश मुख्यालय स्तर से कर दिये गये हैं।

4–श्री खैरुल बशर–

क्या यह सही है कि श्री एस0आर0पी0 दीक्षित, परिचालक हरदोई डिपो को बस की जांच का कार्य ए0टी0ओ0 पद पर 8 अगस्त, 80 को सौंपा गया था? यदि हां, तो उक्त पद पर उन्हें कार्य दिए जाने का आधार क्या था? क्या उक्त डिपो में उनसे वरिष्ठ अन्य परिचालक नहीं था? यदि हां, तो कार्य सौंपने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा–

श्री दीक्षित को श्री मो0 हुसैन तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शाहजहांपुर द्वारा बसों को चेकिंग हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु इन्हें यातायात निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत नहीं किया गया था। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुसार श्री दीक्षित को चेकिंग हेतु वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के साथ लगाने का कारण मार्ग पर अराजक तत्वों से निबटना तथा निगम के हितों की रक्षा करना था।

उक्त डिपो में श्री दीक्षित से वरिष्ठ परिचालक उपलब्ध थे अतः सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा इन्हें चेकिंग का कार्य देना नियमानुकूल नहीं था। इस अनियमित आचरण के लिये सम्बन्धित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को एक निन्दा प्रविष्टि दे दी गयी।

कचेहरी बस स्टेशन कटरा, इलाहाबाद में सिटी बस चालक के विरुद्ध दर्ज शिकायत की जांच

5—श्री रुद्रप्रताप सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि श्री राधेश्याम पटेल, विधायक ने दिनांक 6 जून, 1982 को कचेहरी बस स्टेशन कटरा, इलाहाबाद में एक सिटी बस चालक के विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है? क्या जांच पूर्ण हो गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? क्या यह सत्य है कि दोषी चालक को सेवा-निवृत्त करके पुनः उच्च अधिकारियों ने उसे सेवा पर बुला लिया है? यदि हां, तो उसे बहाल करने के कारण क्या हैं और उसे सेवा निवृत्त करने के कारण क्या थे?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां।

शिकायती पत्र की प्रतिलिपि† संलग्न है। जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि† भी संलग्न है।

दोषी चालक को सेवा से निलम्बित करके उच्च अधिकारियों द्वारा पुनः सेवा में बुला नहीं लिया गया अपितु सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (नगर बस सेवा) इलाहाबाद द्वारा दोषी चालक को दिनांक 7-7-82 को निलम्बित कर आरोप पत्र दिया गया। चालक द्वारा आरोप पत्र का उत्तर दिये जाने पर उक्त अधिकारी द्वारा ही अंतिम निर्णय सुरक्षित रखते हुए दिनांक 17-7-82 से चालक कोअन्तिम रूप से सेवा में बहाली किया गया। जांच पूर्ण होने पर चालक को दो वर्ष के लिये प्रारम्भिक वेतन पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया तथा निलम्बनकाल के वेतन तथा भत्ते जब्त कर दिये गये।

उक्त चालक को सेवा निवृत्त नहीं किया है अपितु निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही के उपरान्त दंडित कर सेवा में बहाल किया गया है।

गोरखपुर जनपद के इटौवा बांध को बाढ़ में कटवाने से फसलों को क्षति संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

6—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जनपद के इटौवा बांध को विभागीय जे0 ई0 द्वारा इस साल की आई बाढ़ में कटवाने के कारण कई लाख एकड़ खड़ी फसल की क्षति हुई जिसके संदर्भ में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 9-10-82 को उन्हें लिखा था, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपके पत्र दि0 29-11-82 द्वारा दी गयी है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ में हुई नियुक्तियां

7—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र आजमगढ़ में 1-1-82 से 21-1-83 तक विभिन्न पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां

---

†छापी नहीं गयी।

हुई, इनमें से कितनी नियमित की गयीं हैं तथा कितनी तदर्थ आधार पर की गयी हैं? इन नियुक्तियों के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? क्या हरिजन आरक्षण इन नियुक्तियों में पूरा है?

श्री गुलाब सेहरा–

राज्य सड़क परिवहन निगम आजमगढ़ क्षेत्र में दिनांक 1-1-82 से 21-1-83 तक की अवधि में विभिन्न संवर्ग में कुल 267 नियुक्तियां की गयीं। इन नियुक्तियों में 112 नियमित एवं 155 तदर्थ रूप से की गयीं। प्राविधिक कर्मचारियों को ट्रेड टेस्ट लेकर योग्यतानुसार रखा गया। चालक परिचालकों की स्थानीय चयन समिति द्वारा निर्मित प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां की गयी तथा इनके अतिरिक्त कुछ मृतक कर्मचारियों के आश्रितों व पिछले कई वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से भी नियुक्तियां की गयी। समस्त नियुक्तियां शैक्षिक एवं अन्य अर्हताओं के आधार पर नियुक्ति अधिकारियों द्वारा की गयी थीं। हरिजन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनकी उपलब्धता के अनुसार की गयीं। इन नियुक्तियों में हरिजन आरक्षण पूरा नहीं है, जिसका कारण उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होना था।

खैरिया शिकमी गोहाना, जनपद मैनपुरी के ग्राम प्रधान श्री मोहर सिंह द्वारा कराई गई निजी बोरिंग

8–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि नहर विभाग हाथरस मंडल के रजबहा नूह के कुलाबा नं0 64 की नाली के शाखा खसरा संख्या 261 में चकबन्दी से पूर्व एवं बाद में पानी जाता था और किसान सिंचाई करते थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की ग्राम सभा खैरिया शिकमी गोहना के मोहर सिंह प्रधान एवं उनके भाई व भतीजों ने पद का दुरुपयोग करके एवं किसानों एवं सरकारी आवासों को हानि पहुंचाने के लिए नाली नम्बर 261 में अपनी निजी बोरिंग कर लिया है? यदि हां, तो अब तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, खैरिया शिकमी गोहाना जनपद मैनपुरी के ग्राम प्रधान श्री मोहर सिंह ने चक नं0 261 में बनी नाली के किनारे अपने चाक संख्या 262 में निजी बोरिंग कर लिया है। अभी तक पुरानी बनी हुई गुल को विसमार नहीं किया गया है जिसके कारण पूर्व सिंचित क्षेत्र की सिंचाई सुविधा पूर्वानुसार बनी हुई है। श्री मोहर सिंह का निजी बोरिंग नहर से 200 मीटर की दूरी से भी अधिक है और इतनी दूरी पर निजी बोरिंग करना अवैधानिक नहीं है। इसलिए उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

रजबहा कुरसंडा की पटरी टूटने से फसलों को क्षति सम्बन्धी कथित पत्र

9–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-2-83 श्री रामवीर सिंह प्रधान, ग्राम सभा बासरभकड़ी विकास खंड राया जिला मथुरा का शिकायती पत्र मांद

ब्रांच गंगा नहर, मथुरा के रजबहा कुरसंडा की पटरी टूटने से फसलों को क्षति की क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो शिकायती पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? कार्यवाही न करने का क्या कारण है? कुरसंडा रजबहा की बारबंदी कब तक कर दी जावेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है।

जांचोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत रजवाहे की पटरी काश्तकारों की आपसी रंजिशवश काटी गयी थी जिससे खेतों में भरा पानी विभाग द्वारा उसी समय निकाल दिया गया था। फसल क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी अतः क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

कृषकों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर कुरसंडा रजवाहे की बारबंदी नियमानुसार करायी जायेगी।

नलकूप नं0 82 गांव रोवड़ा, जिला वाराणसी की नाली को पाटे जाने के विरुद्ध कार्यवाही

10–श्री उदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 82 गांव रेवड़ा परसपुर, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की नाली को राम नारायण यादव ने एक दम पाट दिया है जिससे सैकड़ों एकड़ की फसल सिंचाई न होने से सूख गयी है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कर नाली चालू करा दी जायेगी और पाटने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नलकूप नं0 82 गांव रेवड़ा, परसपुर तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी की कोई भी नाली नहीं पाटी गई है। अतः इन नालियों से सिंचाई न होने से फसल सूखने एवं नाली पाटने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

नलकूप प्रखण्ड भदोही के वर्कशाप में कथित गोल-माल

11–श्री उदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग (नलकूप) भदोही जिला वाराणसी के वर्कशाप में 80 हजार रु0 के सामान का गोल-माल किया गया है? क्या सरकार जांच रिपोर्ट, डिस्पैच रजिस्टर आदि को मंगायेगी और जिन अधिकारियों ने अब तक कार्यवाही नहीं की है उनसे जवाब तलब करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नलकूप प्रखण्ड भदोही के वर्कशाप में किसी प्रकार का गोल-माल नहीं किया गया है। अतः जांच रिपोर्ट व डिस्पैच रजिस्टर मंगाने एवं सम्बद्ध अधिकारियों से जवाब तलब करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकारियों की बैठक तथा फैसला

12—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु वाराणसी मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में 17-2-83 को उच्चाधिकारियों की बैठक में फैसला किया गया है कि जौनपुर मार्ग से आने वाली बसों को शिवपुर बाई पास के निकट खड़ा करवा दिया जाय? क्या यह सही है कि वहां से कचहरी, वाराणसी 2 मील से ऊपर पड़ेगा? यदि हां, तो दो मील दूर रोकने का क्या कारण है? कचहरी, वाराणसी तक बसों को ले जाने में किस स्थान पर यातायात अवरुद्ध होता है?

श्री गुलाब सेहरा—

दिनांक 17-2-83 को आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी की अध्यक्षता में इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई थी।

13—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मीटिंग में यह भी फैसला किया गया है कि शिवपुर बाई पास के पास 250 एकड़ जमीन विकास प्राधिकरण, वाराणसी बसों के अड्डों के लिए एक्वायर कर रहा है? यदि हां, तो यह जमीन कहां पर है और कब तक बस अड्डा 2 1/2 मील दूर बनाया जायगा?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्नगत बैठक न होने के कारण फैसले का प्रश्न नहीं उठता है।

बेलन बकहर नहर, मिर्जापुर में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में अधिकारियों को अकार्यकारी पदों पर रखने की मांग

14—श्री ऊदल—

प्रथम सत्र 83 के 3रे बुध के अता0 प्र0 सं0 52 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शहाबुद्दीन अहमद, अधीक्षण अभियन्ता, श्री मदनबिहारी तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, श्री सरदारी लाल भाटिया, अधिशासी अभियन्ता, श्री सुनील भूषण प्रसाद, सहायक अभियन्ता को भी विशेष सचिव ने अपने पत्र संख्या 5214/82 सि0-10, दिनांक 21-8-82 सि0 अनुभाग-10 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को लिखा कि जनपद मिर्जापुर के बेलन बकहर के सम्बन्ध में खुली जांच सतर्कता विभाग कर रहा है? इनको अकार्यकारी पदों पर तैनात कर दिया जाय ? यदि हां, तो रामऔतार, पारसनाथ, हुबलाल सिंह, अहमद हसन के साथ इनका नाम न देने का क्या कारण है? क्या इनको अकार्यकारी पदों पर अब तक नहीं रखा गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संयुक्त सचिव के पत्र दिनांक 31-8-82 (न कि 21-8-82) द्वारा प्रश्न में उल्लिखित अधिकारियों के सतर्कता जांच के अंतर्ग्रस्त होने व अकार्यकारी पद पर रखने का उल्लेख है। चूंकि सर्वश्री शहाबुद्दीन अहमद, अधीक्षण अभियन्ता, मदन बिहारी तिवारी, अधिशासी अभियन्ता व सुनील भूषण प्रसाद, सहायक अभियन्ता के प्रकरण की

सतर्कता जांच पूर्ण होकर जांच रिपोर्ट दिनांक 23-11-82 को प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए प्रथम सत्र, 83 के तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-52 के उत्तर में उक्त अधिकारियों का नाम नहीं दिया गया और उस समय जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही थी उनका नाम दिया गया। श्री सरदारी लाल भाटिया, अधिशासी अभियन्ता उस समय तक सतर्कता जांच में अन्तर्ग्रस्त नहीं थे, इसीलिए उनका भी नाम नहीं दिया गया और उन्हें अकार्यकारी पद पर न रखने का निर्णय भी लिया गया बाद में विचारोपरान्त श्री शहाबुद्दीन अहमद अधीक्षण अभियन्ता को भी अकार्यकारी पद पर रखने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

आंगन बाड़ी ट्रेनिंग सेन्टर, आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई को प्राप्त धनराशि तथा व्यय

15—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आंगन बाड़ी ट्रेनिंग सेन्टर, आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई को वित्तीय वर्ष 82-83 में सरकार द्वारा कितना धन उपलब्ध कराया गया तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आंगन बाड़ी ट्रेनिंग सेन्टर आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई को वर्ष 1982-83 में सरकार द्वारा 99000/- रु0 दिया गया जिसका व्यय विवरण निम्न प्रकार है —

1—वेतन	13104·90
2—आनरेरिया	1400·00
3—छात्रवृत्ति	14482·48
4—मकान किराया	6000·00
5—ट्रेनिंग किट	3641·25
6—कनवेन्स	1171·50
7—फील्ड ड्रिप	1270·40
8—टी0 ए0 प्रशिक्षार्थियों का भत्ता	520·30
9—इक्यूपमेन्ट	23500·75
10—विविध व्यय	1073·54
योग	66225·23

अवशेष धन बैंक में जमा है।

फैजाबाद जनपद में माया बाजार इल्तिफातगंज-टांडा तथा टांडा बाया बसखारी मार्ग पर परिवहन निगम की चालित बसें

16—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में फैजाबाद बाया माया इल्तिफातगंज, टांडा हंसवार, टांडा बाया बसखारी रोड पर परिवहन निगम द्वारा बसें न चलाकर प्राइवेट बसों को चलाने हेतु परमिट जारी की गयी है? यदि हां, तो सन्

80-81 व 81-82 तथा माह फरवरी, 83 में कितने प्राइवेट बसों को उक्त रोड पर चलाने हेतु परमिट दिया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक परिवहन निगम की बसें उक्त रोड पर न चलायी जा सके तब तक के लिए प्राइवेट बसों को चलाने हेतु स्थायी रूप से परमिट जारी की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा–

फैजाबाद जनपद में माया बाजार-इल्तिफातगंज-टांडा तथा इल्तिफातगंज टांडा बसखारी जलालपुर दो भिन्न-भिन्न अराष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। फैजाबाद से माया बाजार 24 कि0मी0 का भाग फैजाबाद-अकबरपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है जिस पर परिवहन निगम की बसें चलती हैं।

माया बाजार-टांडा मार्ग के 23 परमिट धारकों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं जिसके फलस्वरूप कारीडोर प्रतिबन्ध के साथ उनकी बसें फैजाबाद तक चल रही हैं।

माया बाजार टांडा मार्ग पर सन् 1980-81 में 32 परमिट व 1981-82 में दो परमिट जारी किये गये। इल्तिफातगंज जलालपुर मार्ग पर सन् 1980-81 में 8 परमिट तथा 1981-82 में एक परमिट जारी किया गया। फरवरी, 1983 से कोई परमिट जारी नहीं हुआ । चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है इस-लिए उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया जाना उचित न होगा।

जनपद फैजाबाद, तहसील टांडा के अन्तर्गत ग्राम उमरापुर मीनापुर के बीच ड्रेवहट पर निर्माणाधीन पुल निर्माण पर व्यय

17–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद, तहसील टांडा के अन्तर्गत ग्राम उमरापुर मीनापुर के बीच ड्रेवहट ड्रेन पर पुल निर्माणाधीन है? यदि हां, तो पुल निर्माण में कुल कितना धन व्यय होने की सम्भावना है? निर्माण प्रारम्भ की तिथि व समाप्ति की तिथि क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

पुल निर्माण में कुल 46,000.00 रुपया व्यय होने की सम्भावना है।

पुल निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि 13-5-81 है। धनाभाव के कारण पुल पर स्लैब का कार्य नहीं कराया जा सका।

श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त, अधिशासी अभियन्ता, रामगंगा चैनल, निर्माण खण्ड प्रथम, कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

18–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्रीकान्त शुक्ल, अध्यक्ष, सिंचाई संघ, कानपुर तथा श्री हरि शंकर शुक्ला, सिंचाई संघ लोकल शाखा रामगंगा चैनल, निर्माण खण्ड प्रथम कानपुर आदि लोगों का प्रार्थना पत्र जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त, अधिशासी

अभियन्ता, रामगंगा चैनल, निर्माण खण्ड प्रथम कानपुर के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप थे, प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित किया दिनांक 25-10-82 को निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ को मिला था? यदि हां, तो सरकार ने उसकी जांच की स्वीकृति किस तारीख को दी और किस अधिकारी ने जांच की तथा जांच से क्या परिणाम निकला?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों के स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य, नहरें, विद्यालय, मोटर मार्ग एवं चिकित्सालयों की संख्या

19–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में 1980 से 1982 तक कितने विद्युत कार्य नहरें, विद्यालय, मोटर मार्ग, चिकित्सालय चयनित एवं स्वीकृत हैं और उनका कार्यान्वियन अब तक न होने का क्या कारण है?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)–

पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में चयनित एवं स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य, नहरें, विद्यालय, मोटर मार्ग एवं चिकित्सालयों की संख्या का विवरण संलग्न है। स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वियन किया जा रहा है, अधिकांश कार्य पूर्ण हो गये हैं। नहर तथा सड़क का कार्य प्रगति पर है?

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 306 पर।)

जनपद कानपुर में स्थित जूही बस डिपो में कार्मचारियों का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

20–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद कानपुर में स्थित जूही बस डिपो (सिटी बस डिपो) में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कि विगत 5 वर्षों या अधिक समय से जनपद कानपुर में ही कार्यरत हैं? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद कानपुर के बाहर करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत जूही बस डिपो (सिटी बस डिपो) में विगत 5 वर्षों या अधिक समय से जनपद कानपुर में ही कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 343 है। इसमें श्रेणी I व II के कोई कर्मचारी नहीं हैं। श्रेणी III के 266 तथा श्रेणी IV के 77 कर्मचारी हैं। चालकों के सामान्यतया स्थानान्तरण नहीं किये जाते हैं चूंकि उनके नाम बसों का स्थायी रूप से आवंटन होता है परिचालकों के केवल रूट ही सामान्यतया बदले जाते हैं डिपो नहीं। यदि शिकायत आदि होती है तो दूरस्थ स्थानान्तरण कर दिये जाते हैं। जे0सी0/बी0 सी0 के भी टेबुल बदली जाती हैं। कार्यशाला के कर्मचारियों

के आमतौर से स्थानान्तरण करने की कोई नीति नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के अन्य सम्वर्गों में भी उनके स्थानान्तरण शिकायत एवं उनकी स्वयं की प्रार्थना को छोड़कर दूरस्थ स्थान पर नहीं किये जाते हैं। यद्यपि ड्यूटी में आवश्यकतानुसार तबदीली कर दी जाती है। अतः प्रशासनिक दृष्टि से सभी का स्थानान्तरण करना उपयुक्त नहीं होगा। इससे कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जायेगा। साथ ही औद्योगिक अशांति भी उत्पन्न हो जायेगी। इसमें टी0ए0 इत्यादि पर अनावश्यक व्यय भार भी पड़ेगा।

झांसी जनपद में असिंचित भाग को सिंचित करने हेतु योजना

21—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद का कितना भाग असिंचित है और इस भाग को सिंचित करने के लिए शासन ने कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो वह कब से प्रारम्भ होगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

झांसी जनपद का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 4,36,955 हेक्टेयर है। इसमें से 1,77,380 हेक्टेयर राजकीय नहर प्रणाली के कमांड क्षेत्र में है। और शेष 2,59,575 हे0 नहरों के कमांड क्षेत्र के बाहर राजकीय नहरों द्वारा असिंचित है।

इस असिंचित क्षेत्र के कुछ भाग को सिंचित करने हेतु जो परियोजनायें स्वीकृत हैं उसमें से कुछ निर्माणाधीन हैं। अन्य स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य धन आवंटन होने पर किया जा सकेगा। इन स्वीकृत परियोजनाओं के निर्मित हो जाने पर 12,410 हे0 के कमांड क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

जिन परियोजनाओं का सर्वेक्षण हो रहा है उनके स्वीकृत एवं निर्माण होने पर 27,030 हे0 कमांड क्षेत्र में सिंचन क्षमता और सृजित हो सकेगी।

गोरखपुर जनपद में तेलसर रिगौरी बांध की मरम्मत में ठेकेदारों को अवशेष का भुगतान

22—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 4 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन ठेकेदारों को दो लाख रुपया भुगतान होना शेष है और यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिन ठेकेदारों का दो लाख रुपया भुगतान होना शेष है उसे संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। यह भुगतान वर्ष 1983-84 के अन्त तक कर देने का प्रयास किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 307 पर।)

कुमायूं मंडल के अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में मैगनेसाइट के कार्यरत कारखाने तथा इनसे होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय

23—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुमायूं मण्डल में अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में मैगनेसाइट के कितने कारखाने कार्यरत हैं? इनके द्वारा होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने क्या कोई नियम बनाये हैं? यदि हां, तो क्या इनका पालन हो रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुमायूं मण्डल के जिला अल्मोड़ा में डेडबर्न्ट मैग्नेसाइट का एक कारखाना ज्वाइंट सेक्टर में सर्वश्री अल्मोड़ा मैगनेसाइट लि0 के नाम से झिरोली के पास स्थापित है और जिला पिथौरागढ़ में दो कारखाने प्राइवेट सेक्टर में चण्डाक में सर्वश्री मैग्नेसाइट एण्ड मिनरल्स एवं हिमालयन मैग्नेसाइट के नाम से स्थापित हैं। इस प्रकार कुमायूं मण्डल के जिला अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट खनिज भण्डारों पर आधारित तीन डेडबर्न्ट मैग्नेसाइट कारखाने कार्यरत हैं।

उद्योग से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 क्रमशः 1974 एवं 1981 में लागू किये गये हैं। जल अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। वायु अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली तैयार की जा चुकी है तथा शासन द्वारा शीघ्र ही अधिसूचित की जानी प्रस्तावित है। तदोपरान्त वायु प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

लिपिकों की प्रोन्नति में वरिष्ठताक्रम का पालन न करने की शिकायत

24—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिपिकों के पदोन्नति में वरिष्ठताक्रम का पालन न करने की शिकायत रोडवेज मजदूर संघ ने जनवरी, 83 में उप प्रधान प्रबन्धक, मेरठ व क्षेत्रीय प्रबन्धक, अलीगढ़ को किया है? यदि हां, तो उन पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री गुलाब सेहरा—

रोडवेज मजदूर संघ द्वारा लिपिकों की प्रोन्नति में वरिष्ठताक्रम का पालन न करने के सम्बन्ध में उप प्रधान प्रबन्धक, मेरठ व क्षेत्रीय प्रबन्धक, अलीगढ़ की जनवरी, 1983 में कोई शिकायत नहीं की गयी है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

25—श्री अकबाल हुसैन—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में शासकीय कार्यपालिका के निर्णय का वैधानिक रूप से पालन

26—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब शिक्षा विभाग द्वारा उ0 प्र0 इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट, 1921 तथा उ0 प्र0 बेसिक एजूकेशन एक्ट, 1972 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित विनियमों व नियमावलियों के प्राविधानों से जब प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, तब शासनादेश संख्या 640-ख/छब्बीस-103/71, दिनांक 22-11-72 में उल्लिखित शासकीय/कार्यपालिका के निर्देश जो कि उपरिलिखित अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत निर्मित स्टेट्यूटरी विनियमों एवं नियमावलियों के प्रतिकूल है, के अनुसार कार्यवाही किये जाने का संवैधानिक आधार क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आधार शासकीय/कार्यपालिका का निर्णय है जो कि संस्था द्वारा वैधानिक रूप से पालन करना आवश्यक है।

उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत जनपद के जिला उद्योग केन्द्रों में अनुसूचित जाति के स्वीकृत पद तथा तत्कालीन प्रबन्धक श्री के0 सी0 निगम के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश

27—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में कितने प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ? तथा शासनादेश के अनुसार उनका कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसकी पूर्ति करने हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत 56 स्वीकृत पदों के विपक्ष में 54 प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) कार्यरत हैं। इनमें से 8 अनुसूचित जाति के हैं।

जी नहीं।

सम्प्रति तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण निर्धारित कोटे के अनुसार नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं। रिक्त पदों पर आरक्षण कोटा पूरा किए जाने हेतु नियमित चयन के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

28—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के जिला उद्योग केन्द्र में कार्यरत तत्कालीन प्रबंधक (खादी तथा ग्रामोद्योग) श्री के0 सी0 निगम के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में जन प्रतिनिधियों एवं जनपद निवासियों द्वारा अनेक शिकायती प्रार्थना-पत्र जुलाई, 1982 से अक्तूबर, 1983 तक शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्राप्त शिकायतों की जांच करायी गयी । जांचोपरान्त श्री निगम के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी को निर्देश दे दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के महुआ एवं बिसन्डा विकास खण्डों में परिचालित बाल विकास योजनायें

29–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के महुआ एवं बिसन्डा ब्लाक में समन्वित बाल विकास परियोजना कब से लागू की गयी तथा अब तक क्या-क्या कार्य किए गए? पूर्ण ब्यौरा क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वित्तीय वर्ष 1982-83 में बांदा जनपद के महुआ एवं बिसन्डा विकास खण्ड में बाल विकास परियोजनायें चालू की गयीं । बाल विकास परियोजना महुआ में 100 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विपरीत 78 आंगनबाड़ी केन्द्र चालू किए गए तथा इन केन्द्रों के संचालन हेतु 78 मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति की जा चुकी है । इस परियोजना में वर्ष 1982-83 में 1,80,000.00 रुपया पोषाहार वस्तुओं के क्रय पर व्यय हुआ ।

बाल विकास परियोजना बिसन्डा में 100 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विपरीत 98 आंगनबाड़ियों में नियुक्तियां की जा चुकी हैं । इस परियोजना में वर्ष 1982-83 में 1,80,000.00 रुपया पोषाहार वस्तुओं के क्रय पर व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 1983-84 के बीते हुए महीनों में हुए व्यय के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं ।

30–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

[दो राज्यों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

31–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

[दिनांक 9-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 87 द्वारा उत्तरित]

खादी ग्रामोद्योग द्वारा उद्योगों को ऋण का आवंटन

32–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जून, 1980 से लेकर अब तक खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किन-किन व्यक्तियों को कौन-कौन से उद्योगों के लिए कितना-कितना ऋण आवंटित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 308-309 पर।)

जनपद बांदा के जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी श्री गुलजारी लाल के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

33–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी श्री गुलजारी लाल के विरुद्ध कोई जांच वर्ष 81-82, 82-83, 83-84 में अब तक कराई गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? उक्त जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

कथित शिकायतों के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट से श्री गुलजारी लाल के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

प्रश्न नही उठता ।

बुन्देलखण्ड के औद्योगीकरण हेतु योजनायें

34–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के औद्योगीकरण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं विचाराधीन हैं? पूर्ण ब्योरा क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बुन्देलखण्ड के औद्योगीकरण हेतु वर्तमान में कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है। उद्योग विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर बुन्देलखंड के औद्योगिक विकास हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं । विवरण निम्नलिखित है :–

1–बुन्देलखण्ड के पांचों जिले पिछड़े घोषित किए गए हैं, जिनके औद्योगीकरण हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं । जैसे राज्य पूंजी उपादान, केन्द्रीय पूंजी उपादान, बिक्रीकर से छूट, विकास केन्द्रों में ब्याज दरों पर छूट इत्यादि ।

2–बुन्देलखण्ड के तीन जिले यथा हमीरपुर, बांदा एवं जालौन उद्योग रहित जिले हैं जिसमें एक भी वृहत एवं मध्यम उद्योग नहीं है । इन जिलों के लिए आशय/अनुज्ञापत्र प्राथमिकता के आधार पर दिलाए जा रहे हैं ।

3–बुन्देलखण्ड में वृहत एवं मध्यम उद्योग तथा डी0जी0टी0डी0 की कार्यरत 4 इकाइयां हैं तथा प्रस्तावित 22 इकाइयां हैं ।

4–राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत झांसी में कताई मिल स्थापित की गयी थी जिसकी क्षमता 25,000 तकुओं से बढ़ाकर 50,000 तकुए की जा रही है । बांदा में भी एक कताई मिल निर्माणाधीन है ।

5–केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 की एक इकाई झांसी में कार्यरत है जिसमें ट्रांसफार्मर का उत्पादन किया जा रहा है । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए 'पूरक औद्योगिक इकाइयां' प्रोत्साहित की गयी हैं ।

6—दिनांक 1-4-83 से बुन्देलखण्ड के समस्त जिलों में केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना लागू की गयी जिसमें बुन्देलखण्ड के तीन जिलों यथा हमीरपुर, बांदा एवं जालौन में 25% पूंजी उपादान देय होगा तथा झांसी एवं ललितपुर में 15% की दर से यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ।

7—अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 6 (छः) औद्योगिक आस्थान जिनमें 50 शेड तथा 149 प्लाट हैं, विकसित किए गए हैं ।

8—प्रत्येक विकास खण्ड में दो लाख रु0 से अधिक पूंजी विनियोजन की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं । वर्ष 1982-83 में इस प्रकार की 44 इकाइयां स्थापित की गयीं तथा वर्ष 82-83 तक 3896 लघु एवं कुटीर उद्योग प्रोत्साहित किए गए ।

9—कालीन के उत्पादन को बढ़ाने, अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उ0 प्र0 निर्यात निगम द्वारा गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्ष 1977-78 तथा 1983-84 के बीच 55 केन्द्र खोले गए जिससे 1700 शिल्पियों को लाभ पहुंचा ।

बांदा नगर में निम्नी बाढ़ परियोजना के सम्बन्ध में पत्र

35—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बांदा नगर में निम्नी बाढ़ परियोजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 17-6-1983 को शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

बांदा नगर में निम्नी बाढ़ परियोजना से संबंधित पत्र दिनांक 17 जून, 1983 शासन को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1 फरवरी, 1983, 24 अप्रैल, 1983, 3 अक्टूबर, 1983 तथा 10 अक्टूबर, 1983 उक्त के संबंध में शासन को प्राप्त हुए हैं तथा जिनके बारे में प्रश्नकर्ता को समुचित उत्तर भेजा जा चुका है ।

उक्त भेजे गए उत्तर में बांदा नगर को बाढ़ से बचाने के लिए बनायी गयी योजना "निम्नी नाला बांध परियोजना" जिसकी अनुमानित लागत रु0 24.42 लाख है, के बारे में प्रश्नकर्ता को अवगत करा दिया गया है ।

यह योजना तकनीकी सलाहकार समिति (बाढ़) द्वारा 20 जून, 1983 की बैठक में अनुमोदित की जा चुकी है। धन की व्यवस्था होने पर इस कार्य को कराया जायेगा ।

जनपद बांदा में उत्पादन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

36—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में बांदा शहर एवं खपरिहा कलां में उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम द्वारा एक-एक उत्पादन केन्द्र खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, बांदा शहर में एक उत्पादन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से तिंदवारी एवं खमरिहा के बुनकर भी लाभान्वित होंगे । खमरिहा तथा रैपुरा में कार्य-शाला का निर्माण हो चुका है तथा भदूहू में निर्माण हो रहा है ।

प्रस्तावित उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से बुनकरों को कच्चे माल के क्रय हेतु बैंकों से ऋण दिलाया जायेगा, उन्हें तकनीकी जानकारी दी जायेगी तथा निर्धारित मानक के अनुसार उनसे वस्त्रों का उत्पादन कराया जायेगा उनके द्वारा उत्पादित तैयार माल भी गुणात्मक परीक्षण के पश्चात् खरीद लिया जायगा, जिन्हें उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम अपने बिक्री केन्द्रों (शोरूम) के माध्यम से विक्रय करेगा ।

किला मुहम्मदी डूने पर पुल निर्माण की परियोजना

37–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 48 (दिनांक 9-2-83) के उत्तर के संदर्भ में किला मोहम्मदी डूने पर निगोहा बेनीगंज सम्पर्क मार्ग पर बाबू खेड़ा के पास पुल बनाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता को समिति तथा तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदनार्थ सन्दर्भित आकलन कब भेजा गया ? क्या उसका अनु-मोदन हो चुका है पुल बनाने के लिए सरकार कब तक संबंधित खण्ड को धन उपलब्ध करा देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित पुल निर्माण की परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति को दिनांक 29-1-83 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मोहनलालगंज तहसील के अन्तर्गत लेदर काम्पलेक्स स्थापित करने की योजना

38–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद की मोहनलालगंज तहसील के अन्तर्गत ग्राम इन्द्रजीत खेड़ा में लेदर काम्पलेक्स स्थापित करने हेतु स्थान का चयन किया गया है ? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और कब तक लेदर काम्पलेक्स बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज तहसील के अन्तर्गत लेदर काम्पलेक्स स्थापित करने की योजना जिला ग्राम्य विकास अधिकरण की है । स्थान का चयन अभी नहीं किया गया है। प्रस्तावित योजना बिचौलियों के लिए कार्य कर रहे चर्म कारीगर को उक्त स्थल पर बसाने और उनको स्वतः रोजगार दिलाने की है। काम्पलेक्स कब तक तैयार होगा यह अभी निश्चित नहीं है ।

"श्री संकठा देवी जी" के मन्दिर की जमीन से प्राप्त आय के घोटाले के संबंध में कमेटी का गठन

39—श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री राम करन—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ताओं के अता0 प्र0 सं0-77 के उत्तर में यह बताया था कि "श्री संकठा देवी जी" के मन्दिर की भूमि से प्राप्त आय-व्यय का ब्योरा मुर्तिज्मकार द्वारा न देने तथा उक्त भूमि मुर्तिज्मकार न बनने की इच्छा है तथा मन्दिर की जमीन से प्राप्त आय तथा मन्दिर की व्यवस्था आदि के लिए एक कमेटी गठित करना है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इसके बावजूद भी मुर्तिज्मकार ने पुन: जमीन में फसल बोयी है ? तो क्या सरकार अविलम्ब कमेटी गठित करके, उक्त फसल को तथा सम्पूर्ण आय को कमेटी के मातहत दिलवाने के निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक कमेटी गठित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । कमेटी गठित करने के संबंध में स्थिति यह है कि जिलाधिकारी, उन्नाव से प्राप्त सूचना के अनुसार धारा 92 सी0 पी0 सी0 के अधीन एडवोकेट जनरल या दो रुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र के आधार पर एडवोकेट जनरल की स्वीकृत के पश्चात जिला न्यायाधीश मंदिर की सम्पत्ति पर समुचित व्यवस्था हेतु प्रबंध कर सकते हैं । जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है । साथ ही उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पति अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1962 के अधीन कार्यवाही हेतु भी आयुक्त, लखनऊ मण्डल को निदेश दे दिया गया है ।

परिवार एवं बाल कल्याण योजना तथा सीमान्त कल्याण विस्तार परियोजना के कर्मचारियों को नियमित वेतन न मिलने का कारण तथा पुनरीक्षित वेतनमान की मांग

40—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सभा कल्याण सलाहकार बोर्ड उ0प्र0 के अधीन संचालित प्रदेश के 17 विकास खण्डों में कार्यरत परिवार एवं बाल कल्याण योजना तथा सीमान्त कल्याण विस्तार परियोजना के कर्मचारियों को प्रत्येक माह नियमित वेतन नहीं मिलता है। यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा संचालित परिवार एवं बाल कल्याण परियोजनाओं तथा सीमान्त कल्याण विस्तार परियोजनाओं के कर्मचारियों को नियमित वेतन न मिलने का कारण यह है कि ये योजनायें राज्य सरकार के अनुदान से वित्त पोषित हैं । यह अनुदान राज्य सरकार से राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा गत वर्षों में स्वीकृत अनुदान के सम्परीक्षित लेखे तथा उपभोग प्रमाण-पत्र समय से प्रस्तुत न करने के कारण विलम्ब से स्वीकृत हो पाता है जिस कारण इन परियोजनाओं के कर्मचारियों को प्रत्येक माह नियमित वेतन नहीं मिल पाता है ।

41—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उ0 प्र0 के अधीन कार्यरत परिवार एवं बाल कल्याण योजना तथा कल्याण विस्तार परियोजना के कर्मचारियों को 1965 का पुराना वेतनमान ही दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

इन कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षण का मामला शासन के विचाराधीन है।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के समान सुविधा देने पर विचार

42—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि राज्य समाज कल्याण सहकारी बोर्ड, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के समान ही वेतनमान, मंहगाई भत्ता एवं भविष्य निधि आदि की सुविधा प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के मुख्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन तथा मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसके साथ ही इन्हें तथा सीमान्त कल्याण विस्तार परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अंशदायी निर्वाह निधि की सुविधा भी दी जा चुकी है। परिवार एवं बाल कल्याण परियोजनाओं के कर्मचारियों को यह सुविधा देने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

जनपद बांदा में कांच उद्योग स्थापित करने की योजना

43—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम की ओर से कोई कांच उद्योग स्थापित करने की योजना है? यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्योरा क्या है? क्या वर्ष 84—85 में उक्त उद्योग का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। जनपद बांदा में 25 मिलियन वर्ग मीटर प्रति वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता का कांच उद्योग लगाने का आशय पत्र भारत सरकार से प्राप्त हो गया है। इस उद्योग में सिलिका सैण्ड पर आधार शीट ग्लास तैयार किया जायेगा। इस मामले में अभी विदेशी तकनीकी की जानकारी की जा रही है।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाने पर सम्भवतः वर्ष 1984-85 के अन्त तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जनपद बांदा में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

44–प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा–

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में जिला खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा छोटे-छोटे उद्योगों को लगाने के लिए जून, 80 से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जून, 80 से अब तक उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद, बांदा में छोटे-छोटे उद्योगों की इकाईयों की स्थापना के उद्देश्य से निम्न प्रकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है :–

खादी बोर्ड द्वारा वित्त पोषित इकाईयों की सं0	वितरित धनराशि (लाख रु0 में)
297	12·79

उक्त के अतिरिक्त ट्राइसम योजना के अन्तर्गत 17 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ।

अवैधानिक वाहनों को परमिट दिये जाने पर दायर याचिका पर निर्णय

45–श्री रामलाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 7वें बुधवार के अता0 प्र0 सं0 36 एवं 37 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अवैधानिक रूप से गाड़ी चलाने के लिए न्यायालय में केस विचाराधीन होने के बावजूद उक्त वाहन को न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही परमिट देने का क्या औचित्य है ?

श्री गुलाब सेहरा–

शासन द्वारा दिनांक 31-8-81 को अधिसूचनायें जारी करके मैटाडोर तथा तत्सदृश्य वाहनों को टैक्सी परमिट दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । नोटिस संख्या 6976 एवं 6977 द्वारा वाहन स्वामी ने याचिका दायर की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 5-7-82 को याचिका एडमिट करते हुए स्थगन आदेश पारित कर दिया था । उक्त स्थगन आदेश के अन्तर्गत वाहन स्वामी को एक अस्थायी परमिट संख्या 154 दिनांक 25-2-83 से 24-6-83 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया था जो नियमानुसार था ।

बैतालपुर रजवाहा की पटरी में खड़ंजा लगाने की कथित योजना

46–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के अन्तर्गत बैतालपुर रजवाहा (देवकली से बैतालपुर तक) की पटरी को खड़ंजा लगाने की योजना का वित्तीय वर्ष 1984-85 में प्राविधान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

स्वीकृत गण्डक प्रायोजना में प्रश्नगत कार्य हेतु कोई प्राविधान इस नहर हेतु नहीं है। नहर के रख रखाव के लिये नहर की पटरी पर खड़ंजा करने की आवश्यकता नहीं है।

देवरिया जिलान्तर्गत कागज मिल बनाने की कथित योजना

47—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत वर्ष 84-85 तक कागज मिल बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। इस प्रकार के उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाते हैं।

ग्राम जमनियां एवं श्रीपतखांड के बीच बनी पुलिया के पास हुई कटान को ठीक करने के सम्बन्ध में पत्र

48—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तहसील पडरौना स्थित जमनिया राजवहा पर ग्राम जमनियां एवं श्रीपतखांड के बीच बनी पुलिया के बगल हुई कटान को ठीक करने एवं पुलिया के पुनः स्थापन के सम्बन्ध में संस्थापक एवं महा सचेतक, आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा, शाखा उ0 प्र0, लखनऊ एवं एक विधायक का पत्र दि0 25-8-83 एवं 27-9-83/1-10-83 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पुलिया के बगल हुई कटान को ठीक कराने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य-वाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। केवल दिनांक 25 अगस्त 1983 का पत्र प्राप्त हुआ है और 27 सितम्बर, 1983/1 अक्टूबर, 1983 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कटान भरी जा चुकी है तथा आवागमन चालू है।

देवकली पम्प नहर निर्माण योजना की स्वीकृति

49—श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में देवकली पम्प नहर निर्माण योजना कब लागू की गयी तथा प्रस्तावित लागत इसकी कितनी थी और अब तक कुल खर्च कितना हो चुका है तथा कितनी भूमि सिंचन क्षमता इसकी प्रस्तावित थी तथा इस समय इसकी प्रगति की रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

देवकली पम्प नहर परियोजना 1429 लाख रुपये की लागत से वर्ष 1975 में स्वीकृत की गई थी। उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत 2788.00 लाख रुपया है। वर्ष 1982-83 तक इस परियोजना पर रुपये 1467.08 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

इस परियोजना से 82,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचन प्रस्तावित है, जिसके लिये पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त 396.70 कि0मी0 लम्बी नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 212.30 कि0 मी0 लम्बी नहर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

जनपद गाजीपुर में अनधिकृत व्यापार के मारे गये छापे तथा पकड़े गये व्यक्तियों के नाम व पते

50–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81-82, 82-83 में सितम्बर तक गाजीपुर जनपद में अफीम, मरफिया, कोडाडोन एवं हिरोइन बनाने एवं इनके अनधिकृत व्यापार के कितने छापे मारे गए हैं ? पकड़े गये व्यक्तियों के नाम पता क्या हैं तथा कुल कितने रुपये का माल छापा द्वारा कहां-कहां बरामद हुआ है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में सी0 बी0 आई0 के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मन्त्री (श्री बासुदेव सिंह)–

विवरण †संलग्न है।

सी0 बी0 आई0 से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस प्रकार के अवैध मामलों को पकड़ने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वयं ही वांछित कार्यवाही की जा रही है।

गढ़वाल एवं कुमांऊ मंडलों में उद्योग विभाग में राजपत्रित श्रेणियों के रिक्त पद

51–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडलों में उद्योग विभाग में राजपत्रित श्रेणियों में 31 अक्टूबर, 83 को कितनी रिक्तियां हैं ? ये रिक्तियां क्यों नहीं भरी गयीं, जब कि पर्वतीय क्षेत्र में तदर्थ नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध को काफी पहले हटा दिया गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल में दिनांक 31 अक्टूबर, 1983 को 13 राजपत्रित पद रिक्त थे, जिसमें से एक पद भरा जा चुका है। अवशेष पदों को भरने की कार्यवाही करने में नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के कारण समय लग रहा है तथापि इन रिक्तियों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

---

†छापा नहीं गया।

52–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

53–श्रीमती कमला साहनी–

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में राजकीय नलकूपों का छिद्रण

54–श्री प्रभुनारायण सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से अक्टूबर, 83 तक जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में कितने राजकीय नलकूप कहां-कहां छिद्रित किए गये ? क्या इन नलकूपों के पम्प हाउस, नालियां आदि आदि पूर्ण कराकर उन्हें सिंचाई हेतु चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1980 से अक्टूबर, 1983 तक जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में क्रमशः 5-5 राजकीय नलकूप निम्नलिखित स्थानों पर छिद्रित किये गये:–

क्रम सं0	विकास खंड	ग्राम का नाम
1–	जलालपुर	भूपत पट्टी
2–	,,	महरेब
3–	,,	चक्के
4–	,,	रकसवातकिया
5–	,,	इजरी
6–	मुफ्तीगंज	विझवा सारंग
7–	,,	लट्ठेपुर
8–	,,	बहरीरीजेपुर
9–	,,	घुरहूपुर
10–	,,	कटेहरी ।

उपरोक्त नलकूपों में से विकास खण्ड जलालपुर में एक नलकूप (ग्राम–भूपत पट्टी) एवं विकास खण्ड मुफ्तीगंज में 2 नलकूप (ग्राम विझवासारंग, लट्ठेपुर) के पम्प हाउ/ा, कुछ नाली आदि बनाकर सिंचाई हेतु चालू कर दिया गया है । शेष 7 नलकूपों (जलालपुर विकास खण्ड के 4 व मुफ्तीगंज के 3) का छिद्रण वर्ष 82-83 में 31-3-83 तक पूर्ण कर लिया गया था किन्तु वर्ष 1983-84 के जनपदीय प्लान में धन उपलब्ध न होने के कारण इन्हें पूर्ण कराकर सिंचाई के लिये चालू नहीं किया जा सका ।

सिकटा बादल पट्टी ड्रेन, जनपद देवरिया में पुल निर्माण की कथित योजना

55–श्री रुद्रप्रताप सिंह तथा श्री श्याम नरायन तिवारी–

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जमुनिया राजवाहा के टेलग्राम श्रीपतिखांड के दक्षिण बादल पट्टी ड्रेन, जनपद देवरिया में पुल निर्माण हेतु संस्थापक एवं महा-सचेतक, आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा शाखा उ0 प्र0, लखनऊ का पत्र दिनांक 26-8-83

तथा विधायकों का पत्र दिनांक 26-9-83 व 27-9-83 शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी पुल निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए अविलम्ब पुल निर्माण कराने की घोषणा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । प्रश्न में संदर्भित पत्र प्राप्त हुए हैं । इनका सम्बन्ध सिकटा बादल पट्टी ड्रेन से है, परन्तु इन पत्रों में बादल पट्टी ड्रेन लिखा गया है।

वांछित स्थान पर स्वीकृत योजना में किसी पुल का प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद गोंडा के ग्राम टेढवा के निकट राप्ती नदी की कटान को रोकने हेतु ठोकरों के निर्माण पर व्यय

56–श्री मसरूर जाफरी–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में विधान सभा क्षेत्र उतरौला के ग्राम सभा टेढवा तप्पा बांध में सिंचाई विभाग द्वारा जो पिछले वर्ष तथा इस वर्ष ठोकर लगायी गयी है उसमें कितना खर्च आया और उसमें पत्थर कहां का डाला गया है ? क्या उस ठोकर से गांव का कटान रुक गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद गोंडा के ग्राम टेढवा के निकट राप्ती नदी के कटान को रोकने हेतु वर्ष 1982-83 में ठोकर के निर्माण पर 7,20,385.17 रु0 व्यय किया गया।

वर्ष 1983 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त इन्हीं ठोकरों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण पर वर्ष 1983-84 में 8,46,003.00 रु0 व्यय किया गया ।

उक्त ठोकरों के निर्माण एवं मरम्मत में जरवा व शंकरगढ़ के बोल्डर लगाये गये ।

जी हां ।

जनपद शाहजहांपुर, ब्लाक खुदागंज में चालू नलकूप तथा राजस्व की प्राप्ति तथा व्यय

57–श्री जगदीश सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर ब्लाक खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत 10 ट्यूबवेल हैं ? इन ट्यूबवेलों में से वर्ष 81-82 एवं 82-83 में कितने चालू रहे और कितने खराब पड़े रहे इन ट्यूबवेल से क्या आमदनी हुई और इन पर कितना व्यय हुआ और जो ट्यूबवेल खराब रहे उनके खराब होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । इनमें से कोई भी नलकूप लगातार खराब नहीं रहा ।

इन नलकूपों से वर्ष 81-82 में रु0 24,983/- तथा 82-83 में रु0 23,836/- के राजस्व की प्राप्ति हुई । इन नलकूपों पर वर्ष 81-82 में रु0 52,156.24 तथा वर्ष 82-83 में रु0 30,753.20 व्यय हुआ ।

जो नलकूप यांत्रिक एवं विद्युत दोष से थोड़े समय के लिये बंद रहे वे ठीक कराकर चालू कर दिये गये ।

शारदा नहर, लखनऊ खण्ड 2 की नहरों की सिल्ट सफाई हेतु आमंत्रित की गयी निविदायें तथा व्यय की गयी धनराशि

58–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या सिंचाई मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे बुध के लिए निर्धारित श्री मोहन सिंह, विधायक द्वारा पूछे गए अता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर, लखनऊ, खण्ड 2 की 88 नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया था, 42 नहरों की सफाई हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी किन्तु विभागीय दर से अधिक दर होने के कारण मण्डल की स्वीकृत दरों पर कार्यादेशों के माध्यम से सफाई कराई गयी इस प्रकार कार्यादेशों के माध्यम से सफाई में कुल कितना व्यय किया गया और निविदाओं के आधार पर कितना व्यय आया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1981-82 में लखनऊ खण्ड–2, शारदा नहर की 42 नहरों की सिल्ट सफाई हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी थीं। कार्यादेश के द्वारा 3,22ं963 रु0 व्यय किये गये । यदि इस कार्य को निविदाओं के आधार पर कराया जाता तो इस पर लगभग 3.83 लाख रुपये व्यय होता ।

जिला पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के अन्तर्गत ग्रामों में पेयजल की योजना

59–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के अन्तर्गत जनजाति के लोगों से बसे ग्राम गूंजी, गब्यांग और गो के लिए पेय जल की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उसकी स्वीकृति मिल जायगी तथा कब तक इसके सुचारु रूप से चालू हो जाने की आशा है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

जी हां ।

गूंजी ग्राम की योजना का श्रोत नपच्यू में स्थित है । नपच्यू के निवासियों द्वारा पानी देने की आपत्ति के कारण गूंजी ग्राम की पेयजल योजना पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है ।

ग्राम गब्यंग तथा गो अभावग्रस्त ग्राम नहीं है। शासन की वर्तमान नीति के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के आधार पर अभावग्रस्त ग्रामों को ही पेयजल उपलब्ध कराने की प्राथमिकता निर्धारित है। अतः गब्यंग तथा गो के प्राक्कलनों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

जमरानी बांध परियोजना, जनपद नैनीताल के द्वितीय चरण के कार्यों की स्वीकृति

60–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जमरानी बांध, जनपद नैनीताल के दूसरे चरण की स्वीकृति हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस कार्य में अब तक (तिथिवार) उन्नति का विवरण क्या-क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जमरानी बांध परियोजना, जनपद नैनीताल के द्वितीय चरण के कार्यों को स्वीकृति अभी निर्गत नहीं हुई है।

जमरानी बांध परियोजना पुनरीक्षित प्राक्कलन जल आयोग, नई दिल्ली को मार्च, 1983 में अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया जहां प्राक्कलन परीक्षित किया जा रहा है तथा वर्तमान में बांध के सर्वेक्षण के कार्य प्रगति में है।

शारदा सहायक की आजमगढ़ जनपद स्थित दोहरी घाट लिंक कैनाल के निर्माण की योजना

61–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक की आजमगढ़, फैजाबाद जनपद स्थित दोहरी घाट लिंक चैनल के निर्माण की योजना किस वर्ष स्वीकार की गयी थी? उस समय उसका कुल परिव्यय कितना था और इसे कब तक पूरा किया जाना था ? 30 सितम्बर, 1983 तक कितना निर्माण शेष है और इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? शेष कार्य के लिये कितने और धन की आवश्यकता है तथा इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शारदा सहायक की आजमगढ़ जनपद स्थित दोहरी घाट लिंक कैनाल के निर्माण की योजना वर्ष 1977 में स्वीकृत की गयी थी।

उस समय परियोजना का कुल परिव्यय 681.10 लाख रु0 था और योजना को जून, 1980 तक पूरा किया जाना था।

30 सितम्बर, 1983 तक 205 कि0मी0 लम्बी नहरें तथा 390 सं0 पक्के कार्य एवं मुख्य नहर पर 8.5 कि0मी0 लाइनिंग का निर्माण कार्य शेष है।

इस योजना पर अब तक 474 लाख रुपये की धनराशि व्यय हो चुकी है।

शेष कार्यों को पूरा करने के लिये लगभग 450 लाख रुपये की आवश्यकता है इस समय धनाभाव के कारण यह कार्य एवं अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य धीमी गति से चलाना पड़ रहा है।

आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में छोटी सरयू तथा महुला गढ़वल बांध के मध्य स्थित भू-भाग में सिंचाई की व्यवस्था किये जाने की मांग

62–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में छोटी सरयू तथा महुला गढ़वल बांध के मध्य स्थित भूभाग की सिंचाई के लिये शारदा सहायक के दोहरी घाट लिंक चैनल की शाखा द्वारा व्यवस्था किये जाने की कोई मांग जनता द्वारा स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुयी है तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई नोट सितम्बर/अक्तूबर, 83 में विभागीय अधिकारियों को भेजा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थदशम मण्डल, सिंचाई कार्य आजमगढ़ ने सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 3-12-83 को आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में छोटी सरयू एवं बड़ी सरयू के बीच के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु निर्देश दिये हैं ।

इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है । सर्वेक्षण कार्य पूरा होने पर प्रस्तावों का तकनीकी औचित्य देखते हुए कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

पर्वतीय क्षेत्र में स्वीकृत मोटर मार्ग तथा व्यय

63–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में पर्वतीय क्षेत्र में कितनी कि0मी0 मोटर रोड स्वीकृत की गयी ? इन स्वीकृत मार्गों पर 1 अक्तूबर, 83 तक कितना धन व्यय हुआ और कितने किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण हुआ है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

वर्ष 1982-83 में 580·58 किलोमीटर मोटर मार्ग नव-निर्माण के लिये स्वीकृत हुए । इनके निर्माण पर 1 अक्तूबर, 1983 तक 206·54 लाख रुपया व्यय हुआ तथा 43·90 किलोमीटर मार्ग का निर्माण हुआ ।

पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के भवनों के निर्माण हेतु आवंटित की गयी धनराशि

64–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 81-82 एवं 82-83 में राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के कितने भवनों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को कितना धन आवंटित किया गया ? 1 अक्तूबर, 1983 तक भवन निर्माण की क्या प्रगति रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के 162 भवनों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल 480·53 रु0 आवंटित किया गया । दिनांक 1 अक्टूबर, 1983 तक कुल 55 राजकीय हाई स्कूल/इण्टर कालेज भवनों का निर्माण कार्य पूरा हुआ तथा भवन शिक्षा विभाग को सौंप दिये गये । 91 भवनों पर कार्य प्रगति पर है । 16 विद्यालयों के भवनों के लिये भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है ।

पर्वतीय क्षत्रों में पैदल पुलों के निर्माण की स्वीकृति तथा व्यय

65–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1982-83 के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को कितने कि0मी0 पैदल मार्ग एवं पैदल पुलों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? इन स्वीकृत पैदल मार्गों एवं पुलों पर

1 अक्तूबर, 83 तक कितना धन व्यय हो चुका है तथा कार्य की उपलब्धि क्या रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1982-83 में कोई नया पैदल मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ । 23 पैदल पुलों के निर्माण की स्वीकृति रु0 205.55 लाख की लागत पर प्रदान की गयी । स्वीकृत कार्यों पर 1-10-83 तक 3.64 लाख रुपया व्यय किया गया है तथा पांच पुल प्रगति की भिन्न-भिन्न स्थिति में हैं और शेष पर कार्य प्रारम्भ करने की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

स्वर्गीय श्री चन्द्र शेखर भट्ट, लिपिक, निदेशालय, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध मामले का निर्णय तथा पारिवारिक पेन्शन तथा अन्य देयों का भुगतान

66–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री चन्द्र शेखर भट्ट, लिपिक, निदेशालय, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, सन् 1972 में छात्रवृत्ति सम्बन्धी मामले में श्री एन0 एल0 कुरील, सहायक निदेशक, हरिजन तथा समाजकल्याण तथा अन्य के साथ निलम्बित हुए थे, दिनांक 6-8-78 को श्री चन्द्र शेखर भट्ट के निधन के फलस्वरूप ट्रिब्यूनल ने उनके विरुद्ध मामले को निरस्त कर दिया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

श्री चन्द्र शेखर भट्ट के निधन के फलस्वरूप ट्रिब्यूनल द्वारा उनके विरुद्ध चलाये गये मामले को निरस्त करने के सम्बन्ध में जानकारी की गयी है ।

67–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या मामले से सम्बन्धित दो लिपिक सर्वश्री काशी राय तथा जवाहर लाल कुरील सवेतन वर्ष 1978 में सेवा में ले लिये जाने के उपरान्त उनके सारे देय भी उन्हें दे दिये गये हैं, परन्तु स्वर्गीय भट्ट के मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्या स्वर्गीय भट्ट के मामले में शीघ्र निर्णय लेकर उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन तथा अन्य देयों का भुगतान करवाने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत प्रकरण के अन्तर्गत सर्वश्री काशी राम तथा जवाहर लाल कुरील के निलम्बन अवधि के देयों से सम्बन्धित मामला शासन के विचाराधीन है । स्वर्गीय श्री भट्ट के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि श्री भट्ट का निधन हो जाने के फलस्वरूप वित्तीय नियमों में किये गये प्राविधान के अनुसार कार्यवाही करने हेतु परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद चमोली एवं उत्तरकाशी में औद्योगिक विकास हेतु योजनायें

68—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली एवं उत्तरकाशी शून्य उद्योग जनपद हैं ? यदि हां, तो इन जनपदों के औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ? यदि हां, तो कार्यक्रम की रूप-रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । जनपद चमोली तथा उत्तरकाशी का सर्वेक्षण सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा करा लिया गया है । उक्त टास्क फोर्स द्वारा इन जनपदों में स्थापित किये जाने वाले योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगमों के फल विपणन का निर्धारित लक्ष्य

69—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83-84 में गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों का अलग-अलग आलू, सेब, माल्टा आदि फलों के विपणन का क्या लक्ष्य निर्धारित है ? 1 अक्तूबर, 1983 तक क्या उपलब्धि रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगमों के फल विपणन का लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति निम्नवत रही है :—

(लक्ष्य) वर्ष 1983—84

	कुमायूं मण्डल विकास निगम	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
आलू	—	—
सेब	500 मे0 टन	960 मे0 टन
अन्य फल जैसे माल्टा गलगल आदि	250 मे0 टन	400 मे0 टन
(उपलब्धि) अक्टूबर, 83 तक		
आलू	—	—
सेब	198.87 कुन्टल	386.846 मे0 टन
अन्य फल · · · · जैसे माल्टा गलगल आदि	477.11 कुन्टल	208.570 मे0 टन
	(दिसम्बर, 83 तक)	

पहाड़ी क्षेत्रों में खनन प्रशासन के सुदृढ़ीकरण की योजना

70—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 7-9-83 पहाड़ी क्षेत्रों में खनन प्रशासन सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के संदर्भित पत्र में उल्लिखित पहाड़ी क्षेत्रों में खनन प्रशासन के सुदृढ़ीकरण की योजना के विस्तृत परीक्षणोपरान्त पर्वतीय क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिक संरचनाओं को देखते हुए जिन पदों का औचित्य पाया गया, उनकी स्वीकृति दी गयी ।

सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा

71—श्री रघुवीर सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन बच्चों से सरकारी बसों में आधा किराया लिया जाता है और यदि उन बच्चों के अपंग होने के सी0 एम0 ओ0 के प्रमाण पत्र के आधार पर यात्री-कर से मुक्त किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

शासन ने 31-3-83 के आदेश द्वारा उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांग व्यक्तियों को किराया, समस्त कर एवं बीमा शुल्क से मुक्त कर निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान कर दी है ।

धुतू (जिला टिहरी गढ़वाल) से पंवाली कांठा-त्रियुगी नारायण (जिला चमोली) पैदल मार्ग की मरम्मत एवं रख-रखाव पर स्वीकृत धनराशि

72—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-9-83 का पत्र मिला है, जिसमें धुतू (जिला टिहरी गढ़वाल) से पंवाली कांठा-त्रियुगी नारायण (जिला चमोली) सार्वजनिक निर्माण विभाग के पैदल मार्ग की मरम्मत एवं रख-रखाव के बारे में निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो क्या पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के इस मार्ग की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

प्रश्नकर्ता का दिनांक 11-9-83 का पत्र प्राप्त हुआ है । यह मार्ग पर्यटन एवं धार्मिक महत्व का है । इस मार्ग के वार्षिक रख-रखाव की मद में 0.49 लाख रुपये की धनराशि दी गयी है ।

पिण्डर नदी पर पैठानी के लिये पैदल पुल का प्रस्ताव

73—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में विकास खण्ड नारायण बगड़ में नारायण बगड़ मौंग गधेरे के बीच नारायण मन्दिर के पास से पिण्डर नदी पर पैठानी के लिये पैदल पुल काफी वर्षों से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो पुल निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

पैठानी के लिये कथित पैदल पुल का प्रस्ताव वर्ष 1982-83 में प्राप्त हुआ था। निर्माण कार्यों की प्राथमिकतायें और समिति संसाधनों के कारण इसकी स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं हो पाया है ।

जनपद चमोली में नये मोटर मार्ग की मांग

74—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में कितने नये मोटर मार्ग मोटर यातायात के लिये उपयुक्त हैं ? इन मार्गों पर मोटर यातायात शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

जनपद चमोली में कोई भी नया मोटर मार्ग मोटर यातायात के लिये उपयुक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय विराट सम्मेलन का लखनऊ में आयोजन तथा व्यय

75—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 एवं 8 अक्तूबर, 1983 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय विराट सम्मेलन का लखनऊ में आयोजन किया गया ? यदि हां, तो उक्त सम्मेलन पर कुल कितना खर्चा हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

रु0 3,14,792.25 पैसे खर्च हुए ।

राजकीय नलकूप संख्या 51, सीतापुर हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा देय मुआवजा

76—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नलकूप संख्या 51, सीतापुर (ग्राम पकरिया धानूपुर) बनाने हेतु नालियां तथा पम्प हाउस आदि के लिये जो कृषि भूमि अधिग्रहीत की गयी उसके जोतदारों को अब तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय नलकूप संख्या 51, सीतापुर समूह की गूल तथा कमाण्ड का भू-अर्जन प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संयुक्त संगठन, लखीमपुर खीरी को भेजा गया है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होते ही मुआवजा दे दिया जायेगा।

हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं/दाइयों की समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र

77–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं, दाइयों की समस्याओं के सम्बन्ध में दिनांक 7-9-83 को सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक/अध्यापिका (एच0 टी0 सी0, जे0 टी0 सी0) तथा अध्यापक (अप्रशिक्षित) के पुनरीक्षित नये वेतनमान का शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 1984 को निर्गत किया जा चुका है। इन अनुदानित कन्या पाठशालाओं/संस्थाओं में कार्यरत दाइयों के मानदेय रु0 35/- प्रति माह को 1 अक्टूबर, 1983 से रु0 45/- प्रति माह कर दिया गया है।

उक्त वर्ग की संस्थाओं के स्टाफ तथा भवन उन्हें संचालन कर रही संस्थाओं का उत्तरदायित्व एवं नियन्त्रण में है और इनके सरकारी कर्मचारी को पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि शासन द्वारा प्रदान किया जाना शासन के सीमित साधनों में संभव नहीं है।

ग्राम हुसैनपुर सकखारी जिला फैजाबाद में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नलकूप लगाने के सम्बन्ध में पत्र

78–श्रीमती धनेश्वरी देवी–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-12-82 को श्री प्रियदर्शी जेतली, विधायक, अकबरपुर, फैजाबाद का ग्राम हुसैनपुर सकरवारी में सेहरुआ पर विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाने के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

चूंकि ग्राम हुसैनपुर-सकरवारी, जिला फैजाबाद में विश्व बैंक परियोजना फेज-द्वितीय के अन्तर्गत निर्माणाधीन नलकूपों के कलस्टर में नहीं आता है। अतः वहां नलकूप निर्माण नहीं किया जा सका।

ग्राम छातीडीह एवं जगापुर के जलप्लावन की समस्या के निराकरण हेतु प्रोजेक्ट का निर्माण

79—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त प्रोजेक्ट की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति एवं धन उपलब्ध हो चुका है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

केराकत राजबाहे के कि0मी0 26.0 के समीप ग्राम छातीडीह एवं जगापुर के जलप्लावन की समस्या के निराकरण हेतु 9.92 लाख रुपये की लागत का प्रोजेक्ट बनाया गया है परन्तु अभी इसकी अनुमति राज्य बाढ़ परिषद् द्वारा नहीं दी गयी है । बाढ़ सेक्टर में इस वर्ष रुपया बहुत कम है और अगले वर्ष भी रुपया मिलने की संभावना कम है । शारदा सहायक परियोजना में भी धनराशि बहुत कम है । योजना की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

बाजार अलीगंज में रोडवेज का बुकिंग आफिस खोलने की मांग

80—श्री मुईद अहमद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर से लखनऊ रोड पर एक बहुत बड़ा बाजार अलीगंज में है, जहां सवारियों का अत्यधिक आवागमन है ? क्या मा0 मन्त्री जी जनता की कठिनाइयों को देखते हुए अलीगंज स्थान पर रोडवेज का बुकिंग आफिस खोलने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

बाजार अलीगंज में समुचित संख्या में यात्री उपलब्ध न होने एवं निर्धारित माप-दण्ड से कम आय होने के कारण वहां पर बुकिंग आफिस खोलना संभव नहीं है । यहां पर फेयर बस स्टाप कायम किया गया है जहां बसें रुक कर यात्रियों को यात्रा सुविधा प्रदान करती हैं ।

बढ़ापुर टाउन एरिया, जनपद बिजनौर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके सर्वे किये जाने की मांग

81—श्री सूबेदार सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बढ़ापुर टाउन एरिया, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर के हरिजन और मुस्लिम बाहुल्य पिछड़े क्षेत्र को औद्योगिक विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके सर्वे करायेंगे ? ताकि वहां के उद्योगपति इस क्षेत्र में उद्योग लगा सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

किसी क्षेत्र विशेष को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा उस क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर किया जाता है, न कि किसी जाति या वर्ग विशेष की बाहुल्यता के आधार पर ।

नलकूप प्रखण्ड, जौनपुर के अवर अभियन्ता श्री जे0 एन0 दुबे का स्थानान्तरण

82—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप प्रखण्ड (लिफ्ट कैनाल), जौनपुर के अवर अभियन्ता (श्री जे0 एन0 दुबे) गत कितने वर्षों से जनपद जौनपुर में कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि दिनांक 21-6-83 को प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर सिंचाई मन्त्री ने इनका तथा एक अन्य सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण कर दिया था ? यदि हां, तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री जे0 एन0 दुबे, अवर अभियन्ता, नलकूप खण्ड, जौनपुर में दिनांक 20-6-79 से निरन्तर कार्यरत हैं। मा0 सदस्य के एक पत्र दिनांक 15-6-83 पर श्री जय नारायण दुबे का स्थानान्तरण बाहर करने के आदेश दिये गये थे किन्तु मामले पर विचारोपरान्त उनका स्थानान्तरण न करने का निर्णय लिया गया ।

ग्राम सरैया सिकन्दरपुर माइनर के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में कार्यवाही

83—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-8-83 ग्राम सरैया सिकन्दरपुर माइनेर के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सरैया सिकन्दरपुर माइनर की कुल लम्बाई 3.200 किलोमीटर है जिसमें से 1.05 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य को वर्ष 1984-85 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौगढ़ पम्प नहर से कोविलवां ग्राम वासियों को जल आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में पत्र

84—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-8-83 जो जौगढ़ पम्प नहर से कोविलवा ग्रामवासियों को पानी न मिलने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेलन बकहर परियोजना, मिर्जापुर से डूबे ग्रामों को प्रतिकर का भुगतान

85—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-9-83 जो बेलन बकहर परियोजना मिर्जापुर से डूबे ग्रामों का प्रतिकर भुगतान कराने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । प्रतिकर भुगतान हेतु धन की व्यवस्था की जा रही है । धन उपलब्ध होने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

ग्राम समसपुर, जनपद मिर्जापुर में सिंचाई हेतु गंगा नदी से लिफ्ट कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

86–श्री राम चरण सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 6-8-1983 जो ग्राम समसपुर, विकास खण्ड नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर में सिंचाई हेतु गंगा नदी से लिफ्ट कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम बेगपुर, विकास खण्ड नरायणपुर, जिला मिर्जापुर में नलकूप लगाने हेतु पत्र

87–श्री राम चरण सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 1-9-83 का पत्र जो बेगपुर, विकास खण्ड नरायणपुर, जनपद मिर्जापुर में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम बेगपुर, विकास खण्ड नरायणपुर, जिला मिर्जापुर में नलकूप लगाने हेतु एक पत्र प्राप्त हुआ है । नलकूप लगाने के सम्बन्ध में सर्वे कराया जा रहा है ।

मानिकपुर माइनर के विस्तार के सम्बन्ध में पत्र

88–श्री राम चरण सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 6-8-1983 का पत्र जो मानिकपुर माइनर के विस्तार के सम्बन्ध में था, उनको प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत माइनर के टेल विस्तार के अन्तर्गत तली में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है । शेष कार्य धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड नारायणपुर एवं सीखड़ में कार्यरत नलकूप

89–श्री राम चरण सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड नरायनपुर एवं सीखड़, जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में कुल नलकूपों की संख्या क्या है, कितने कार्यरत हैं, कितने की नाली अभी तक पक्की नहीं हुई है ? क्या उन नालियों को सरकार बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड नारायनपुर एवं सीखड़ में वर्ष 1982-83 में क्रमशः 33 व 25 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं। विकास खण्ड नारायनपुर में 12 राजकीय नलकूप व विकास खण्ड सीखड़ में 11 राजकीय नलकूपों पर पक्की नाली बनानी शेष थी। इस समय इन नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

घाघरा नदी का नाम सरयू नदी रखे जाने का कथित विचार

90–श्री निर्मल खत्री–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार घाघरा नदी का नाम सरयू नदी रक्खे जाने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

गत अनेकों वर्षों से इस नदी को घाघरा के नाम से ही जाना जा रहा है। फलस्वरूप समस्त मानचित्रों एवं देशीय तथा अन्तर्देशीय संदर्भ भी इसी नाम से प्रचलित है।

घाघरा नदी जो मुख्य नदी है, में सरयू नाम की कई छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। नाम परिवर्तन से बहुत सी समस्यायें उत्पन्न होंगी। अतः नाम परिवर्तन किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा।

विकलांग वर्ष में मिर्जापुर जनपद में विकलांगों को दी गयी सहायता

91–श्री राम चरण सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग वर्ष में मिर्जापुर जनपद में कितने विकलांगों को सरकार द्वारा कौन सी राहतें दी गयीं और उन विकलांगों के नाम एवं पता क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

विकलांग वर्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद मिर्जापुर में 36 विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान, निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को भरण-पोषण हेतु अनुदान तथा विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है। उक्त व्यक्तियों के नाम एवं पते अवलोकनार्थ संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 310 पर।)

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़ नारायनपुर के राजकीय नलकूपों की मशीनों एवं नालियों की मरम्मत पर व्यय

92–श्री राम चरण सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विकास खण्ड सीखड़ नारायणपुर के किन-किन राजकीय नलकूपों की मशीनों एवं नालियों की मरम्मत (मेन्टीनेन्स एवं रिपेयरिंग) कितनी लागत से वर्ष 81-82 व 82-83 व 83-84 में की गयी? क्या नलकूपों की नालियां अब भी खराब हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़ तथा नारायनपुर के राजकीय नलकूपों की मशीनों एवं नालियों की मरम्मत पर वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 83-84 में हुए व्यय का नलकूपवार विवरण† संलग्न है ।

नलकूपों की कुछ नालियां अब भी कहीं कम कहीं ज्यादा खराब हैं । यह नालियां सामान्य क्षति के अतिरिक्त बाढ़ से भी क्षतिग्रस्त हुई हैं ।

93–श्रीमती गौरी देवी–

[दिनांक 16-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

श्री भगवत स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता को बहाल किये जाने का आदेश

94–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सिंचाई मन्त्री प्रश्नकर्ता के विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के पहले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 169 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि श्री भगवत स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर, निर्माण खण्ड–15, गोरखपुर को पहला आरोप-पत्र 22-8-81 को दिया और दूसरा आरोप-पत्र 25-5-82 को दिया ? यदि हां, तो दोनों आरोप-पत्रों में उल्लिखित तथ्य क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि जांच अधिकारी शासन को रिपोर्ट देने में विलम्ब कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है और उनका निलम्बन कब तक समाप्त किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । पहले आरोप-पत्र में श्री भगवत स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनहीनता, स्वेच्छा से अनुपस्थित रहना और अनुचित रूप से वेतन आहरित करना तथा कार्य-प्रभारित अधिष्ठान में अनियमित नियुक्तियां करने के आरोप थे । दूसरे आरोप-पत्र में उनके विरुद्ध बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, सरकारी टेलीफोन का दुरुपयोग करने तथा कार्य-भार छोड़ते समय चेक-बुक तथा कुछ पत्रावलियां हस्तान्तरित न करने एवं अनधिकृत रूप से अपने पास रोकने के आरोप थे ।

दोनों आरोप-पत्रों की जांच आख्यायें शासन को प्राप्त हो गयी हैं । उनका निलम्बन समाप्त कर दिनांक 2-12-83 को उन्हें अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदारूढ़ करने का आदेश जारी कर दिया गया है ।

तृतीय सिंचाई खण्ड, गोण्डा द्वारा बहराइच जनपद में लकड़ी के पुल का निर्माण

95–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय उपखण्ड सिंचाई खण्ड, गोण्डा द्वारा जनपद में अनुबन्ध संख्या अधिशासी अभियन्ता 1-82-83 व अ0अभि0 2/82-83 द्वारा दो लकड़ी के पुलों को लगभग 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है और कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी

†छापी नहीं गयी ।

स्वीकृति और बेनिफिट कास्ट राशियों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया ? क्या इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान भगहा, जनपद बहराइच ने जिला अधिकारी, बहराइच को अगस्त, 83 में कोई शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । अनुबन्ध संख्या 1/ई0ई0/83-84 व अनुबन्ध संख्या 2/ई0ई0/83-84 के अन्तर्गत अलग-अलग लकड़ी का पुल का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी अनुमानित लागत क्रमशः रु0 1.68 लाख एवं 4.73 लाख है ।

अनुबन्ध संख्या 1/ई0ई0/83-84 द्वारा एक पुल बाबा सहसलमपुर ताल ड्रेन के कि0 मी0 2.2 पर निर्माण कराया जा रहा है । यह पुल ग्राम्य भंगहा तथा अन्य ग्रामों को जोड़ता है और यह रास्ता हुजूरपुर बहराइच मुख्य मार्ग से जोड़ता है । अनुबन्ध संख्या 2/ई0ई0/83-84 के अन्तर्गत एक पुल टेड़ी कट के कि0मी0 2.6 पर निर्माण कराया जा रहा है । इस पुल के द्वारा ग्राम दीवानपुर तथा रूपपुरवा को ग्राम धनपारा आदि से जोड़ता हुआ मुख्य मार्ग बहराइच हुजूरपुर मार्ग से जोड़ता है । इन दोनों पुलों का निर्माण जनहित में आवश्यक है ।

ग्राम भंगहा के प्रधान का शिकायती पत्र दिनांकित 25-7-83, अगस्त में प्राप्त हुआ । इस शिकायती पत्र के बारे में जांच विभागीय टी0 ए0 सी0 द्वारा करायी गयी और पाई गयी कमियों के अनुसार कटौती की गयी ।

प्रदेश में निलम्बित आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध मैजिस्टीरियल जांच

96–श्रीमती गौरी देवी–

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 81-82 में प्रदेश में कुल 13 आबकारी निरीक्षकों को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो उन पर आरोप क्या थे और वे कहां-कहां कार्यरत थे ? क्या यह सच है कि आबकारी आयुक्त ने उन आबकारी निरीक्षकों को आरोप पत्र नहीं दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह–

वर्ष 1981-82 में प्रदेश में 13 आबकारी निरीक्षकों को निलम्बित नहीं किया गया बल्कि केवल 6 आबकारी निरीक्षकों को निलम्बित किया गया था । निलम्बित आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का संक्षिप्त विवरण तथा उनकी नियुक्ति का विवरण संलग्न सूची में अंकित है । निलम्बित आबकारी निरीक्षकों में से 5 आबकारी निरीक्षकों को आरोप पत्र दे दिया गया है तथा एक आबकारी निरीक्षक श्री उमेश चन्द्र रस्तोगी के विरुद्ध मजिस्टीरियल जांच चल रही थी जो पूर्ण हो चुकी है । जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है । इन सभी आबकारी निरीक्षकों को पुनर्स्थापित कर दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे 311-312 पर।)

उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम की कताई मिल, अकबरपुर, जिला फैजाबाद के हेड टाइम-कीपर को मिल प्रांगण में गोली मारने के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

97—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम की कताई मिल, अकबरपुर, जिला फैजाबाद के सम्बन्ध में 14 अप्रैल, 1982 को श्रम आयुक्त, उ0 प्र0 द्वारा दिये गये पंच निर्णय के बाद बिन्दु संख्या 04 (चार) में प्रबन्धकों द्वारा श्री ओम प्रकाश सिंह व श्री विद्यासागर वर्मा द्वारा उक्त प्रतिष्ठान के हेड टाइमकीपर को मिल प्रांगण में गोली से मारने वाले मुल्जिमों के साथ पक्षपात पूर्ण कार्य करने का निर्णय दिया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है और उक्त पक्षपातपूर्ण कार्य करने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री ओम प्रकाश सिंह व श्री विद्यासागर वर्मा का मामला श्रमायुक्त के समक्ष विचाराधीन नहीं था एवं न ही उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया है ।

श्रमायुक्त ने अपने पंच निर्णय के बाद बिन्दु संख्या-4 में निम्न टिप्पणी की थी:—

"श्री बी0 एस0 पाठक ने अपने शपथ पत्र दिनांक 1-10-81 (अनुक्रम 51) के प्रस्तर 4 से 7 में इस बात का उल्लेख किया है कि विपक्षी यूनियन के श्री ओम प्रकाश सिंह की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/307 के अन्तर्गत थाना अकबरपुर के दिनांक 14 अप्रैल, 1979 की अंकित अपराध सं0 121-ए में एवं सर्वश्री ओम प्रकाश सिंह एवं विद्यासागर को दिनांक 5 अप्रैल, 1981 को मिल प्रांगण में टाइम-कीपर की हत्या करने के लिये धारा 302 के मुकदमों के अन्तर्गत अभियुक्त बनाया गया है । फिर भी इनके विरुद्ध प्रबन्धकों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जबकि इनसे कम गम्भीर अपराधों के लिये प्रश्नगत श्रमिकों के विरुद्ध द्वेषभाव से निलम्बन की कार्यवाही की गयी है, जो भ्रष्टता एवं पक्षपातपूर्ण है । यद्यपि मैं श्रमिक पक्ष के उपरोक्त कथन से पूर्णतः सहमत नहीं हूं । किन्तु इतना अवश्य प्रतीत होता है कि सर्वश्री ओम प्रकाश सिंह एवं विद्यासागर वर्मा के प्रति प्रबन्धकों ने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है जिससे श्रमिक पक्ष के कथन को बल मिलता है । परन्तु इस वाद बिन्दु से सम्बन्धित श्रमिकों के मामलों में प्रबन्धकों द्वारा की गयी कार्यवाही पक्षपातपूर्ण है अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय देना सम्बन्धित श्रमिकों के विरुद्ध चल रही घरेलू जांच पूर्ण होने पर ही सम्भवतया उचित होगा । इन श्रमिकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को देखते हुए इनका निलम्बन प्रथम दृष्टि से स्वयं में पक्षपातपूर्ण नहीं कहा जा सकता है । इस सम्बन्ध में कोई निश्चित एवं अन्तिम निर्णय घरेलू जांच की कार्यवाही पूर्ण होने पर ही दिया जाना उचित होगा ।"

सम्बन्धित श्रमिकों के उक्त प्रतिष्ठान के हेड टाइम कीपर की हत्याकाण्ड में शामिल होने की पुलिस रिपोर्ट सेवायोजकों को दिनांक 12-12-1981 को प्राप्त हुई थी । रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

प्रारम्भ की गयी । सम्बन्धित श्रमिकों को जांच के दौरान निलम्बित भी किया गया लेकिन इन श्रमिकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में याचिकायें दायर कर दीं एवं न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे दिये गये कि सम्बन्धित श्रमिकों को निलम्बन काल में पूरा वेतन दिया जाय । पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व इन श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित नहीं था । अतः किसी अधिकारी के दोषी होने अथवा उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में छिद्रित नलकूपों की संख्या

98—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में वर्ष 1981 में प्रति माह कितने राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये और वह नलकूप कब-कब सिंचाई के लिये चालू किये गये ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

जनपद बरेली में वर्ष 1981 के अन्तर्गत प्रति माह छिद्रित नलकूपों की संख्या निम्न प्रकार है :—

जनवरी, 81	7 नं0
फरवरी, 81	3 नं0
मार्च, 81	13 नं0
अप्रैल, 81	4 नं0
मई, 81	14 नं0
जून, 81	20 नं0
जुलाई, 81	1 नं0
अगस्त, 81 से दिसम्बर, 81 तक	शून्य
योग	67 नं0

उक्त छिद्रित कूपों में से अब तक 38 कूप सिंचाई के लिये चालू किये जा चुके हैं । नलकूप वार सूचना कि किस तिथि को कौन नलकूप चालू हुआ, एकत्रित की जा रही है ।

जनपद बरेली में वर्ष 1982 व 1983 में छिद्रित नलकूपों की संख्या

99—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में वर्ष 1982 में प्रति माह कितने राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये और वह नलकूप कब-कब सिंचाई के लिये चालू किये गये ?

श्री वीरबहादुर सिंह–

जनपद बरेली में वर्ष 1982 के अन्तर्गत प्रति माह छिद्रण नलकूपों की संख्या निम्न प्रकार है :–

जनवरी, 82	—
फरवरी, 82	—
मार्च, 82	—
अप्रैल, 82	—
मई, 82	1 नं0
जून, 82	3 नं0
जुलाई, 82	1 नं0
अगस्त, 82	—
सितम्बर, 82	—
अक्तूबर, 82	—
नवम्बर, 82	—
दिसम्बर, 82	—
योग	5 नं0

एक कूप का बी0 एण्ड एल0 फार्म विद्युत विभाग को प्रेषित किया जा चुका है । ऊर्जीकरण के पश्चात् ही कूप को सिंचाई हेतु चालू किया जा सकेगा । अन्य कूपों पर कार्य प्रगति पर है ।

100–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में वर्ष 1983 में प्रति माह कितने राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये और वह नलकूप कब-कब सिंचाई के लिये चालू किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बरेली में मार्च, 1983 में कुल 9 नलकूप छिद्रित किये गये । दिसम्बर, 83 तक उक्त नलकूपों में से कोई भी नलकूप सिंचाई के लिये चालू नहीं हुआ ।

उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद बरेली के शहरी व देहाती क्षेत्र में वितरित धनराशि

101–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जनपद बरेली में वर्ष 80-81, 81-82, 82-83 में क्रमशः कुल पूंजी निवेश अथवा ऋण इत्यादि का कितने प्रतिशत देहाती क्षेत्र में और कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्र में दिया गया ? क्या मन्त्री जी स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में सारा पूंजी निवेश एवं ऋण वितरण देहाती क्षेत्र में किया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद बरेली के शहरी एवं देहाती क्षेत्र को वर्ष 80-81, 81-82, और 82-83 में वितरित कुल धनराशि का प्रतिशत निम्न प्रकार है :–

वर्ष	शहरी क्षेत्र	देहाती क्षेत्र
80–81	59.5	40.5
81–82	51.00	49.00
82–83	40.25	59.75

सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं कि ग्रामोद्योगों की स्थापना से ग्रामीण अंचल के कारीगरों, उद्यमियों को ही लाभान्वित किया जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राजकीय परिवहन निगम की बसों को चलाने में व्यय तथा घाटा

102–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय परिवहन निगम की बसों को चलाने का प्रति किलोमीटर व्यय वर्ष 77-78, 78-79, 79-80, 80-81, 81-82, 82-83 में कितना था ?

श्री गुलाब सेहरा–

प्रश्नगत वर्षों में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित निगम एवं अनुबन्धित बसों का प्रति कि0मी0 व्यय वर्षवार निम्न था :–

वर्ष	परिवहन निगम बसों का व्यय प्रति कि0मी0 (पैसों में)	निगम एवं अनुबंधित सम्मिलित बसों का व्यय प्रति कि0मी0
1977–78	196	196
1978–79	211	211
1979–80	219	207
1980–81	269	242
1981–82	309	289
1982–83	353	326

वर्ष 77-78 तथा 78-79 के अनुबन्धित बसों के व्यय के आंकड़े संकलित नहीं किये जाते रहे हैं ।

103–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 77-78, 78-79, 79-80, 80-81, 81-82, 82-83 में उ0 प्र0 राजकीय परिवहन निगम को कितना-कितना घाटा हुआ ?

श्री गुलाब सेहरा–

प्रश्नगत वर्षों में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को वर्षवार घाटा-लाभ निम्नवत हुआ :–

वर्ष	हानि (लाख रु0 में)	लाभ (लाख रु0 में)
1977–78	36.01	
1978–79	248.46	
1979–80	--	62.23
1980–81	964.85	
1981–82	267.94	
1982–83	1161.31	

वर्ष 78-79 तक के आंकड़े महालेखाकार, उ0 प्र0 द्वारा सम्परीक्षित हैं। वर्ष 79-80 एवं उसके बाद के आंकड़े क्षेत्रों से प्राप्त मासिक लाभ-हानि प्रपत्रों पर आधारित हैं और अनन्तिम हैं।

प्रदेश में खाद के कारखानों के निर्माण हेतु कार्यवाही

104–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले बुधवार को श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार प्रस्ताव के महत्व को देखते हुए उस क्षेत्र में निन्धा मार्बल की मात्रा का दुबारा अनुमान जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया अथवा केन्द्र सरकार की खनिज पदार्थ सम्बन्धी खोज करने की अन्य संस्था से लगवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

खाद के कारखानों से निन्धा मार्बुल का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि खाद के कारखानों में गैस का प्रयोग किया जायेगा। अतएव इस सन्दर्भ में निन्धा मार्बुल की मात्रा का दुबारा अनुमान लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में मलारी नीति मोटर मार्ग का निर्माण हेतु कार्यवाही

105–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में मलारी नीति मोटर मार्ग को वर्ष 83-84 में निर्माण की स्वीकृति मिली है ? यदि हां, तो निर्माण हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया है ? यह मार्ग कब तक निर्मित होकर पूर्ण हो जायेगा और 1-10-83 तक इसमें कितना धन् व्यय हो चुका है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

जनपद चमोली में मलारी नीति मोटर मार्ग पर 15 से 21 कि0मी0 अर्थात् 7 कि0मी0 लम्बाई की दो पुलों सहित 45.00 लाख रुपये के लागत के कार्य की स्वीकृति 2-1-84 को वर्ष 1983-84 में दी गयी है। इस वित्तीय वर्ष में ऊपर

अंकित स्वीकृत मार्ग के लिये 2.00 लाख रुपये की व्यय की सीमा दी गयी है । इस मार्ग में वन भूमि पड़ती है इसके हस्तान्तरण पर भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य हो सकेगा । मलारी-मीति मार्ग पर 1-10-83 तक 13-73 लाख रुपये व्यय किया गया है ।

106—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[दिनांक 6-4-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 113 द्वारा उत्तरित]

विकास खण्ड बल्दीराय, सुल्तानपुर में राजकीय नलकूपों पर अंशकालिक नलकूप चालकों की नियुक्तियां

107—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर में स्थित राजकीय नलकूपों पर अंश कालिक नलकूप चालकों की कोई नियुक्ति वर्ष 1983 में की गयी है ? क्या यह सही है कि निर्धारित अर्हताओं के विपरीत अनियमित रूप से वे नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1983 मुख्य अभियन्ता, नलकूप मध्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

विकास खण्ड बल्दीराय के राजकीय नलकूपों पर अंश कालीन नलकूप चालकों की नियुक्तियां वर्ष 1983 में की गयी थीं । कोई नियुक्ति निर्धारित अर्हताओं के विपरीत अनियमित रूप से नहीं की गयी है । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-9-83 मुख्य अभियन्ता, नलकूप मध्य के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

महमूदाबाद बांध सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ की अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र

108—श्री राजेन्द्र कुमार राय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-9-83 अनुबन्ध संख्या 25 एवं 24 महमूदाबाद बांध सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ की अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें किन-किन बातों की मांग की गयी थी और उन मांगों को अब तक क्यों नहीं पूरा किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इसमें निम्न दो प्रमुख मांगें थीं :—

(1) अनुबन्ध संख्या 24 एवं 25 अ0 अ0/81-82, दि0 15-12-81 के भुगतान एवं ठेकेदारों की जमानत वापसी ।

(2) दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की मांग ।

प्रश्नगत मामला जांच में है ।

जांचोपरान्त निष्कर्ष प्राप्त होने पर मामले में कार्यवाही का प्रश्न उठेगा ।

राजकीय परिवहन निगम में घाटे के कारण का निवारण

109—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय परिवहन निगम के पिछले 6 वर्ष से बढ़ते हुए घाटे के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस घाटे को कम करने के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

परिवहन निगम के पिछले 6 वर्षों की अवधि में 5 वर्षों में घाटे का प्रमुख कारण संचालन व्यय में वृद्धि है ।

इस घाटे को कम करने के लिये निम्न उपाय किये जा रहे हैं :—

1—मार्गों पर निगम की बसों की सघन चेकिंग तथा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन विभाग तथा निगम के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत संचालन को रोकने के लिये संयुक्त चेकिंग ।

2—व्यय में मितव्ययता लाने हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(अ) नई नियुक्तियों पर रोक ।

(ब) यात्रा भत्ता, टेलीफोन, पोस्टेज आदि में कमी ।

(स) स्टाफ कार के उपयोग से सम्बन्धित कि0मी0 की सीमा का निर्धारण

(द) बैटरी, डीजल, मोबिल आयल की खपत पर नियंत्रण ।

3—बस संचालन में सुधार लाने हेतु कार्यक्षमता में वृद्धि के प्रयास किये गये ।

4—निगम बस बेड़े की स्थिति में सुधार लाने हेतु नई बसों का क्रय ।

गोरा—बारामऊ में प्रस्तावित नलकूप के सम्बन्ध में पत्र

110—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरा-बारामऊ में प्रस्तावित नलकूप के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 20-4-83 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

धन के अभाव में अभी तक नलकूप नहीं लगाया जा सका है ।

निराश्रित महिला तथा बाल सदन मौदहा, हमीरपुर में गबन की जांच

111—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन शिकायतों के गम्भीर आरोपों की जांच चल रही थी, वह पूरी हो गयी ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां, संस्था के कार्यकलापों एवं अनुदानों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में मुख्यालय के लेखाधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से जांच करायी गयी और प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार संस्था ने कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की अतः अब किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जनपद में मडहा नदी की सफाई व गहरा करने की योजना पर व्यय

112–श्री निर्मल खत्री–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में मडहा नदी की सफाई व गहरा करने की योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना में कितनी राशि के व्यय का अनुमान है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इस योजना पर रुपये 38.85 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अयोध्या में घाघरा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु ठोकर निर्माण की योजना

113–श्री निर्मल खत्री–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या में घाघरा नदी की बाढ़ से सुरक्षा के लिये मोहल्ला गोड़ियाना के निवासियों को राहत दिलाने हेतु ठोकर निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अयोध्या में घाघरा नदी की बाढ़ से सुरक्षा के लिये मोहल्ला गोड़ियाना के निवासियों को राहत दिलाने हेतु ठोकर निर्माण की कोई परियोजना इस समय विचाराधीन नहीं है ।

तथापि उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जा रहा है । तद्नुसार परियोजना तैयार की जायेगी ।

114–श्री यदुनाथ सिंह–

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जनपद में भौवापार, बेला बांध एवं कौड़ीराम गजपुर बांध में खड़ंजा बिछाने हेतु पत्र

115–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के भौवापार, बेला और कौड़ीराम सोगौरा बांधों को पूरा करके, खड़ंजा बिछाने हेतु मार्च, 83 में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया कोई पत्र सिंचाई मन्त्री को प्राप्त हुआ था, जिस पर उन्होंने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (बाढ़ व गण्डक) गोरखपुर को बांध को पूरा करने एवं खड़ंजा कराने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

पत्र दिनांक 24-2-83 गोरखपुर जनपद में भौवापार, बेला बांध एवं कौड़ीराम गजपुर बांध को खड़ंजा कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ।

भौवापार बेला बांध पर सीलिंग के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि की मांग डी0 आर0 डी0 ए0 गोरखपुर से की गयी है । धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य कराना संभव हो सकेगा ।

कौड़ीराम सोहगौरा बांध निर्माणाधीन है । बांध पूर्ण हो जाने पर ही इस पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से धन प्राप्त होने पर सीलिंग का कार्य कराना संभव हो सकेगा ।

जनपद मिर्जापुर में निर्माणाधीन कनहर परियोजना हेतु उपलब्ध की गयी धनराशि

116–श्री विजय सिंह–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में निर्माणाधीन कनहर परियोजना हेतु गत वित्तीय वर्ष में कितने धनराशि का प्राविधान था और उसमें से अब तक कितनी धनराशि निर्माण कार्य हेतु मिली ? क्या यह सही है कि अग्रिम धनराशि न मिलने के कारण कनहर परियोजना का कार्य बन्द है ? क्या निकट भविष्य में बन्द कार्य पुनः चालू करवा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कनहर परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 1982-83 में कार्यों हेतु 315.77 लाख रु0 का प्राविधान था । राज्य में अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकता के कारण कनहर योजना के निर्माण कार्यों के लिये 222.31 लाख रु0 की धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।

कनहर परियोजना का कार्य बन्द नहीं है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी रु0 86.95 लाख का व्यय कार्यों पर किया जा रहा है।

समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत किये गये कार्य तथा व्यय की गयी धनराशि

117–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 82-83 तथा 83-84 में अब तक कौन-कौन से कार्य किये गये तथा इन पर कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

उपलब्ध सूचना के अनुसार समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बांदा में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्धारण आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का चयन, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण दिलाना आदि कार्य किये गये । कार्यालय की स्थापना आदि में 14, 861.90 रु0 तथा पोषाहार क्रय करने में 1,80,000.00 रु0 व्यय किया गया ।

वर्ष 1983-84 में आंगनबाड़ी का चयन सर्वेक्षण पूर्ण करा लिया गया। प्रशिक्षण कार्य अभी चालू है। 78 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्य शुरू हो गया है तथा पिछले वर्ष क्रय किये गये पोषाहार का वितरण हो रहा है। वर्ष 1983-84 में अब तक कार्यालय तथा अन्य व्यय में 1,19,890.90 रु0 व्यय हुआ।

बुन्देलखण्ड में राजकीय नलकूपों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

118—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने शासन को बुन्देलखण्ड में विश्व बैंक की सहायता से लगाये जाने वाले राजकीय नलकूपों के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव जून, 80 से लेकर अक्तूबर, 1983 तक शासन को भेजे हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बुन्देलखण्ड में विश्व बैंक की सहायता से लगाये जाने वाले राजकीय नलकूपों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 26-6-83 का एक पत्र प्राप्त हुआ था।

द्वितीय उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निम्नानुसार नलकूप लगाने का प्राविधान किया गया है :—

बांदा	50 नलकूप
हमीरपुर	50 नलकूप
जालौन	50 नलकूप

उक्त प्राविधान के विरुद्ध वर्ष 1983-84 में निम्नानुसार नलकूपों के निर्माण प्रस्तावित हैं तथा कार्य प्रगति पर है :—

बांदा	25 नलकूप
जालौन	25 नलकूप

वर्ष 1984-85 में निम्नानुसार नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है :—

बांदा	25 नलकूप
जालौन	25 नलकूप

जमुआर नाले के सुधार की परियोजना

119—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 199 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुआर नाले के लिये बनाई गई सुधार योजना को क्या बाढ़ नियंत्रण परिषद् के तत्कालीन सलाहकार समिति को स्वीकृति के लिये भेजा गया है ? यदि हां, तो इस नाले का सुधार कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जमुआर नाले के सुधार की परियोजना दिनांक 31-10-83 को मुख्य अभियन्ता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी थी तथा उनके द्वारा इसमें कुछ सुधार बतलाये गये हैं। तद्नुसार संशोधित परियोजना शीघ्र तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

तकनीकी सलाहाकार समिति की स्वीकृति के पश्चात ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री मुत्तू प्रसाद, रोडवेज बस स्टेशन, सिसवा बाजार, गोरखपुर के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही

120—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुतू प्रसाद, रोडवेज बस स्टेशन, सिसवा बाजार, गोरखपुर के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक रहित जिसकी प्राप्ति मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या 4832 वी0 आई0 पी0/183 विधान भवन, लखनऊ दिनांक 10-83 द्वारा किया है एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम, लखनऊ के पास भेजा है, के संदर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील महाराजगंज में जल जमाव से होने वाली क्षति के सम्बन्ध में पत्र

121—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील एवं निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में जल जमाव से होने वाली क्षति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-8-83 जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपने विधान भवन, लखनऊ दिनांक 30 अगस्त, 1983 द्वारा किया है एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख अभियंता को कहा गया है, के संदर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक कारगर कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बलिया नाला (जो महाराजगंज तहसील जनपद गोरखपुर में पड़ता है) में वर्षा के पानी के साथ-साथ उनके सहायक ड्रेनों, जैसे धनेवा धनेई, बसवार ताल ड्रेन, हरदी ताल ड्रेन, बड़हरा मीर ड्रेन, एवं नरायनपुर ड्रेन का भी पानी आता है । जुलाई, 1983 माह के अन्तिम सप्ताह में जबकि नहरें चल रही थीं तथा उनकी टेल स्केपों का पानी बलिया नाले में सीधे तथा अन्य ड्रेनों द्वारा आ रहा था तभी दिनांक 24-7-83 से 31-7-83 तक 298 एम0 एम0 वर्षा हो गयी । इस प्रकार 26-7-83 को बलिया नाला के कि0मी0 17.00 से टेल तक (जिसकी रीच में सबसे अधिक नहरों के टेल स्केप गिरते हैं) जल प्लावन की स्थिति हो गयी । पानी दिनांक 28-7-83 से घटना प्रारम्भ हो गया था दिनांक 2-8-83 तक सिमट कर नाले के बेड में चला गया था । बलिया नाले के जल प्लावन में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र फल भूमि प्रभावित रही है तथा लगभग 3000 एकड़ भूमि नाले के सहायक ड्रेनों से प्रभावित रही है ।

जब रोहिन नदी में बाढ़ रहती है तो बलिया नाला का पानी नहीं निकल पाता, जिसके कारण क्षेत्र में जल प्लावन की स्थिति थोड़े समय के लिये रहती है, परन्तु जैसे ही रोहिन नदी का पानी कम हो जाता है, बलिया नाला का पानी रोहिन नदी द्वारा तुरन्त निकल जाता है तथा स्थिति सामान्य हो जाती है ।

महाराजगंज तहसील में तीन प्रमुख नाले (बलिया, रहेवा एवं नदाव) का पानी रोहिन नदी में गिरता है। अतः इन तीनों नालों का पानी शीघ्रता से रोहिन में खारिज होने के लिये नालों को कुछ जगहों पर चौड़ा करने की कार्यवाही की जा रही है। उसकी योजना ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत लगभग 22 लाख की मार्च, 83 में स्वीकृत किया जा चुका है, परन्तु उक्त योजना एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत धन अत्यन्त कम उपलब्ध होने के कारण कार्य पूरा नहीं कराया जा सका। धन के उपलब्ध होते ही शेष कार्य पूर्ण कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप पानी और तीव्रता से नालों में खारिज होकर नदी में चला जायेगा तथा स्थिति सामान्य हो जायेगी।

122—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

123—श्री निर्मल खत्री—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद मिर्जापुर की दुद्धी तहसील में निराश्रित विधवाओं को दी गयी पेन्शन

124—श्री विजय सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील में सन् 80 से 83 तक कितने निराश्रित विधवाओं को पेन्शन दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील में सन् 1980 से 1983 तक कुल 25 निराश्रित विधवाओं को पेन्शन दी गयी?

बभनी विकास खण्ड में समन्वित बाल विकास परियोजना लागू किये जाने की मांग

125—श्री विजय सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर का बभनी विकास खण्ड उ0 प्र0 का सबसे अधिक (67 प्रतिशत) का अनुसूचित जाति की जनसंख्या बाल विकास खण्ड होने के बावजूद उसे समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया? क्या मंत्री जी निकट भविष्य में बभनी विकास खण्ड में समन्वित बाल विकास परियोजना लागू करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। इस विकास खण्ड को बाल विकास परियोजना में लेने की कार्यवाही की जावेगी।

अध्यापिका श्रीमती माधुरी पाण्डेय द्वारा सेवा सम्बन्धी दायर की गयी याचिका

126—श्री मोहन सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले बुधवार को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 9 के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कथित अध्यापिका का कार्य असंतोषजनक होने की रिपोर्ट कब-कब किसने दी है? क्या इसकी सूचना अध्यापिका को दी गयी थी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्रीमती माधुरी पाण्डेय कथित अध्यापिका ने अपने सेवा सम्बन्धी मामले से संबंधित एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेन्च, लखनऊ में दायर की है। अतएव माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पूर्व इसी विषय पर कोई सूचना दिया जाना न्याय संगत न होगा। सूच्य हो कि प्रश्नगत अध्यापिका की नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित स्वैच्छिक संस्था का प्रबन्धाधिकरण है और शासन विद्यालय/आश्रम के संचालन हेतु अनुदान दे रही है।

राजकीय प्रमाणित संस्था (शिवकुटी), इलाहाबाद की जांच तथा रिपोर्ट

127–श्री ऊदल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रमाणित संस्था (शिवकुटी), इलाहाबाद की जांच तत्कालीन जिलाधिकारी, इलाहाबाद के आदेश पर नगर मजिस्ट्रेट श्री विनय कुमार श्रीवास्तव ने जांच करके जिलाधीश, इलाहाबाद को अपनी रिपोर्ट 1-9-83 को दे दी है? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या उक्त रिपोर्ट में श्री वाचस्पति मिश्र, तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के बारे में भी टिप्पणी की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। रिपोर्ट की प्रति निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण से प्राप्त हुई है जिसे माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

जी हां।

128–श्री ऊदल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं की वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच व रिपोर्ट

129–श्री यमुना प्रसाद–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के प्रथम बुधवार के श्री गोपी नाथ वर्मा के अता0 प्र0 सं0 127 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री बतायेंगे कि वरिष्ठ अधिकारी का नाम व पदनाम क्या है तथा उसे जांच हेतु प्रकरण कब सौंपा गया, जांच पूर्ण करने में अवांछित विलम्ब करने हेतु उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या अब जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखते हुए यह बतायेंगे कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत संस्था के विरुद्ध आरोपों की जांच तत्कालीन संयुक्त निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, कु0 मालती चटपार, (सेवा निवृत्ति) द्वारा की गयी। यह जांच निदेशक ने उन्हें 19-12-81 को सौंपी थी और उन्होंने जांच कार्य संस्था में

जाकर दिनांक 27-12-81 तथा 28-12-81 को पूर्ण किया । निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण ने उक्त जांच आख्या अपने पत्र दिनांक 21-3-82 द्वारा प्रशासन को प्रेषित की । परीक्षणोपरान्त शासन ने कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण पुनः विस्तृत आख्या देने हेतु निर्देश 30-9-82 को दिये जोकि प्रतीक्षित है । स्पष्ट आख्या उपलब्ध होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही के बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकेगा।

संयुक्त निदेशक की आख्या की प्रति† संलग्न है ।

130–श्री यमुना प्रसाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्रीमती माधुरी पाण्डेय को प्रशिक्षित अध्यापक के वेतनमान में बकाये का भुगतान

131–श्री यमुना प्रसाद–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के प्रथम बुधवार के श्री गोपी नाथ वर्मा के अता0 प्र0 सं0 110 के उत्तर के संदर्भ में हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती माधुरी पाण्डेय के दिनांक 1-7-1978 से प्रशिक्षित अध्यापक के वेतनमान में वेतन निर्धारण का बकाया 1-11-1978 से रोके गये मकान किराया भत्ता व बकाया तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि का दिनांक 1-1-1977 से 31-10-1978 तक का बकाये का भुगतान स्कूल द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्रीमती माधुरी पाण्डेय को प्रशिक्षित अध्यापक वेतनमान 1-7-78 से नहीं दिया गया है वरन् अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति के आदेशानुसार दिनांक 1-11-78 से प्रशिक्षित वेतनमान रु0 185-265 दिया गया है। इनका 1-7-79 से प्रशिक्षित वेतनमान रु0 185–265 में वेतन निर्धारित का धन बकाया नहीं है ।

दिनांक 1-11-78 से 30-6-79 तक अवधि का मकान किराया भत्ता इन्हें भुगतान नहीं किया गया है । क्योंकि इन्होंने जुलाई, 1979 से मकान किराया भत्ता भुगतान के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था तद्नुसार जुलाई, 79 से मकान किराया भत्ता का भुगतान किया गया ।

श्रीमती माधुरी पाण्डेय ने दिनांक 1-11-77 से 31-10-78 तक अप्रशिक्षित सहायक अध्यापिका के पद पर रुपये 170/- प्रति मास नियत वेतन पर कार्य किया है इन्हें इस अवधि का मंहगाई भत्ता संस्था से मिल चुका है । केवल उक्त अवधि का देय अतिरिक्त मंहगाई भत्ता उन्हें भुगतान नहीं किया जा सका है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड कौड़ीराम इत्यादि क्षेत्रों के गांवों में नलकूपों का छिद्रण

132—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड पिपरौली, कौड़ीराम व खोराबार के 24 गांवों में सिंचाई सुविधा के लिये सिंचाई मन्त्री को मार्च, 83 में प्रश्नकर्ता द्वारा कोई पत्र दिया गया था, जिस पर सिंचाई मंत्री ने उपरोक्त विकास खण्डों के गांवों में नलकूप लगाने का आदेश मुख्य अभियन्ता को दिया था ? यदि हां, तो नलकूप का छिद्रण अब तक न कराये जाने का कारण क्या है ? और कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड कौड़ीराम इत्यादि क्षेत्रों के गांवों में सिंचाई सुविधा के लिये जो पत्र प्राप्त हुआ था वह अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, गोरखपुर को जिला सिंचाई परामर्शदात्री समिति व जिला स्थल चयन समिति के परामर्श एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

उपरोक्त समितियों द्वारा स्वीकृत हो जाने पर नलकूपों के छिद्रण का कार्य किया जा सकेगा ।

अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच

133—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 9 अगस्त, 83 को खंडीय लेखाकार ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर ने सिंचाई विभाग के सचिव एवं मुख्य अभियन्ता गण्डक गोरखपुर को एक पत्र लिखकर अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं एवं लाखों रुपये राजस्व की हानियों के सम्बन्ध में सूचना दी थी ? क्या इसके सम्बन्ध में अगस्त, 83 में 3 अन्य पत्र लिखे गये ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में उल्लिखित वित्तीय अनियमितताएं क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

खण्डीय लेखाकार ड्रेनेज प्रखण्ड, गोरखपुर ने दिनांक 9-8-83 को एक पत्र सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल (वर्क्स) इलाहाबाद को लिखा था जिसकी प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (गण्डक), मुख्य अभियन्ता (पूर्वी नहर एवं बाढ़) एवं सचिव सिंचाई को पृष्ठांकित की थी । इस पत्र में खण्डीय कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले बीजकों में दरें सहायक अभियंताओं द्वारा लिखे जाने व मिट्टी के कार्यों की माप पिट मेजरमेण्ट के आधार पर न करके सेक्शनल मेजरमेण्ट के आधार पर करने की बात का उल्लेख है । पत्र में उल्लिखित तथ्यों की छानबीन अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल गोरखपुर ने की । इस पर कोई कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं हुई ।

मा0 प्रश्नकर्ता सदस्या कृपया यह अवगत करा दें कि यह तीन पत्र किसके द्वारा किसको लिखे गये ।

जनपद गोरखपुर में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत क्रय किये गये खाद्य पदार्थों की आपूर्ति उच्च दरों पर करने की शिकायत

134–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 82-83 में क्रय किए गये खाद्य पदार्थों का मूल्य किस दर से भुगतान किया गया है ? क्या यह सच है कि उन खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और क्रय बहुत उच्च दरों पर कराई गयी तथा भारी घपला किया गया है जिसके सम्बन्ध में अप्रैल, 83 में प्रश्नकर्त्ता सहित कई जनप्रतिनिधियों ने एवं फौजदार प्रसाद, एडवोकेट ने जिला अधिकारी, गोरखपुर से शिकायत की थी ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां । शिकायत की जांच निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा कराई जा रही है । उनकी आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी ।

रायबरेली के टायर ट्यूब फैक्ट्री में श्री आर0 के0 सिंह की मैनेजर के पद पर कथित नियुक्ति

135–श्री रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली के टायर ट्यूब फैक्ट्री में श्री आर0 के0 सिंह की मैनेजर के पद पर नियुक्ति हुई थी ? क्या यह सही है कि तीन माह के अन्दर ही उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस नाम का कोई व्यक्ति रायबरेली के टायर ट्यूब फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर नियुक्त नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर को प्रस्तावित सरकारी नलकूप

136–श्री हर गोविन्द वर्मा–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83-84 में कितने सरकारी नलकूप जनपद सीतापुर को एलाट किए गये और उसमें किन-किन ब्लाकों में बने ? जो नहीं बने उनका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1983-84 में द्वितीय उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप योजना के अन्तर्गत 25 सरकारी नलकूप जनपद सीतापुर के लिये प्रस्तावित किये गये थे। यह समस्त नलकूप ब्लाक गोदलामऊ में सफलतापूर्वक छिद्रित कर दिये गये हैं ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं की जांच तथा रिपोर्ट

137—श्री मोहन सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले बुधवार को निर्धारित अता0प्र0सं0—6 के उत्तर के सन्दर्भ में जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखते हुए क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त जांच किन-किन बिन्दुओं पर अपूर्ण पाई गयी तथा निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण को पुनः रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु कब लिखा गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जांच की प्रति †संलग्न है । यह जांच रिपोर्ट निम्नलिखित बिन्दुओं पर अस्पष्ट एवं अपूर्ण पायी गयी :—

(1) अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा संशोधन पारित करके श्री परिपूर्णानन्द वर्मा के आजन्म संस्था के अध्यक्ष बने रहने विषयक प्राविधान को नियमानुसार निबन्धक समितियां, चिटफण्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित न कराया जाना ।

(2) प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में कृषि विज्ञान के शिक्षण हेतु 3/4 एकड़ भूमि की उपज का उपभोग अध्यक्ष द्वारा निजी हित में किया जाना ।

(3) समिति द्वारा स्मारिका के मुद्रण डाक व्यय आदि का भुगतान स्कूल के खाते एवं रोकड़ बही में अंकित किया जाना ।

(4) समिति के अध्यक्ष होने के नाते स्कूल के अध्यक्ष को सम्पूर्ण भारत में यात्रा करने हेतु रेल विभाग द्वारा फ्री पास मिला होने के बावजूद कतिपय यात्राओं हेतु रेल किराया चार्ज करना ।

(5) समिति द्वारा संचालित उक्त स्कूल में जाति विशेष के अध्यापकों/कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाना।

(6) कृषि विज्ञान पढ़ाने के लिये अप्रशिक्षित अध्यापक को नियुक्त किया जाना ।

(7) स्थानीय निधि लेखा विभाग के लेखा परीक्षकों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण न किया जाना ।

8—शिक्षा संहिता के नियम लागू होने के बावजूद स्कूल के लिये की जाने वाली नियुक्तियों में नियमानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति न लिया जाना।

9—स्कूल के प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त श्री रविदत्त शर्मा को नियमों के विरुद्ध अधिक पेन्शन देकर लाभान्वित किया जाना।

उक्त बिन्दुओं पर पूर्ण जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 30-9-82 को लिखा गया जो कि अभी प्रतीक्षित है।

---

†छापी नहीं गयी ।

बोकटा बरवार बांध, जनपद गोरखपुर में पत्थरों की आपूर्ति

138—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82-83 में बोकटा बरवार बांध, जनपद गोरखपुर में कुल कितनी मात्रा में पत्थरों की आपूर्ति ली गयी? क्या यह सच है कि इस बंधे पर एक ही स्थान पर एक ही समय दो विभिन्न दरों पर एक सौ उन्नचास रुपये प्रति घनमीटर एवं एक सौ बहत्तर रुपये प्रति घनमीटर की दरों पर पत्थर आपूर्ति कराई गयी और एक सौ उन्नचास रुपये के दर से पत्थर की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार से सभी पत्थर न लिये जाने का कारण क्या था? क्या इनकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1982-83 में बोकटा बरवार बांध, जनपद गोरखपुर में 2510 घनमीटर पत्थरों की आपूर्ति ली गयी।

जी हां।

बांध के 7-2 कि0मी0 से 7-5 कि0मी0 के मध्य 7 लाटों में निविदायें मांगी गयीं थीं और भिन्न-भिन्न लाटों में भिन्न-भिन्न दरें आईं। सभी दरें विभागीय दर से कम थीं। क्षेत्रीय अधिकारियों ने सभी निविदाओं पर आपूर्ति ली। ऐसा करने में, किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः 149/- रुपये की दर देने वाले ठेकेदार से सभी आपूर्ति देने का प्रश्न नहीं उठता।

किसी जांच का मामला नहीं बनता है।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ब्लाक लहरपुर, परसेन्डी एवं हरगांव में चालू किये गये नलकूप

139—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक लहरपुर परसेंडी और हरगांव, जनपद सीतापुर में 30 जून, 83 तक कितने ट्यूबवेल बने और उसमें कितने ट्यूबवेल कार्यरत हैं और कितने ट्यूबवेल अभी बिजली के अभाव में, नाली के अभाव में या किसी अन्य कारणों से चल नहीं रहे हैं ? वह कब तक चालू करा दिये जायेंगे ? इस कार्य में विलम्ब करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ब्लाक लहरपुर में 29, परसेंडी में 36 एवं हरगांव में 44 ट्यूबवेल 30 जून, 83 तक बने । इसमें से 101 ट्यूबवेल कार्यरत हैं।

1983-84 में जिला प्लान में सामान्य नलकूपों हेतु धन का प्राविधान न होने के कारण 8 नलकूप चलाये नहीं जा सके हैं । जिला योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध होने पर नलकूप चालू करा दिये जायेंगे ।

इस कार्य में विलम्ब के लिये कोई कर्मचारी दोषी नहीं है । अतः कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन निगम द्वारा किराये में वृद्धि

140—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के प्रश्नकर्ता के अल्पसूचित ता0 प्र0 संख्या 1, दिनांक 2-9-83 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निगम द्वारा जो किराये में वृद्धि कर दी गयी है वह किस दर से तथा किराया वृद्धि के बाद लखनऊ डिपो में राजस्व में क्या वृद्धि हुई है ?

श्री गुलाब सेहरा—

परिवहन निगम द्वारा किराये में दिनांक 21-9-83 से 25 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर दी गयी है। परिवहन निगम में लखनऊ डिपो नहीं है बल्कि लखनऊ क्षेत्र है और लखनऊ शहर में परिवहन निगम के चार डिपो हैं। 25 प्रतिशत किराया वृद्धि के पश्चात इन डिपोज की राजस्व में वृद्धि की स्थिति गत वर्ष की तुलना में इन्हीं माहों में निम्नवत है :—

रु0 लाख में

डिपो	सित0 82 22 से 30 तक	सि083 22 से 30 तक	वृद्धि अन्तर	अक्तू0 82	अक्तू0 83	वृद्धि अन्तर	नव0 82	नव0 83	वृद्धि अन्तर	दिस0 82	दिस0 83	वृद्धि अन्तर
नगर बस	1.66	2.59	0.93	4.67	6.10	1.43	4.76	5.86	1.10	4.29	4.86	0.57
कैसरबाग	3.83	4.96	1.13	14.71	17.87	3.16	15.45	20.45	5.00	15.15	19.27	4.12
चारबाग	3.12	3.85	0.73	11.51	14.64	3.13	12.30	15.71	3.41	11.59	14.42	2.83
अमौसी	0.75	1.05	0.30	2.94	4.24	1.30	3.60	4.33	0.73	3.69	4.37	0.68

श्री एस0 पी0 मिश्र, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग रिंग्स वाराणसी के विरुद्ध विजिलेन्स जांच

141—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 से 1976 के मध्य श्री एस0 पी0 मिश्र, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग रिंग्स, वाराणसी के विरुद्ध विजिलेन्स जांच करायी गयी थी और क्या लगभग 42 लाख रुपये का गोलमाल प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री एस0 पी0 मिश्र, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, रिंग्स प्रखण्ड, वाराणसी के विरुद्ध वर्ष 1976 में दो सतर्कता जांच आदेशित की गयी थी । पहली सतर्कता जांच रिपोर्ट मई, 1980 में प्राप्त हुई थी । श्री मिश्र के विरुद्ध यह आरोप सिद्ध पाया गया था कि उन्होंने 4 विटों की मरम्मत कराने में नियमों का पालन नहीं किया और इस कार्य हेतु कुल 10,600 रुपये का भुगतान किया । इस अनियमितता के लिये श्री मिश्र को शासन द्वारा भर्त्सना प्रविष्टि दी जा चुकी है ।

श्री मिश्र के विरुद्ध दूसरी सतर्कता जांच रिपोर्ट अप्रैल, 1981 में प्राप्त हुई थी, जिसमें श्री मिश्र को सामान का दुर्विनियोग करने तथा फर्जी माप के आधार पर शासकीय धन का भुगतान करने का दोषी पाया गया और उसके आधार पर श्री मिश्र के विरुद्ध धारा 409/120-बी भारतीय दण्ड संहिता व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है । श्री मिश्र को अभियोजन पर्यन्त आदेश दिनांक 13 जनवरी, 1984 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देवरिया (श्री जी0 डी0 दुबे) के विरुद्ध जांच

142—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं अनेक विधायकों द्वारा कोई एक शिकायती पत्र मार्च, अप्रैल, 1983 में (बाढ़ कार्य खण्ड) सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देवरिया (श्री जी0 डी0 दुबे) के विरुद्ध दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शिकायती पत्र के आरोप जांच में निराधार पाये गये । अतः किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को निर्गत किये गये आदेश

143—श्री मोहन सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 88 के संदर्भ में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति को निर्गत आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखते हुए हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को निर्गत आदेश सम्बन्धी पत्र संख्या 637-43/02-03/शिक्षा-ब, दिनांक 17 जुलाई, 1982 की प्रतिलिपि संलग्न है।

जहां तक अनुदान दिये जाने का प्रश्न है प्रश्नगत संस्था विशेष प्रकार की पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं अपराधशील प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के बालकों की शिक्षा एवं विकास हेतु आवासीय संस्था है जोकि हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा शत प्रतिशत अनुदानित है। किसी एक सहायक अध्यापिका अथवा कर्मचारी के सेवा समाप्ति अथवा अन्य सेवा सम्बन्धी मामले, जिसको लेकर प्रबन्धाधिकरण तथा सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये हों, और वाद माननीय उच्च न्यायालयों में भी विचाराधीन हो, विद्यालय जोकि मान्यता प्राप्त हैं, के अनुदान को रोकने अथवा स्थगित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। वैसे भी आवासीय छात्रों की शिक्षा तथा भरण पोषण में व्यवधान किया जाना जनहित में न होगा जब तक कि विभाग को संस्था के विरुद्ध किन्हीं वित्तीय अनियमितताओं के स्पष्ट एवं घोर उल्लंघन करने की साक्ष्य न मिले।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 313 पर।)

पूर्वी यमुना और आगरा नहर पर बनाए गये नलकूपों का पानी खारा होने से हुई हानि

144–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 नलकूप निगम द्वारा पूर्वी यमुना और आगरा नहर पर बनाये गये लगभग 40 नलकूपों का पानी खारी पाया गया है जिसके कारण उनका उखाड़ा जाना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इससे कितने रुपए की हानि होगी तथा स्थल चयन के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम द्वारा पूर्वी यमुना नहर के किनारे जनपद सहारनपुर में 6 नलकूप, आगरा नहर के किनारे जनपद आगरा में 12 नलकूप एवं मथुरा में 23 नलकूप का निर्माण किया गया था।

जनपद सहारनपुर में कोई नलकूप खारा पानी होने के कारण असफल नहीं है। आगरा जनपद में केवल एक नलकूप तकनीकी खराबी के कारण असफल है। मथुरा जनपद के 22 नलकूप खारा पानी होने के कारण असफल हैं। इन नलकूपों के पाइप उखाड़ने के आदेश नलकूप निगम द्वारा दिये जा चुके हैं। शेष एक नलकूप चालू है।

इन 22 नलकूपों के निर्माण पर रु0 15,17,522 लागत आयी थी। लेकिन पाइप आदि उखाड़ने पर निकली हुई सामग्री का मूल्य उपरोक्त लागत में से कम हो जायेगा। अतएव खारा पानी के कारण हुए असफल नलकूपों पर हुई हानि का सही मूल्यांकन पाइप उखाड़ने के बाद ही किया जा सकता है।

आगरा नहर के किनारे आगरा तथा मथुरा जनपद में 200 संवर्धन नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में 15-7-76 को उ0 प्र0 नलकूप निगम की टेकनिकल कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में डा0 बी0 डी0 पाठक, निदेशक, भूगर्भ जल परिषद्, भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आगरा तथा मथुरा जनपद में प्रस्तावित संवर्धन नलकूपों के क्षेत्र में पानी खारा है परन्तु यदि इस पानी को नहर के पानी के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाकर नहर में सप्लाई किया जाये तो यह पानी सिंचाई के लिये कोई समस्या पैदा नहीं करेगा।

अतएव यह स्पष्ट है कि आगरा एवं मथुरा जनपदों में लगाये जाने वाले संवर्धन नलकूपों के क्षेत्र में खारा पानी होने का ज्ञान पहले से ही था। इन नलकूपों का निर्माण टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट पर विचारोपरान्त किया गया था।

इस प्रकार खारे पानी के क्षेत्र में निर्माण स्थल चयन करने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। इस सम्बन्ध में एक जांच प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा भी की गयी, जिसमें किसी भी अधिकारी विशेष को दोषी नहीं पाया गया है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री श्रवण कुमार तिवारी, ठेकेदार को सिंचाई विभाग में किये गये कार्यों का भुगतान

145—श्री भीखा लाल—

द्वितीय सत्र 83 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0—153 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आरोपों की जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मामले की विभागीय जांचोपरान्त यह निष्कर्ष निकला है कि श्री श्रवण कुमार तिवारी, ठेकेदार ने जिन कार्यादेशों के अन्तर्गत कार्य कराया उन सभी का पूर्ण भुगतान उनको कर दिया गया है।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में की गयी नियुक्तियां

146—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित उ0 प्र0 राज्य कताई मिल में वर्ष 1982 से जून, 1983 तक कितनी भर्तियां किन-किन पदों के लिए की गयीं? क्या उन पदों के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन अथवा सेवायोजन कार्यालय को लिखा गया था? यदि हां, तो किन-किन पदों के लिए कितने अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय से तथा प्रार्थना-पत्रों पर आये और उनमें से कितने लोग किन-किन पदों के लिए चुने गये?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनवरी, 1982 से जून, 1983 तक कुल 513 नियुक्तियां की गयी जिनका ब्यौरा निम्नप्रकार है:—

1—सुरक्षा जमादार	1
2—सुरक्षा रक्षक	10
3—ट्रेनीज	502

सुरक्षा जमादार के पद के लिए सैनिक परिषद् को उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भेजने के लिए सूचित किया गया था । इसी प्रकार सुरक्षा रक्षक के रिक्त स्थानों की सूचना भी सैनिक परिषद् को भेजी गयी थी। फायर फाइटिंग में प्रशिक्षित अभ्यर्थी, सैनिक परिषद् के माध्यम से उपलब्ध न होने पर सेवायोजन कार्यालय को उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भेजने के लिए अनुरोध किया गया था तथा नोटिस बोर्ड पर भी सूचना लगाकर प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे ।

ट्रेनीज के लिए सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे गये थे तथा नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाकर भी प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए गए थे।

सुरक्षा जमादार के लिए सैनिक परिषद् से केवल एक अभ्यर्थी का नाम भेजा गया था तथा उपयुक्त पाये जाने पर उसे नियुक्त किया गया ।

सुरक्षा रक्षक के लिए सैनिक परिषद् से अभ्यर्थी उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्त किये गये ।

सेवायोजन कार्यालय, फैजाबाद से किसी भी अभ्यर्थी का नाम प्रेषित न किये जाने के उपरान्त एक सुरक्षा रक्षक जो फायर-फाइटिंग की योग्यता रखता था, कि नियुक्ति सीधे प्राप्त प्रार्थना पत्र विचार कर उपयुक्त पाये जाने पर की गई तथा एक सुरक्षा रक्षक की नियुक्ति सराधन अधिकारी, फैजाबाद के समक्ष हुए समझौता दिनांक 15-9-82 के अनुसार की गयी ।

ट्रेनीज के लिए सेवायोजन कार्यालय से 599 अभ्यर्थियों के नाम भेजे गये थे जिनमें से 142 अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्त किया गया। नोटिस बोर्ड पर लगायी गयी सूचना पर 573 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 360 अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्त किया गया ।

गोंडा डिपो की आय में वृद्धि

147—श्री अकबाल हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा डिपो, जनपद गोंडा में भी जब से बस किराया में वृद्धि हुई है तब से डिपो की आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है या कमी आयी है? यदि घाटा हुआ है, तो क्या सरकार बस किराया की वृद्धि समाप्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा—

दिनांक 21-9-83 से किराये में वृद्धि के फलस्वरूप उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के गोंडा डिपो, जनपद गोंडा की आय में 21-9-83 से दिसम्बर, 1983 तक की अवधि में वर्ष 1982 की इसी अवधि की तुलना में आय में वृद्धि हुई है।

मेला, बेलन नहर, प्रखण्ड में तथा करछना, टोन्स लिफ्ट नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद में सीपेज के निवारण हेतु नालों एवं सीपेज ड्रेन का निर्माण

148—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेला, बेलन नहर प्रखंड में तथा करछना, टोन्स लिफ्ट नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद में नहरों में अधिकांश जगहों पर पिचिंग नहीं हुआ है जिसमें सीपेज से काफी जमीन डूबी रहती है? क्या इस पर शीघ्र कार्यवाही करके सभी जगहों पर जहां सीपेज होता है पिचिंग करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, पिचिंग हुई है।

नहर से पानी का रिसाव कुछ स्थानों पर (8 कि0मी0 रीच) पत्थर के दरारों के कारण है। ऐसे स्थानों में लाइनिंग करने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ स्थानों में (34 कि0मी0 रीच में) नहर के बैंक से रिसाव के पानी के कारण जल भराव समस्या उत्पन्न हो रही है जिसके निवारण के लिए नालों एवं सीपेज ड्रेन के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है।

सीपेज के निवारण हेतु नालों एवं सीपेज ड्रेन का निर्माण ही व्यवहारिक है और इसकी व्यवस्था की जा रही है।

अयोध्या में घाघरा नदी से "अयोध्या पम्प नहर स्टेज-2" नामक योजना की स्वीकृति

149–श्री निर्मल खत्री–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी से अयोध्या में शारदा सहायक नहर की एक नयी शाखा निकालने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां तो इस पर कार्य कब से प्रारम्भ किया जा रहा है व योजना कितनी धनराशि की है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

अयोध्या में घाघरा नदी से "अयोध्या पम्प नहर स्टेज-2" नामक योजना शासन द्वारा दिनांक 2-12-1983 को स्वीकृत की गयी है। योजना की अनुमानित लागत 134 लाख रु0 है और निर्माण कार्य 1983-84 से प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

प्रदेश में हरिजन एवं समाज कल्याण के निदेशालय अलग-अलग स्थापित किये जाने का निर्णय

150–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1981 में शासन ने निर्णय लिया था कि हरिजन एवं समाज कल्याण के निदेशालय अलहदा-अलहदा स्थापित किए जायेंगे और हरिजन कल्याण और समाज कल्याण के तत्कालीन मंत्री ने भी वर्ष 82-83 के अपने विभागीय अनुदानों की चर्चा पर बोलते हुए सदन में इस आशय की सूचना भी दी थी? यदि हां, तो इस निर्णय को अभी तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दिनांक 28 जनवरी, 1981 को प्रदेश में एक समाज एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना का निर्णय मंत्रि परिषद् द्वारा लिया गया था परन्तु कतिपय अपरिहार्य कारणों से उस निर्णय के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया है परन्तु भारत सरकार के निदेशन पर समन्वित बाल विकास योजनाओं के कार्य को देखने के लिए वर्तमान निदेशालय में एक अतिरिक्त निदेशक का पद सृजित कर दिया गया है।

जमरानी बांध योजना से उच्चीकरण होने वाले सिंचन संकर्मों का भौगोलिक क्षेत्रफल

151—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र सन् 1983 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न सं0 24 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकरण होने वाले 16 सिंचन संकर्मों के कमांड क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और उसमें से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की सिंचाई क्रमशः पिछले 3 वर्षों में हुई ? क्या उच्चीकरण के पश्चात कुछ और क्षेत्रफल भी इनके कमांड में बढ़ जायेगा? यदि हां, तो कितना?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जमरानी बांध योजना से उच्चीकरण होने वाले 16 सिंचन संकर्मों का भौगोलिक क्षेत्रफल 2—26 लाख (लगभग) हेक्टेयर है।

16 संकर्मों में सिंचाई का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार निम्नानुसार है :—

1980-81	76 %
1981-82	57 %
1982-83	57 %

यह प्रतिशत 14 संकर्मों की वास्तविक सींच तथा शेष दो संकर्मों (गोलावार तथा गोलापार) की अनुमानित सींच पर आधारित है क्योंकि इन दो संकर्मों की सिंचाई दर्ज नहीं होती है।

जमरानी बांध की पुनरीक्षित परियोजना के अनुसार उच्चीकरण के फलस्वरूप 70,815 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता उपलाध होने का अनुमान है परन्तु वर्तमान सिंचन संकर्मों का कमाण्ड क्षेत्रफल यथावत् रहेगा।

बरेली, रामपुर एवं नैनीताल में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां तथा लगी हुई पूंजी का विवरण

151—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग कार्यालयों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनपद बरेली, रामपुर एवं नैनीताल में क्रमशः वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में वर्षानुसार कितनी पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां थी और इनमें जनपद एवं वर्ष अनुसार क्रमशः कितनी पूंजी लगी हुई थी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बरेली, रामपुर एवं नैनीताल में वर्ष 1980, 1981 एवं 1982 में वर्ष अनुसार पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों और इनमें जनपद एवं वर्ष अनुसार लगी हुई पूंजी का विवरण निम्न प्रकार है :—

जनपद का नाम	वर्ष	इकाइयों की संख्या	पूंजी विनियोजन (लाख रु0 में)
बरेली	1980	1092	1068·14
	1981	1213	1297·42
	1982	1326	1510·50
रामपुर	1980	313	376·24
	1981	415	477·48
	1982	455	544·78
नैनीताल	1980	612	2488·83
	1981	778	2637·14
	1982	914	2825·58

डांग धारी चिरबिटिया मोटर मार्ग पर प्रारम्भ यातायात सेवा

153–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद में डांग धारी चिरबिटिया मोटर मार्ग में कब से कीर्तिनगर से कार्य प्रारम्भ हुआ था और अब तक यह मार्ग पूरा बना है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो इस पर कब तक यातायात सेवा आरम्भ होगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कीर्तिनगर से 6 कि0मी0 लम्बाई में वर्ष 1977-78 से कार्य प्रारम्भ किया गया। कीर्तिनगर से 11 कि0मी0 मार्ग बन कर यातायात हेतु खोल दिया गया है। दो कि0मी0 में एक किलोमीटर पर निर्माण निजी भूधारकों की भूमि अर्जित होने पर तथा एक किलोमीटर आरक्षित वन भूमि पर निर्माण भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर किया जा सकेगा। इस मार्ग की दो किलोमीटर अतिरिक्त लम्बाई वर्ष 1983-84 में 2-1-84 को स्वीकृत की गयी है शेष भाग अभी स्वीकृत नहीं है। मार्ग के निर्मित भाग में यातायात खुला है।

पर्वतीय क्षेत्र में लघु उद्योग कार्यशालाओं के भवनों के किराये की निर्धारित दरें

154—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योग कार्यालय व कर्मशाला के निजी भवनों में खोलने पर किराये की वर्तमान दरें किस आधार पर किस मानक से तय की जाती है? क्या सरकार महंगाई के अनुसार इस दर को स्वतः बढ़ाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

पर्वतीय क्षेत्र में लघु उद्योग कार्यशाला निजी उद्यमियों द्वारा खोले जाने पर कार्यशालाओं के भवनों का किराया शासन द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कार्यशालाओं हेतु किराये पर लिये गये भवन का किराया शासन द्वारा निर्धारित दरों पर दिया जाता है।

श्री दिनेश चन्द्र पाठक तथा कु0 बसंती पाठक का छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र

155—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि श्री दिनेश चन्द्र पाठक व उनकी अनुजा कु0 बसन्ती पाठक पुत्र पुत्री श्री गोपालदत्त पाठक, वर्तमान स्थायी निवासी थल, जनपद पिथौरागढ़ को उस सत्र तक सभी क्रमशः विधि प्रथम वर्ष व स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति दिये जाने के लिए पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा था? इसी संदर्भ में उ0 प्र0 शासन के अभ्यर्थना अनुभाग—1 के पत्रांक स/7782/चौबीस-1-1981, दिनांक 24-7-82 द्वारा प्रधान मंत्री को सम्बोधित पत्र शिक्षा सचिव को भेजा गया तथा तत्कालीन केन्द्रीय योजना मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के पत्रांक 5741/एम0 एफ0/80, दिनांक 4-10-80 व उ0 प्र0 के तत्कालीन सूचना राज्य मंत्री ने पत्रांक 2/253/5 एम0 एफ0, दिनांक 24/25 अप्रैल, 81 तथा पत्रांक 31 दि0 15 जुलाई, 81 द्वारा पर्वतीय विकास मंत्री जी से संबंधित अभ्यर्थियों की रुकी छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु लिखे पत्र प्राप्त हुए? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अब तक तिथिवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी? कब तक प्रार्थियों को अब तक रुकी पूरी छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्री दिनेश चन्द्र पाठक का विधि प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष तथा कु0 बसंती पाठक का स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में सीमान्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़ को सम्बोधित शिक्षा सत्रों में प्राप्त हुआ था। प्रश्न पर इंगित श्री काशी नाथ मिश्र के 2 पत्र भी प्राप्त हुए थे। मामले में शिक्षा निदेशक से दिनांक 31-7-81 को आख्या मांगी गयी। शिक्षा निदेशक की आख्या उनके पत्र दिनांक 16-9-81 में प्राप्त हुई। श्री दिनेश चन्द्र पाठक का विधि प्रथम वर्ष हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुआ था जिसके कारण उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा विचार नहीं किया गया।

चूंकि उनके पिता की वार्षिक आय निर्धारित आय सीमा से अधिक थी अतः श्री दिनेश चन्द्र पाठक का स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के लिए तथा कु0 बसंती पाठक का स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए छात्रवृत्ति जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा नियमानुसार स्वीकृत नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में उन्हें छात्र-वृत्ति राशि देने का प्रश्न नहीं उठता ।

वाहन संख्या यू0 टी0 सी0 9963 पर बकाया शासकीय शुल्क

156—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक का दिनांक 28 मई, 1981 का पत्र जो ट्रक नं0 यू0 टी0 सी0 9963 (चेसिस नं0 ए0 एल0 778775) के रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि न देने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दिनांक 27-10-1983 तक उपरोक्त ट्रक पर कितना शासकीय शुल्क बकाया है तथा उस सम्बन्ध में दिनांक 27-10-83 तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि शासकीय शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में आर0 टी0 ओ0 लखनऊ द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

वाहन संख्या यू0 टी0 सी0 9963 का स्वस्थता प्रमाण-पत्र 12-2-82 तक तथा मालकर का एक मुश्त समझौता 10-3-81 तक ही वैध था। अतः मार्ग कर 31-3-82 व मालकर 10-3-81 तक देय था।

मार्ग-कर रु0 8,642.90 व माल-कर रु0 3,240.00 एवं शासित रु0 810/- कुल रु0 12,692.90 बकाया था जिसकी वसूली हेतु प्रमाण-पत्र संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को भेज दिये गये हैं ।

शारदा नहर के खण्ड 36 के रख रखाव एवं मरम्मत व्यय

157—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर के खण्ड 36 के रख रखाव एवं मरम्मत पर वर्ष 82-83 में कितना धन व्यय किया गया है? क्या यह सत्य है कि इस नहर की सफाई न होने एवं दुर्व्यवस्था के कारण जनपद जौनपुर के अपने क्षेत्र में यह पूरी क्षमता से पानी नहीं दे पाती है ? क्या सरकार इसकी सफाई कराकर एवं अल्पिकाओं को पूर्ण कराकर नियमित रूप से जल आपूर्ति करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रु0 5,01,352/- व्यय किया गया । उपलब्ध धनराशि के अनुसार नहरों की यथासंभव मरम्मत कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गयी । वर्तमान में उपलब्ध धनराशि के आधार पर नहरों की सफाई कराकर एवं अल्पिकाओं के शेष टुकड़ों को पूर्ण कराकर नियमित रूप से जल आपूर्ति कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

लखनऊ शहर में शराब घोटाले में आबकारी निरीक्षकों का निलम्बन तथा बहाली

158—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष लखनऊ शहर में करोड़ों रुपये के मूल्य की शराब घोटाले में विभाग के जिन-जिन लोगों को निलम्बित किया गया था, इन सभी को बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

अपराध अनुसंधान विभाग की अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान इकाई द्वारा जांच होने तथा निलम्बन की अवधि छः माह से ऊपर होने के कारण सम्बन्धित निरीक्षकों को बहाल कर दिया गया था ।

गत वर्ष लखनऊ शहर के विदेशी मदिरा की दुकानों तथा अवैध विदेशी मदिरा की भारी बरामदगी के कारण लखनऊ शहर के दो आबकारी निरीक्षकों सर्वश्री आर0 बी0 सिंवारी तथा आर0 सी0 निगम सेक्टर 1 व 4, लखनऊ प्रवर्तन दल के दो आबकारी निरीक्षकों सर्वश्री जे0 पी0 पाण्डेय व ए0 एन0 मिश्र को माह जनवरी, 1983 में निलम्बित किया गया था । उपरोक्त चारों आबकारी निरीक्षकों को आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 20 अगस्त, 1983 द्वारा पुनर्स्थापित कर दिया गया ।

नैनीताल एवं रामपुर जनपदों में कमाण्ड क्षेत्र के वास्तविक सिंचन क्षेत्र

159—श्री जयदीप सिंह उरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में स्थित बौर एवं हरिपुरा जलाशयों से पोषित सिंचन संकर्मों के कमाण्ड क्षेत्रों में रामपुर एवं नैनीताल जनपदों में क्रमशः कुल कितना-कितना क्षेत्रफल है और वर्ष 80-81, 81-82 एवं 82—83 में इनमें से कुल कितने-कितने प्रतिशत की वास्तविक सिंचाई हुयी? दोनों जनपदों में कमाण्ड क्षेत्रों के समस्त सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत में भिन्नता का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नैनीताल जनपद में स्थित बौर एवं हरिपुरा जलाशयों से पोषित सिंचन क्षमता के कमाण्ड का क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :—

जनपद का नाम	जलाशय का नाम	कमाण्ड क्षेत्र
	बार	हरिपुर
नैनीताल	5231 हेक्टे0	10782 हेक्टे0
रामपुर	21340 ,,	25059 ,,

उक्त जलाशयों द्वारा प्रस्तावित सिंचन क्षेत्र तथा वर्ष 1980-81, 81-82 एवं 82-83 में की गयी वास्तविक सिंचाई के आंकड़े संलग्न हैं ।

नैनीताल एवं रामपुर दोनों जनपदों में कमाण्ड क्षेत्र के वास्तविक सिंचन क्षेत्र प्रतिशत में भिन्नता का कारण यह है कि नैनीताल जनपद में बौर एवं हरिपुरा जलाशयों का कृषि योग्य क्षेत्र इनके निर्माण के पूर्व से ही कृषि हेतु विकसित रहा है जबकि जनपद रामपुर में दोनों जलाशयों के निर्माण के उपरान्त कृषि योग्य क्षेत्र के शनैः शनैः विकास के साथ-साथ वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत बढ़ा है तथा प्रस्तावित सिंचाई से अधिक सींच हो रही है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ, 314 पर।)

देवरिया के ग्राम वीर सिंहपुर में छोटी गण्डक नदी से कथित कटान

160—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ग्राम वीरसिंहपुर का छोटी गण्डक नदी से कटान हो रहा है ? यदि हां, तो कटान को रोकने की कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवरिया के ग्राम वीरसिंहपुर में छोटी गण्डक नदी से आबादी का कोई कटान नहीं हो रहा है। अतः इस पर कटान रोकने हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

कुडैला ताल नाले की खुदाई पर व्यय

161—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले बुधवार के प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 93 के उत्तर के सम्बन्ध में कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 81-82 में कुडैला ताल नाले की खुदाई में कितना धन व्यय किया गया? क्या शेष प्रस्तावित कार्य पूर्ण करा लिया गया ? यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1981-82 में कुडैला ताल नाले की खुदाई में कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है।

वर्ष 1983-84 में इस कार्य पर कुल रु0 7,701.00 व्यय किया जा चुका है।

कार्य प्राक्कलन के अनुसार समाप्त हो गया है।

जौनपुर डिपो में कुल संचालित बसें तथा मरम्मत व रख-रखाव पर व्यय

162—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय जौनपुर डिपो से कुल कितनी बसें संचालित होती हैं, इनमें से कितनी बसें अनुबंधित हैं? वर्ष 82-83 में इन बसों के रख-रखाव व मरम्मत पर कुल कितना धन खर्च किया गया ? क्या यह सत्य है कि इस धन का सदुपयोग न किये जाने के कारण निगम की अधिकांश बसें विभिन्न मार्गों पर नियमित रूप से नहीं चलीं?

श्री गुलाब सैहरा—

जौनपुर डिपो से वर्तमान समय में कुल 81 बसें संचालित हो रही हैं जिनमें 16 अनुबन्धित बसें हैं । वर्ष 82-83 में जौनपुर डिपो की बसों के रख-रखाव व मरम्मत पर रु0 17,88,015.17 खर्च हुआ ।

यह सत्य है कि इस धन का सदुपयोग न होने के कारण निगम की अधिकांश बसें विभिन्न मार्गों पर नियमित रूप से नहीं चलीं ।

163—श्री प्रभूनारायण सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

स्वर्गीय रमापति ओझा, आबकारी सिपाही, बांसी (बस्ती) की पत्नी को जीवन बीमे की धनराशि का भुगतान

164—श्री कृष्णवीर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्व0 रमापति ओझा, आबकारी सिपाही, बांसी, बस्ती की मृत्यु वर्ष 1980 में उक्त स्थान पर नियुक्ति के दौरान हो गयी है ? यदि हां, तो क्या स्वर्गीय ओझा के जीवन बीमा की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है और सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वासुदेव सिंह—

स्व0 श्री रमापति ओझा, आबकारी सिपाही, बांसी, जनपद बस्ती की मृत्यु वर्ष 1980 में हुई थी ।

स्व0 श्री ओझा के जीवन बीमे की सम्पूर्ण धनराशि रु0 12,000/- चेक नं0 ओ0 बी0/10-201465, दिनांक 15-2-83 द्वारा उनकी नामित श्रीमती राम सुराती देवी को भुगतान की जा चुकी है ।

बटसरा के रजबहा पर पुलिया बनाये जाने से सम्बन्धित पत्र

श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान, ग्राम सभा, भदांव बटसरा के रजबहा पर पुलिया बनाये जाने से सम्बन्धित पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-10-83 के साथ अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड 52 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

यह प्रश्न खालिसपुर राजबहा के कि0मी0 0.950 पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में है । ग्राम भदांव में कि0मी0 1.16 पर ग्रामीण सड़क पुल स्वीकृत है इस प्रकार स्वीकृत पुल एवं वांछित पुल की दूरी केवल 210 मी0 है । इसके अतिरिक्त वांछित पुल का चकरोड, राजस्व अभिलेखों के अनुसार, गांव की आबादी से दूर ही समाप्त हो जाती है तथा मौके पर कृषकों द्वारा पूरा चकरोड जोत लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में पुल का निर्माण आवश्यक नहीं है।

श्री धर्मदेव प्रसाद एवं सत्यदेव यादव की नियुक्ति का आधार तथा हटाये जाने का औचित्य

166—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 171 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि 29 जनवरी, 1979 को श्री धर्मदेव प्रसाद एवं सत्यदेव यादव की नियुक्ति किस अधिकारी के आदेश से किस आधार पर की गयी थी ? क्या इस प्रतिष्ठान में हरिजन आरक्षण पूरा है ? यदि नहीं, तो धर्मदेव प्रसाद को हटाये जाने का क्या औचित्य है ? विनियमितीकरण समिति कब गठित हुई थी ? उसमें कौन-कौन से सदस्य थे और श्री धर्मदेव प्रसाद की सेवायें विनियमितीकरण न किये जाने का निर्णय कब लिया गया और उसका क्या कारण था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री धर्मदेव प्रसाद एवं श्री सत्यदेव यादव की नियुक्ति दिनांक 29 जनवरी, 1979 को स्वर्गीय श्री हरि नारायण जलौटे, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, आजमगढ़ द्वारा जिला चयन समिति द्वारा प्रेषित अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर की गयी थी । जिला चयन समिति ने, श्री धर्मदेव प्रसाद को केवल तदर्थ आधार पर नियुक्ति हेतु मान्यित किया था । नलकूप मण्डल, आजमगढ़ में हरिजन आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं है तथापि, चूंकि श्री धर्मदेव प्रसाद जिला स्तरीय चयन समिति अथवा विनियमितीकरण समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये । अतः उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं । विनियमितीकरण समिति का गठन अगस्त, 1982 में श्री बी0 के0 भारद्वाज, अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में हुआ था किन्तु तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता का स्थानान्तरण हो जाने के कारण नलकूप मण्डल, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 14-9-82 को समिति का पुनः गठन किया गया जिसमें निम्नांकित अधिकारी सदस्य थे :—

(1) श्री उर्वेश चन्द्र, अध्यक्ष
अधीक्षण अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, आजमगढ़ ।

(2) श्री धर्मेन्द्र चरन सदस्य
अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, आजमगढ़ ।

(3) श्री सन्तराज, सदस्य
अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड-2, आजमगढ़ ।

विनियमितीकरण समिति का निर्णय दिनांक 16-10-1982 को लिया गया। श्री धर्मदेव प्रसाद की तदर्थ नियुक्ति दिनांक 1-1-77 के बाद हुई थी। अतएव वे उ0 प्र0 तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत विनियमितीकरण के पात्र नहीं थे ।

आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टाण्डा, जनपद फैजाबाद के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन व एरियर रुका होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री मित्र सेन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री कुंवर सिंह नेगी एवं श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री लल्लू सिंह चौहान, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री राम स्वरूप गिम, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री सरदार सिंह, श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह, श्री भगवती सिंह विशारद, श्री राम आसरे वर्मा, श्री पंचानन राय, श्री बदन सिंह, श्री विजय सिंह राना, श्री दूधनाथ राजभर, श्री धनीराम वर्मा, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी और श्री अकबाल हुसैन। इन सभी को मैंने स्वीकार किया है क्योंकि यह पहला दिन है, नियम बना दिया गया है कि पहले दिन और आखिरी दिन सारी सूचनाएं स्वीकार कर ली जायं इसलिए मैंने सभी को स्वीकार कर लिया है।

[12 बजकर 21 मिनट]

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टाण्डा के शिक्षकों व कर्मचारियों का माह मई, 1983 से फरवरी, 84 तक का एक लाख साठ हजार रुपया बकाया वेतन तथा जुलाई, 1979 से 1982 तक एरियर चौवन हजार तीन सौ पचासी रुपया अठहत्तर पैसे का भुगतान न होने के कारण शिक्षकों के समक्ष एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी कर्ज के बोझ से लदे हैं जिसके कारण मानसिक तौर पर भी परेशान हैं उक्त विद्यालय की भांति पूरे जनपद में वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों के शिक्षकों का भी वेतन व एरियर करोड़ों रुपये बकाया पड़ा हुआ है। जिसके कारण विद्यालय के शिक्षक हड़ताल पर हैं। छात्रों की शिक्षा पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। उक्त संबंध में इसी तरीके के प्रकरण उठते रहे परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकी। जिससे शिक्षकों में असंतोष व आक्रोश ज्यादा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि आदर्श जनता जू0 हा0 स्कूल, टाण्डा व जनपद के अन्य सहायता प्राप्त जू0 हाई स्कूलों के शिक्षकों का वेतन एरियर बकाया भुगतान तत्काल कराये जाने की व्यवस्था करें।

तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर के कतिपय ग्रामों में गोमती नदी के कटान से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्र सेन–

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम मौहनिया मजरे हलियापुर एवं पूरे मल्लाह तथा पूरे झुरहू थाना व विकास खण्ड बल्दी राय, तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर के हजारों परिवारों की बस्ती की ओर गोमती नदी प्रति वर्ष सैकड़ों मीटर की कटान तेजी से कर आबादी के बिल्कुल करीब पहुंच गयी है। जिससे हजारों परिवारों के धन, जन एवं जीवन को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं इस कटान से फैजाबाद–रायबरेली राजमार्ग एवं आमघाट पुल को भी गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। गत बाढ़ से जहां करोड़ों रुपये की बरबादी हुई है वहीं इस नदी के कटान से जनजीवन के खतरे को देखते हुए क्षेत्र की जनता चिंतित एवं भयभीत हो गयी है। इस कटान की गम्भीर स्थिति को देखते हुए खतरे की आशंका से गांव के हजारों लोग तथा जन प्रतिनिधि एवं समाज सेवी कटान को रोकने तथा नदी की धारा मोड़ने के लिए ठोकर लगाने के सम्बन्ध में लगातार प्रशासन एवं शासन से गुहार कर रहे हैं। किन्तु "का वर्षा जब कृषि सुखानी" की कहावत चरितार्थ हो रही है। जिससे लोगों में निराशा एवं क्षोभ की भावना व्याप्त हो गयी है और ग्रामवासी आतंक एवं भय के कारण जीवन-मरण समस्या को लेकर गांव छोड़ने के लिए विवश हो गये हैं।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आप और सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल नदी के कटान को रोकने के लिए जन जीवन की सुरक्षा की मांग करता हूं।

सिसवां बाजार, गोरखपुर की महाबीर शुगर मिल में लाखों कुण्टल गन्ना पड़ा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने का प्रयास

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, हमारे यहां सिसवा बाजार, गोरखपुर में महाबीर शुगर मिल में 15 लाख कुण्टल से अधिक गन्ना पड़ा है। वहां गन्ना 8–10 रुपये क्विंटल में बिक रहा है और कोई खरीदने वाला नहीं है।

(लिखित सूचना के अनुसार न पढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 में जो लिखित सूचना आपने दिया है उसके अतिरिक्त आप अलग से न पढ़ें अन्यथा लिखित सूचना के अतिरिक्त जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा आगे न पढ़कर अपने स्थान पर बैठ गये)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

लखनऊ पालिटेक्निक की दीवार ढहने से हुई मजदूरों की मृत्यु तथा मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को पढ़ना चाहता हूं ।

महोदय, दिनांक 14 फरवरी, 1984 को लगभग 11 बजे दिन लखनऊ पालीटेक्निक की दीवार पर एक राज मिस्त्री एवं उसके दो सहायक मजदूर प्लास्टर चढ़ा रहे थे कि दीवार का एक हिस्सा धंस गया, इस पर लगे पालीटेक्निक का सीमेन्ट का बड़ा अथवा चौड़ा बोर्ड मजदूरों के ऊपर आ गया जिससे दबकर ये तीनों कार्यरत मजदूर मर गये । मजदूरों ने इस कमजोर दीवार को गिराने का सुझाव दे दिया था परन्तु पालीटेक्निक के अधिकारियों तथा ठेकेदार की हठधर्मी के कारण मजदूरों को उसी कमजोर दीवार पर प्लास्टर चढ़ा कर चमकाने का आदेश दिया गया जिससे उनकी मौतें हुई हैं । मृतक मजदूर के परिवार वालों को नियमानुसार मुआवजा देने के डर से अधिकारी एवं ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं जिससे इन मजदूरों के गरीब परिवारों में भारी निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अतएव हम लोक महत्व के इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय प्रश्न को मा0 सदन के संज्ञान में लाकर माननीय श्रम मन्त्री से मांग करते हैं कि इन मृतक मजदूरों के गरीब परिवारों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाया जाय ।

सचिवालय रक्षकों की भर्ती में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह चौहान–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न को रखना चाहता हूं कि 31-10-83 को सचिवालय सुरक्षा दल में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये रक्षकों के चयन हेतु एक परीक्षा का आयोजन किया गया था । जिसमें शारीरिक क्षमताओं और लिखित परीक्षा उपलब्ध प्राप्तांकों को दृष्टिगत न रखते हुए पक्षपात को मुख्य आधार बनाकर चयन किया गया है । इस चयन में निर्धारित मापदण्ड को निश्चित रूप से छोड़ दिया गया। इस अनियमितता के खिलाफ अनेक समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं और सचिवालय रक्षकों की अलग-अलग बैठकें भी हुई हैं जिनमें चयन पद्धति की भी निन्दा की गयी है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे 31-10-83 को किये गये चयन को निरस्त कर पुनः उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाकर निष्पक्ष रूप से पुनः चयन करायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दुखहरन निषाद, थाना महाराजगंज, गोरखपुर के गायब होने तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, मैं इस माननीय सदन व मुख्य मन्त्री का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री दुखहरन निषाद, ग्राम धनेता धनेई, टोला मंगलपुर, थाना महाराजगंज, गोरखपुर का निवासी है । इसके साथ इसकी पत्नी व छोटे-छोटे कई बच्चे हैं जो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है । दिनांक 1-1-84 को श्री रवि शंकर मिश्र, ठेकेदार, ग्राम चौकड़ी, थाना गोला, गोरखपुर इसके घर आया और फुसला बहलाकर मजदूरी कराने हेतु ले गया । दिनांक 3-2-84 तक श्री दुखहरन के घर न आने पर पूरा परिवार चिन्ता के सागर में डूब गया। गायब व कत्ल करने की संभावना में पूरे गांव की जनता इसकी पत्नी श्रीमती श्यामा देवी के साथ थाना महाराजगंज, गोरखपुर आयी और लिखित रिपोर्ट की जिसे पुलिस ने ले लिया और निष्क्रिय होकर पड़ी हुई है । इस घटना से आस-पास का वातावरण काफी क्षुब्ध एवं लोग चिन्तित हैं । इस घटना में पुलिस का हाथ बताया जाता है ।

ऐसी दशा में मा0 मुख्य मंत्री से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

स्व0 खूब सिंह, आई0 ए0 एस0, सहारनपुर के परिवार को जालंधर पुलिस द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, जनपद सहारनपुर में स्व0 श्री खूब सिंह, आई0 ए0 एस0 की विधवा पत्नी और बच्चे खालसा बाग, सहारनपुर में रह रहे हैं । दिनांक 28 जनवरी, 1984 को गिरीश व शेखर पुत्रगण स्व0 श्री खूब सिंह के विरुद्ध श्रीमती मेहताब कौर व उसका भाई राम किशन इन्दर सिंह, घण्टाघर टाल वाले सरदार गुलाब सिंह, मान सिंह क्यू हकीकत नगर, सहारनपुर ने षड्यन्त्र रचकर मेहताब कौर के दामाद पी0 एस0 बजाज, जूडीशियल मजिस्ट्रेट, जालंधर पंजाब से कहकर धारा 307, 25, 34 चौकी नं0 4 जालंधर में फर्जी केस बनवाकर गिरीश और शेखर को थाना सदर बाजार में धोखे से बुलाकर पंजाब पुलिस के ए0 एस0 आई0, मंगल सिंह के हवाले कर, हथकड़ी लगवाकर जालंधर भिजवाया । जांचोपरान्त जालंधर पुलिस ने उक्त केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी । 31 जनवरी, 84 को गिरीश व शेखर को बाइज्जत बरी कर दिया ।

मान्यवर, उक्त लड़के विद्यार्थी एवं अनुसूचित जाति के हैं, जिन्हें फर्जी केस में फंसाकर अपमानित एवं अकारण दण्डित कराया है जिससे सहारनपुर में अनुसूचित जाति के लोगों में अत्यन्त रोष एवं आक्रोष व्याप्त है । विरोध स्वरूप 17-2-84 को गांधी पार्क, सहारनपुर में हरिजन रैली का आयोजन किया जा रहा है ।

अतः मामले में विस्तृत जांच सी0 आई0 डी0 से कराकर बदमाशों को दण्डित कराने की मांग करता हूं । साथ ही उक्त परिवार की सुरक्षा की भी मांग करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ में सरस्वती प्रतिमा विसर्जित करते समय गोमती नदी में तीन नावों के उलटने से 40 व्यक्तियों की मृत्यु तथा प्रशासन की लापरवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि 8 फरवरी, 1984 की क्रूर संध्या को प्रशासनिक दुव्यवस्था के परिणामस्वरूप गहराते अंधकार में लखनऊ स्थित हनुमान सेतु के निकट गोमती में 3 नावें डूब गयीं । मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन हेतु गये लगभग 40 अबाल वृद्ध काल के गाल में समा गये । रात्रि 10 बजे सेना के लोग बचाव के लिये पहुंचे । इस लोमहर्षक दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर है क्योंकि प्रति वर्ष इसी दिन यह भीड़-भाड़ पूर्ण समारोह होता है तो पुलिस गोताखोर, प्रकाश, प्रशिक्षित मल्लाहों की देखरेख में नावों की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं थी? यदि तुरन्त सहायता पहुंचती तो अनेक जीवित निकल सकते थे । सर्वाधिक आश्चर्य यह है कि प्रदेश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने यह अक्षम्य बेमिसाल लापरवाही कैसे बरती ।

मुख्य मन्त्री जी ने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी परंतु आज प्रातःकाल तक मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी आश्रित को नहीं मिली । आर्थिक सहायता दी जाये । जिनके न रहने से परिवार असहाय हो गया है, उनमें पात्र व्यक्ति को नौकरी और रोजगार दिया जाये । लापरवाही एवं कर्तव्य पालन में शिथिलता बरतने के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किया जाये ।

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी की अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, लोक महत्व के सुनिश्चित मुद्दे पर आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में मैं इसे उपस्थित करना चाहता हूं :–

झांसी में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज की स्थिति बिगड़ चुकी है । ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः शासन को भी इस ओर ध्यान देने का समय नहीं है । पिछले दिनों स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, शिक्षा स्वास्थ्य निदेशालय ने निरीक्षण करके घोर अनियमितताओं के प्रति कार्यवाही के निर्देश दिये थे । लेकिन अभी तक मेडिकल कालेज की पेयजल का संकट, चिकित्सालय के सभी शौचालय क्षतिग्रस्त हैं एवं विद्युत अव्यवस्था बनी हुई है। पिछले तीन माह से आपरेशन थियेटर पूर्णतः बन्द है जिससे कि आपरेशन न होने से गरीब जनता इलाज के लिये इधर उधर भटक रही है । प्राइवेट वार्डों में पिछले तीन माह से प्रकाश एवं पेयजल का प्रबन्ध नहीं है । औषधियों का वितरण गरीब जनता के लिये बन्द है । सम्पूर्ण कालेज में अंधकार बना हुआ है । इस अव्यवस्थाओं के कारण पिछले माह में कई मौतें हुई हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

अतः मैं आपके माध्यम से प्रशासन का निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करता हूं :—

(1) अनियमितताओं के सम्बन्ध में जनता के द्वारा तथा विधायकों के द्वारा दो माह के अन्दर जो शिकायतें की गयी हैं, उनकी जांच कराकर कार्यवाही की जाय ।

(2) प्रकाश व्यवस्था, पेयजल का संकट, सड़कों की मरम्मत तथा औषधियों का प्रबन्ध तुरन्त कराया जाय ।

(3) आपरेशन थियेटर प्रति दिन सुचारु रूप से चल सकें इस की कमियों को समाप्त किया जाये ।

राजकीय जिला अस्पताल, मथुरा के स्टोर में आग लगने तथा दवाइयों के जल जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सम्मानित सदन की जानकारी में एक अति महत्व की घटना लाना चाहता हूं ।

गत माह तृतीय सप्ताह में राजकीय अस्पताल, मथुरा के दवाइयों के स्टोर में भयंकर अग्नि काण्ड हुआ जिससे अस्पताल की सम्पूर्ण दवाइयां जलकर राख हो गयीं और इमारत को भी भारी क्षति पहुंची । अग्नि को उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड बृजवासी उद्योग की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एवं सेना की फायर ब्रिगेड के असफल हो जाने के उपरान्त मथुरा तेल शोधक कारखाने की अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 6 घण्टे के अनवरत प्रयास के बाद शान्त कर पायीं । इस अग्नि काण्ड को लेकर जनपद की जनता में तरह-तरह की भ्रांतियां व्याप्त हैं इसके विरोध में जिला लोकदल के नेतृत्व में सभी विपक्षी पार्टियों ने 30 जनवरी, 84 को शहर में विशाल जुलूस निकाला और अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया । इस समय आम जनता को अस्पताल से दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं । इस कारण जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः सरकार से अनुरोध करता हूं कि अग्नि काण्ड होने के कारणों की उच्च स्तरीय जांच करायें और आम जनता को जीवनोपयोगी औषधियां अविलम्ब उपलब्ध करायें।

थाना भटनी, जिला देवरिया की पुलिस द्वारा श्री सुरेश गौड़ की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, श्री सुरेश गौड़, ग्राम गोपालपुर, थाना भटनी, जिला देवरिया को गत 30-1-84 की रात्रि में ग्राम डुमरी में घाघरा नदी के किनारे पेड़ में बांधकर थाना लार के थानाध्यक्ष श्री एच0 एन0 सिंह एवं नायब दरोगा श्री परमहंस राम ने गोली से जान से मार डाला । पेड़ में गोली के निशान तथा खून के धब्बे आज भी मौजूद हैं। श्री परमहंस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राम, नायब दरोगा लार जो पहले भटनी में कार्यरत थे उनसे तथा श्री सुरेश गौड़ से काफी पटती थी । यह दिनांक 29-1-84 को श्री सुरेश गौड़ के घर गये तथा ग्राम घाटी में उन्होंने खाना खाया । घर वालों ने बताया कि सुरेश गौड़ अपनी मां को लेकर भटनी गया है तथा इलाहाबाद वाली ट्रेन पर चढ़ाकर वापस लौटेंगे । इसके पश्चात् परमहंस राम भटनी गये । दोनों लोगों ने सुरेश गौड़ को अपनी मोटर सायकिल पर बिठाकर थाना लार ले गये । वहां उसे रात में रखा । दूसरे दिन थानाध्यक्ष श्री एच0 एन0 सिंह एवं परमहंस राम सी0 ओ0 सलेमपुर से मिले और फिर पुलिस अधीक्षक देवरिया से मिले । दोनों अधिकारियों ने सुरेश गौड़ को जान से मारने की इजाजत दे दिया । तब सुरेश गौड़ को 30-1-84 को लार से अजना, मझवालिया होते हुए डुमरी ले जाया गया । रास्ते में सुरेश गौड़ ने चिल्लाया कि बचाओ बचाओ । इसे लार, अजना, मझवालिया व डुमरी के लोगों ने सुना । डुमरी में घाघरा नदी के किनारे शीशम के पेड़ में बांधकर उसे मार डाला गया । इससे इलाके में भय तथा आतंक का वातावरण उत्पन्न है । रोज किसी न किसी को देवरिया जिले की पुलिस पकड़ती है और जान से मारने की धमकी देकर रुपया लेकर छोड़ देती है ।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मन्त्री से मांग करता हूं कि हत्या का मुकदमा दर्ज करवा कर कार्यवाही करायें ।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेन्शन के छः माह से न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भगवती सिंह विशारद–

महोदय, प्रदेश में वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत जो पेन्शन वृद्ध व्यक्तियों को मिल रही है, वह पिछली दो किश्तों से नहीं मिली और दिसम्बर मास समाप्त होने पर तीसरी किश्त भी वाजिब हो गयी है । इस प्रकार लगभग 6 माह से पेन्शन न प्राप्त होने के कारण प्रदेश के हजारों वृद्धों का जीवन अत्यधिक कष्टमय हो गया है ।

अतः मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत यह प्रश्न उठा कर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह मांग करता हूं कि इन लोगों को तुरन्त पेंशन भुगतान करने की व्यवस्था करें ।

जनपद हरदोई के सन्डीला-गौसगंज-मेंहदीघाट मार्ग पर सई नदी में पुल के निर्माण में देरी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा–

महोदय, जनपद हरदोई के संडीला-गौसगंज-मेंहदी घाट मार्ग पर सई नदी में पुल का निर्माण स्वीकृति के बाद भी सेतु निगम द्वारा बनाये जाने में तत्परता न बरतने से जनता में असंतोष एवं अविश्वास की स्थिति व्याप्त है । पुल के अभाव में दो नाव दुर्घटनायें अभी हाल ही में हो चुकी हैं जिनमें कइयों की जानें गयी हैं ।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती ग्यान्ती देवी पत्नी श्री सरयू, जनपद आजमगढ़ की ससुराल वालों द्वारा दहेज के कारण हत्या तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्रीमती ग्यान्ती देवी पत्नी श्री सरयू, ग्राम नेपुरा, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ की हत्या ससुराल वालों द्वारा दहेज न मिलने के कारण दिनांक 16 जनवरी, 1984 को दिन के तीन बजे कर दी गयी । पहले मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाकर मारने की कोशिश की गयी इससे न मरने के कारण गला दबा कर हत्या कर दी गयी । हरिजन महिला की इस हत्या में पुलिस पूर्णतया निष्क्रिय है जिससे क्षेत्रीय जनता में क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है । हरिजनों को संरक्षण देना शासन का प्रमुख लक्ष्य है तथा दहेज उन्मूलन बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद भी भ्रष्टाचार के कारण इस मामले में सक्रिय कार्यवाही नहीं की गयी ।

मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इस मामले में तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा हत्या के दोषी अभियुक्तों को कठोर दण्ड दिया जाय ।

आगरा जनपद की तहसील किरावली स्थित तेरहमोरी बांध रिजर्वायर से किसानों की क्षति की संभावना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा जनपद की तहसील किरावली स्थित तेरहमोरी बांध रिजर्वायर योजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है । इस योजनान्तर्गत सिरौली ग्राम के निकट कुटंगन नदी से एक फीडर निकाल कर मौजूदा तेरहमोरी बांध 14 फिट और ऊंचा भरा जायेगा और 2 कि0मी0 लम्बी चैनल उससे निकाल कर फतेहपुर सीकरी रजवहा के मील 22 के पास जल आपूर्ति की जावेगी, पर सीकरी हिस्सा एक व चार, पतसाल, जोताना, बदरौली, जालौली, खेड़ाजाठ, भोपुर, मण्डी मिर्जा खां और नगला सराय, 19 ग्राम जो खनवा के एतिहासिक मैदान की गोद में बसे है, उखाड़ दिये जायेंगे और उनकी 7 हजार एकड़ कृषि भूमि सदैव जलमग्न रहेगी ।

(कई सदस्यों के रुदन में खड़े होकर आपस में बातचीत करने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठें । खड़े होकर बात न करें । भविष्य में इसका ध्यान रखें ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, लोकपति जी को नेता सदन चुन लिया है उसका जश्न मनाया जा रहा है ।

श्री बदन सिंह–

यहां का किसान बेघर-बार होकर मिट जायेगा । इस अनुपयोगी व अव्यावहारिक योजना से क्षेत्र के किसानों में संकट पैदा हो गया है । उनमें ग्राम उखाड़ने की भावना से हाय-हाय व त्राहि-त्राहि मची हुई है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि तेरहमोरी बांध रिजर्वायर योजना तुरन्त रद्द कर दी जाय ।

आगरा जनपद की सदर तहसील की नहरों के सूखे रहने से किसानों की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व की एक गम्भीर समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं कि आगरा जिले की सदर तहसील की प्रायः सभी नहरें महीनों से सूखी पड़ी हैं । जो नहर चलती भी है उनमें किसी नहर की टेल तक पानी ही नहीं पहुंच सका है यही नहीं नहर विभाग के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । वह सम्पन्न किसानों से पैसा लेकर नहर कटवाते हैं अथवा अनधिकृत ट्रालियां चलवाते हैं । किसानों की खड़ी फसल सूख रही है । उसे दीमक ने भयंकर रूप से घेर रखा है और बेचारा किसान अपनी दयनीय स्थिति पर खून के आंसू रो रहा है, पर नहर विभाग के स्वयंभू अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है । नहरों में पानी न चलने का मुख्य कारण यह है कि गत दो वर्षों से नहरों की सफाई की सम्पूर्ण धनराशि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में जा रही है और नहरों में सफाई के नाम पर मात्र घास टिलाई की जाती रही है। किसी नहर में बरसात की खंदियां तक नहीं भरी गयी हैं । अतः इस सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी एवं आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा किसानों को शीघ्र पानी उपलब्ध कराया जाय । किसानों की फसल की जो क्षति हुई है उसका मुआवजा दिलाया जाय ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानागंज में शारदा सहायक परियोजना नहर की शाखा के बार-बार कटने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दूधनाथ राजभर–

मान्यवर, जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड जहानागंज के ग्राम कनैला, करनहट, धनार बांध, असलमचक, लपसीपुर, पेठवा, भुजही, तरछा, अनेई, दौलताबाद आदि ग्रामों में शारदा सहायक परियोजना नहर की एक शाखा आजमगढ़ रजबहा के बार-बार तथा प्रति वर्ष कट जाने के कारण उक्त क्षेत्र की किसानों की बोई फसल बर्बाद हो जाती है तथा अनावश्यक एवं असामयिक जल भराव के कारण किसान अगली फसल की बुवाई भी नहीं कर पाते। प्रायः जल भराव के परिणामस्वरूप अधपकी फसलें सड़कर नष्ट हो जाती हैं ।

इस सबके बावजूद उक्त क्षेत्र के किसानों से जबरदस्ती मनमाने ढंग से गलत एवं फर्जी सिंचाई की लगान की वसूली की जा रही है । जिला प्रशासन से अनेक बार अनुरोध करने पर आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है बल्कि समस्या रोज-रोज जटिल होती जा रही है । किसानों विशेषकर छोटे किसानों के समक्ष परिवार पालने की विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्र के किसानों से की जाने वाली गलत फर्जी एवं जबरन सिंचाई लगान वसूली को तत्काल रोका जाय तथा समस्या का स्थायी समाधान किया जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इटावा की बिधूना थाने की पुलिस द्वारा सत्यभान एवं रामपाल आदि को पीटे जाने की जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को आप तथा सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 17 सितम्बर, 1983 को सायं 4 बजे विधूना के एस0 आई0 गोविन्द सिंह व श्याम बिहारी सक्सेना दो सिपाहियों, एक होमगार्ड सहित सादी वर्दी में हमारे बाजार पुरवा सुजान आकर मेरे भतीजे सत्यभान 12 साल को पीटने लगे। लोगों ने मना किया तो उन्हें पीटा, फायरिंग किया जिससे रामपाल आदि घायल हुए। पुलिस ने मेरे भाइयों आदि पर झूठे मुकदमें कायम कराये। थाने में रामपाल आदि रिपोर्ट नहीं लिखा सके। 18 सितम्बर, 1983 को प्रातः 10 बजे रामपाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट लिखकर दी व टेलीग्राम कराया परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मैंने घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने की मांग की परन्तु नहीं की गयी। पुलिस उत्पीड़न जारी है जिससे जनता में क्षोभ एवं रोष है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुकदमें वापस लेकर रामपाल आदि की रिपोर्टें लिखाकर घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

जनपद इलाहाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित अध्यापकों के आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर समुचित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं :–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित अध्यापक विगत 13-2-84 से अपने असह्य कष्टों के निवारणार्थ आमरण अनशन कर रहे हैं। आमरण अनशन के पूर्व उनका क्रमिक अनशन विगत 20-12-83 से तथा आमरण अनशन 2-1-84 से जारी रहा है। फलस्वरूप 3-1-84 को शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश के सामने एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दो सप्ताह के अन्दर समस्याओं का निदान तथा ब्लाकों में तत्काल भुगतान कराने का पूर्ण विश्वास दिलाया गया था, परन्तु आज तक उनकी न्यायोचित मांगों में से एक भी समस्या का निदान नहीं किया जा सका। इसलिये उन्हें आमरण अनशन करने पर बाध्य होना पड़ा है।

मैंने अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की मांगों को समझा है और अनुभव किया है कि वस्तुतः इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उनकी बहुत सी मांगे अत्यन्त उचित और समाधान करने लायक हैं।

अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अध्यापकों की उचित मांगों का समाधान कर सरकार उन के अनशन को समाप्त कराने तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य दोषी जनों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद गोण्डा में ओला वृष्टि से हुई क्षति तथा राहत कार्य न आरम्भ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री अकबाल हुसैन–**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं कि दिनांक 16 जनवरी, 1984 को गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा, गेसड़ी, तुलसीपुर में जबरदस्त ओला गिरा जिससे पूरी रबी की फसल लाही, सरसों, अरहर, चना, मसूर, अलसी, गेहूं, मटर आदि जड़ से कटकर ध्वस्त हो गया है। इसके पूर्व सूखा से खरीफ फसल प्रभावित थी। रबी फसल नष्ट होने से क्षेत्र में बेकारी बढ़ गयी है और पूरा क्षेत्र भूखमरी के लपेट में है। कोई राहत अब तक नहीं दी गयी है।

अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार तुरन्त प्रभावित व्यक्तियों को राहत दे। सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराकर रोजगार उपलब्ध कराये तथा सरकारी व सहकारी कर्जों को माफ करे व उनकी तथा बैंकों के कर्जों की वसूली तुरन्त रोक दे।

सदन में हुए श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री राज्यपाल के आचरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य की 4-5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने अपने कक्ष में माननीय मुख्तार अनीस को बुलाया था और उनसे स्वयं बात भी कर ली है और उनकी सूचना को अस्वीकार कर दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने भी दिया है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी भी है।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही गम्भीर मामला औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाना चाहता हूं। यह मामला ऐसा है जिसने भारत के संविधान और हमारी नियमावली की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं अपनी सीमा को भी जानता हूं कि महामहिम राज्यपाल के आचरण पर इस हाउस में आलोचना नहीं हो सकती है। [***] मेरा कर्तव्य हो जाता है कि संविधान की भावना को कायम रखने के लिये जानबूझकर इस प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाऊं। मान्यवर, आप नियम 300 देखें। इसमें व्यवस्था है कि औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित ही है। मान्यवर, इसमें दोनों मामले हैं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल दोनों सदनों को सम्बोधित करने के लिये आये। प्रदेश की जो व्यवस्था है उसके कारण हमारे अन्दर उत्तेजना होना स्वाभाविक था और हमने संसदीय और संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनके अभिभाषण का बहिष्कार किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[***]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–]

लेकिन महामहिम राज्यपाल ने अपना गुस्सा आप पर और आपके सचिवालय के कर्मचारियों पर उतारने की चेष्ठा की है। मेरे परिचित व्यक्ति के सामने उन्होंने मार्शल को बुलाया और कहा तुमने पुलिस क्यों नहीं बुलाई और आपको भी अपशब्द कहे।

(शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष–

मुझे कोई अपशब्द नहीं कहे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मार्शल टोपी लगाये हुए थे उन्होंने कहा टोपी उतार कर मुझसे बात करो। [***] मान्यवर, आप संविधान का अनुच्छेद 187 देखें। उसमें लिखा है कि राज्य विधान मण्डल के सदनों का या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृन्द होंगे। यह सचिवालय आपके नियंत्रण में होगा। आपके अलावा किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होगा। इसी में मान्यवर, 187 (2) को देखें। इसमें लिखा है–राज्य विधान मण्डल, विधि द्वारा, राज्य विधान मण्डल के सदन या सदनों के सचिवीय कर्मचारी वृन्द में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा। यह सारा अधिकार भी आपको ही है। आपको ही इनकी सर्विस कन्डीशन तय करने का अधिकार है। नियुक्ति आदि का एबसोल्यूट अधिकार आपको है। मान्यवर, मैं महेश्वर नाथ कौल की पुस्तक संसदीय प्रणाली का उद्धरण देना चाहता हूं। इसके पृष्ठ 113 को आप देखने की कृपा करें। इसमें लिखा है कि अध्यक्ष सचिवालय का प्रमुख है जोकि उसके नियंत्रण तथा निदेशों के अन्तर्गत कार्य करता है। सभा के साचविक कार्यों उसके परिसर तथा सुरक्षा के प्रबंध के सम्बन्ध में अध्यक्ष का अधिकार सम्पूर्ण है।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं निहायत नम्रतापूर्वक आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी पुराने और मंजे-मजाये माननीय सदस्य हैं। यह कहना कि महामहिम राज्यपाल का आचरण निन्दनीय है, मैं कहना चाहता हूं कि यह तो सब्जेक्ट मैटर आफ डिस्कशन के परे है। नम्बर 2, मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या मार्शल ने लिखकर दिया है जो तथाकथित व्यवहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं? मार्शल ने लिखित तौर पर किसी अधिकारी, सेक्रेटरी को लिखकर दिया है?

मैं इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं यदि किसी अधिकारी को या मार्शल को कोई क्षोभ नहीं है तो यह बातें किस आधार पर किस बुनियाद पर उठाई जा रही है। मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं बाद में इसका उत्तर दूंगा।

नोट :–[***]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यहां पर मार्शल की वकालत करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं । मान्यवर, मैं संविधान की रक्षा और नियमों की जानकारी के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इससे पूर्व भी आपने अनेक व्यवस्थायें दी हैं । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा जारी छठे संस्करण में आपका ध्यान आकर्षित करना है। मान्यवर, आप करण 215 देखें ।

श्री काशीनाथ मिश्र–

किसी की जानकारी पर सवाल नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बीच में न बोलिये ।

(शोर-गुल)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय को बर्खास्त कर देना चाहिये था । उन्होंने मंत्रालय को बर्खास्त करने की बात कही यह संतोष की बात है । संविधान के अन्तर्गत श्री राज्यपाल को मंत्रालय बर्खास्त करने का अधिकार है । इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरे सचिवालय के बारे में कुछ बात न कहें । आपको अधिकार नहीं है । मैं प्रोसीडिंग को बाद में देखूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, करण 215 को देखें । छठे संस्करण में 215 है । विधान मण्डल में यह आपके द्वारा प्रक्रिया के सम्बन्ध में जारी किये गये, दिये गये नियम हैं । करण 215–"विधान मण्डल के सचिवालयों के सम्बन्ध में कोई सूचना सदन में रखना या किसी सरकारी प्रतिवेदन में ऐसी सूचना का दिया जाना विधान मण्डल की स्वतंत्रता, प्रभुत्व एवं अध्यक्ष की मर्यादा व प्रतिष्ठा के लिये हानिकर सिद्ध हो सकता है । इस प्रकार सूचना सदन में देने से सदस्यगण उसकी आलोचना कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप अध्यक्ष के अधीनस्थ सचिवालय के सम्बन्ध में विवाद होने की संभावना हो सकती है । अतः सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिये विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों आदि के सम्बन्ध में कोई सूचना सरकारी सचिवालय के विभागों को नहीं दी जायेगी ।"

मान्यवर, हम लोगों को इस सदन में वाक-स्वतन्त्रय की भी आजादी नहीं है । हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे । हम सदन की आलोचना नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, आपके सचिवालय के "संसदीय शिष्टाचार" में दिया है । मान्यवर, इसका पेज 10 देखने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

कब से कब तक का है ? कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक का आपके पास है ? इसको देख लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, "उत्तर प्रदेश संसदीय शिष्टाचार, द्वितीय संस्करण, 1980 का है। मान्यवर, इसमें दिया गया है। इसमें विशेषाधिकार क्या है हमको विशेषाधिकार मिले हुए हैं :–

"सदन उसके सदस्यों या उसकी समितियों को प्राप्त किन्हीं भी अधकारों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लंघन या उनकी उपेक्षा करना विशेषाधिकार भंग माना जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कार्य या चूक को, जिससे सदन को अपना कार्य करने में बाधा या अड़चन हो या जिससे ऐसे सदन के किसी सदस्य या अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में कोई बाधा या अड़चन उपस्थित हो या जिसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति हो, भले ही ऐसे अपराध का कोई पूर्ण उदाहरण न हो, सदन का अवमान माना जायेगा।"

माननीय राज्यपाल के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं लाया जा सकता। मैं मानता हूं, लेकिन [***] अतः ऐसी संवैधानिक स्थिति पैदा हो गयी है। मैं मान्यवर, इस संबंध में आपकी रूलिंग चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरी दो मांगे हैं। मान्यवर, संवैधानिक हिसाब से राज्यपाल यहां की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इन तीनों के प्रमुख हैं। किन्तु इससे पहले भी इस सदन के मामले सुप्रीम कोर्ट में गये हैं और माननीय न्यायाधीश ने कहा कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका इनके बीच कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ये तीनों अपनी जगह स्वतन्त्र हैं। माननीय राज्यपाल ने उनका अतिक्रमण किया है। मैं चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल, जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें विधिक जानकारी के लिये बुला सकते हैं। मेरी मांग है कि इसके लिये एडवोकेट जनरल को बुला लिया जाय और ऐसे मामलों के लिये एक कमेटी बनाई जाय। राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण के बाद असंतोष प्रकट कर सकते थे। उनकी शक्तियां क्या हैं, संविधान में इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। राज्यपाल की शक्तियों में कहा गया है कि सदन उनकी परिभाषा करेगा। मैं मांग करता हूं कि आप उस पर अपनी व्यवस्था दें। मैं आपके प्रति पूर्ण आदर सहित कहना चाहता हूं कि यदि राज्यपाल महोदय को उस दिन का आचरण अच्छा नहीं लगा था तो हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था कि वे अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। वह आपके माध्यम से कह सकते थे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 175 में राज्यपाल को तीन अधिकार प्राप्त हैं, हमें बुलाने, सम्बोधित करने और इसके साथ-साथ असंतोष भी प्रकट कर सकते हैं। हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जब उनके पास पहुंचता है, उस समय टिप्पणी कर सकते हैं।

[* * *]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी नियमावली है उसका 289 पढ़ा जाय.....

नोट:–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपको अवसर दूंगा । आप बैठें ।

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, जब महामहिम आये, और सदन के अन्दर आये तो हम लोगों ने विरोध प्रकट किया, वह विरोध उन्हें पसन्द नहीं आया । उन्होंने हम 3-4 सदस्यों को सदन के बाहर जाने को कहा ।

श्री काशी नाथ मिश्र–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, क्या इस आदरणीय सदन में राज्यपाल के आचरण के विरुद्ध कोई चर्चा हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में मैं जब व्यवस्था दूंगा तब बता दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी–

जब महामहिम राज्यपाल महोदय अन्दर आये और माना कि उन्हें हमारा आचरण पसन्द नहीं आया . . . . .

(व्यवधान)

उन्होंने मार्शल को हुक्म दिया और उन्होंने हमें बाहर कर दिया। मगर [XX] ऐसा लगता है कि उन्हें वही याद आया . . .

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के अन्दर अपनी बात कहिए।

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सभी बातें कह दी हैं उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बरखास्त करने के लिए कह दिया यहां तक कि इस पूरे मंत्रिमण्डल को भी भंग करने के लिए राज्यपाल महोदय ने कह दिया। यदि उनको कोई बात कहनी ही थी तो आपको इन्डिकेट करते। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मान्यवर, अब यह एक बहुत बड़ी व्यवस्था की बात उत्पन्न हो गयी है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

*श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मुझे सिर्फ दो बातें कहनी हैं क्योंकि बहुत लम्बे और बड़े विद्वता भरे भाषण माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने यहां पर दिये। एक तरफ तो उन्होंने संविधान का हवाला दिया और उसमें धारा 174 का भी हवाला उन्होंने दिया। मान्यवर, धारा 174 में यह स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल दोनों सदनों को सम्बोधित करेंगे। उस समय सारे नियम जो होते हैं वह राज्यपाल के होते हैं, अध्यक्ष उनके साथ बैठते हैं। व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी उस समय राज्यपाल की होती है। अब मुझे क्या माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी यह बतायेंगे कि उस समय जो व्यवस्था वहां पर हुई थी, वैसी स्थिति में महामहिम राज्यपाल महोदय व्यवस्था बनाये रखने के लिए कोई आदेश नहीं कर सकते ।

नोट:–[XX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

[श्री अम्मार रिजवी]

दूसरी बात यह है कि माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने संविधान, नियमावली, करण तथा कौल और शकधर की किताबों को पढ़कर यहां पर सुनाया। उनमें जो नियम लिखे गये हैं वह हम पर तो एप्लाई होते हैं, परन्तु इन पर नहीं। नियमावली के नियम 289(च) को आप देखें। इसमें स्पष्ट लिखा है कि "राष्ट्रपति या गवर्नर के ऊपर, उनके आचरण के ऊपर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी।"

मान्यवर, आपको भी याद होगा कि लोक सभा में भी जब राष्ट्रपति आये थे ज्वाइन्ट सेशन में तो वहां पर भी शोर मचाया गया था, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा। इस पर एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने काफी प्रताड़ित किया। वहां पर तो सिर्फ हुल्लड़ मचाया गया था, किन्तु यहां पर उस समय जो व्यवस्था हुई थी, वह तो सभी जानते हैं, उस पर मैं टीका-टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं।

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि उन्होंने आपके ऊपर अविश्वास व्यक्त किया है, उन्होंने कहा कि आप एडवोकेट जनरल को बुलावें और उनसे सम्पर्क करें। क्योंकि आप समर्थ नहीं हैं, आप इसे हल नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, क्या आपको इतनी भी लीगल नालेज नहीं है कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दे सकें। जैसा कि काशी नाथ मिश्र जी ने कहा कि महामहिम राज्यपाल के आचरण पर यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है। जहां तक सचिवालय की बात है वहां की सारी चीजें आपके अधीनस्थ हैं।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के आचरण के ऊपर जो भी बातें यहां पर कही गई हैं, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय क्योंकि वह नियमानुकूल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय श्री काशी नाथ मिश्र और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। नियमों तथा संविधान का हवाला दिया गया है और उसके काफी उदाहरण भी यहां पर दिये गये। मैं इस सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 289(च) की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं–इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि "राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे।" इसके अलावा अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन जरा देखें, लिखा है पृ0 280 में क्रम 143 पर – श्री राज्यपाल के कार्यों की टीका करना नियम विरुद्ध है और वह कार्यवाही का अंग नहीं बन सकता। (देखिये सं0 127, पृष्ठ 423, 441, सं0 129, पृ0 58 सं0 143, पृ0 257, 293, सं0 148, पृ0 310, सं0 158, पृ0 32, तथा सं0 242, पृ0, 42 भी।

इन सबको मैंने पूरी तरीके से देखा और आप लोगों को सुना है यह सब देखने, सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो कुछ तथ्य माननीय गुप्त जी ने तथा माननीय मसरूर जाफरी ने रखे हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इसलिए औचित्य के प्रश्नों को मैं अस्वीकार करता हूं।

दिनांक 27-1-84 को श्री राज्यपाल द्वारा सदन को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहन सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से महामहिम राज्यपाल के आचरण के सम्बन्ध में, इस संविधान की धाराओं के तहत और आपकी नियमावली के तहत और प्रक्रिया के तहत एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

मान्यवर, संविधान की धारा 174 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों को प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिए आहूत किया जायेगा तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की बैठक के बीच छः माह का अन्तर न होगा। इसी के खण्ड 2(1)(क) में लिखा हुआ है कि सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा वह उचित समझें, अधिवेशन के लिए आहूत कर सकेगा (ख) सदनों का सत्रावसान कर सकेगा (ग) विधान सभा का विसर्जन कर सकेगा। मुख्यमंत्री के अधिकारों के बारे में धारा 174 में साफ लिखा हुआ है।

इसी वर्ष मान्यवर, जो यह सदन बैठा है इसके बुलाने में, इसका आह्वान करने में, संविधान की इन धाराओं के विपरीत काम किया गया है। मान्यवर, अपने देश के संविधान और देश की जो संसदीय प्रक्रिया है वह बिल्कुल परम्पराओं से आगे बढ़ी। बहुत सारी चीजें संविधान में नहीं भी लिखी हुई हैं। हमारी संसदीय प्रक्रिया के चलते, परम्पराओं के चलते यदि उनका कोई विकास हो गया तो वह विकास, विकसित मान्यताओं तथा हमारे संविधान और हमारे नियमों का अंग हो गया। और, यदि विकसित परम्पराओं का अतिक्रमण होता है तो निश्चित तौर पर संविधान और नियमों की अवहेलना मानी जायेगी। संसद के सत्र के आह्वान के लिए एक प्रक्रिया दी हुई है, मैं उसके कुछ उद्धरण संसदीय प्रणाली और व्यवहार, जो महेश्वर नाथ कौल और शकधर की लिखी हुई किताब है, उससे देना चाहता हूं। इसके बारे में लिखा है कि सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के तीन सत्र होते हैं। इन तीन सत्रों के प्रारम्भ की तिथियां सदा एक सी रखी जाती हैं। लोक सभा को आहूत करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया जाता है और सत्र का प्रारम्भ और उसकी अवधि के सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से अध्यक्ष के साथ परामर्श करके प्रधान मंत्री को भेज दिया जाता है। प्रधान मंत्री इस सुझाव से सहमत हो सकता है या इसे मंत्रिमण्डल को भेज सकता है। प्रधान मंत्री या मंत्रिमण्डल द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया प्रस्ताव अध्यक्ष को भेजा जाता है। यदि अध्यक्ष उससे सहमत हों, यदि वह सहमत न हों, ऐसी सम्भावना कम ही होती है–वह उसे फिर प्रधान मंत्री को वापस भेज सकता है। तो वह सचिव से कह सकता है प्रस्ताव में निर्दिष्ट तिथि तथा समय पर लोक सभा को आहूत करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त कर लें। राष्ट्रपति द्वारा उस आदेश पर हस्ताक्षर कर देने पर सचिवालय उसे विशेष गजट में प्रकाशित करवा देता है। मान्यवर, जो यह लोक सभा को आहूत करने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया विधान मंडल के भी सत्र को आहूत करने के सम्बन्ध में अपनायी जाती है। कैबिनेट प्रस्ताव पास करके, मुख्य सचिव द्वारा, सचिव, विधान सभा को तिथि की सूचना

[श्री मोहन सिंह]

देती है और आपके हस्ताक्षर से महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति उस प्रस्ताव पर ली जाती है।

उनकी सहमति के उपरान्त पुनः आपके सचिवालय में, विधान सभाध्यक्ष के सचिवालय में आ जाता है और फिर वह आपके यहां सरकारी गजट के जरिये प्रकाशित हो जाता है। मान्यवर, इस वर्ष इसके ठीक विपरीत काम हुआ है। जब इस आदरणीय सदन के और मंत्रिपरिषद् के सदस्य श्री कुरील जी का देहावसान हो गया तो उनके देहावसान के बाद जब हम लोग 27 तारीख को राज्यपाल महोदय के आह्वान के अनुसार और आपके द्वारा, आपके सचिव के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जब हम लोग यहां इकट्ठा हुए तो एक सारजेन्ट आदमी आये जो पैंट कोट पहने हुए थे, और उन्होंने सूचित किया कि महामहिम राज्यपाल ने सदन को अग्रेतर सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया है। सत्र के स्थगन का उनको किसी भी हालत में कोई अधिकार नहीं है। इसके बारे में धारा 174 और भारत के संविधान पर वासु की जो कमेंटरी है उसके उद्धरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह वासु की कमेंटरी आन दि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया एडीशनल वाल्यूम के पेज 96–97 इसमें लिखा हुआ है —

एडजार्नमेन्ट, प्रोरोगेशन, डिजोलूशन–प्रोरोगेशन मीन्स दि टर्मिनेशन आफ ए सेशन. एने एडजार्नमेन्ट इज एने इन्ट्रप्शन इन दि कोर्स आफ वन एण्ड दि सेम सेसन।

दि रूल्स गिव दि स्पीकर फर्दर पावर टू काल ए सिटिंग आफ दि हाउस आन एनी डेट अर्लियर दैन दि डेट टू बिच इट हैज बीन एडजार्नड आन एनी डेट हवेन इट हैज बीन एडजार्नड साइन डाई।

प्रोरोगेशन टर्मिनेटेड दि सेमन इटसेल्फ इज टू बी नोटेड दैट एडजार्नमेन्ट इज नाट इन्क्लूडेड इन आर्टिकल 85।

मान्यवर, वे कहते हैं कि किसी भी सत्र का सत्रावसान किसी भी सदन का अवसान और किसी भी बैठक का एडजार्नमेन्ट उसको मुल्तवी माना जाता यह तीन चीजें हैं। सत्र को मुल्तवी करना अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है।

[1 बजकर 20 मिनट]

मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपके सचिवालय से जो सूचनायें भेजी गयी हैं उसमें "भाल चन्द्र शुक्ल, सचिव" लिखा हुआ है। यद्यपि इनके सचिव के ही बारे में संदेह पैदा किया जा रहा है। हम लोगों को सूचना विभाग की वर्ष 1984 की डायरी मिली है, जो कि सरकार द्वारा अधिकृत ढंग से प्रकाशित डायरी है। इस डायरी में विधान सभा सचिव की जगह पर "सत्य प्रिय सिंह" का नाम अंकित है।

सत्र को आहूत किये जाने संबंधी जो सूचना प्रकाशित की गयी है उसको आप देखें, उसमें लिखा हुआ है कि—

"राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र के स्थगन सम्बन्धी अपने आदेश दिनांक 27 जनवरी, 1984 के क्रम में "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ....." इस प्रकार, जितनी सूचनायें राज्यपाल की आज्ञा से आपके सचिवालय से जारी होती हैं, सभी में संविधान की धाराओं का उल्लेख रहता है, लेकिन जो अग्रेतर सूचना तक स्थगित करने की बात कही है, उसमें संविधान की किसी धारा का हवाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपने पत्र भी तो लिखा है इस संबंध में ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं उन बिन्दुओं पर आ रहा हूं।

दिनांक 27 जनवरी की जो आपकी अधिसूचना है, उसमें लिखा हुआ है कि—

"चूंकि गुरुवार दिनांक 26 जनवरी, 1984 को श्री बैजनाथ कुरील, राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश का असामयिक निधन हो गया है, अतः महामहिम राज्यपाल महोदय ने विधान सभा के वर्ष 1984 के प्रथम सत्र को, जो विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग) की अधिसूचना संख्या 40/वि0स0/संसदीय/88(सं)/80, दिनांक 11 जनवरी, 1984 के अनुसार शुक्रवार दिनांक 27 जनवरी, 1984 को 11 बजे पूर्वाह्न से आहूत किया गया था, अग्रेतर सूचना तक स्थगित कर दिया है।"

आप देखें कि सभी सूचनाओं में संविधान की धारा का हवाला दिया है, लेकिन इसमें किसी धारा का हवाला नहीं दिया है। इसके मायने आपको जानकारी है कि जो सूचना जारी हो रही है, वह सभी संसदीय मान्यताओं के विपरीत है। ऐसी स्थिति हिन्दुस्तान के इतिहास में कई बार आयी है, उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है। एक बार राज्य सभा का सत्र सितम्बर, 1953 में बुलाया गया था। इस सम्बन्ध में कौल–शकधर की पुस्तक से अंश उद्धृत कर रहा हूं। उस समय राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से सचिव ने सूचना प्रकाशित की थी––

"राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के अन्तर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश दिया है कि लोक सभा का सत्र नई दिल्ली में हो और (तिथि तथा दिन) 11 बजे का समय उस सत्र के आरम्भ के लिये नियत किया है, आपको इस सत्र में उस स्थान तथा तिथि को उपस्थित होने का आमंत्रण एतद्द्वारा दिया जा रहा है।"

जब कैबिनेट ने तिथियों में परिवर्तन का सुझाव दिया तो पहले उन्होंने यह किया कि 24 मई, 1953 के आमंत्रण को रद्द किया और उसके बाद दूसरी सूचना जारी की। यही प्रक्रिया है कि यदि सत्र के आरम्भ की तिथि बदल जाय तो पहले जारी किया गया आमंत्रण रद्द कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नया आमंत्रण जारी किया जाता है।

यही प्रक्रिया 1980 में दोहरायी गयी। उस समय परिस्थिति आ गयी कि श्री संजय गांधी का देहावसान हो गया और वी0 वी0 गिरि का भी देहावसान हो गया। आपके सचिवालय ने कैबिनेट को सूचना दी, उसकी बैठक हुई, कैबिनेट ने उस सूचना को रद्द करने के लिए आपके सचिवालय को लिखा, आपके सचिवालय ने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया कि उस आह्वान को रद्द कर दें। आपके

[श्री मोहन सिंह]

सचिवालय से प्रकाशित सूचना दिनांक 23-6-80 निम्न प्रकार थी--

"जनरल क्लाजेज एक्ट, 1877 एक्ट संख्या 10, 1897 की धारा 21 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) द्वारा मिले अधिकार का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय दिनांक 13 जून, 1980 को सरकार कार्य के पश्चात्वर्ती असाधारण गजट में प्रकाशित विधान सभा सचिवालय, उ0 प्र0 संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1015/83 संख्या 80 दिनांक 13 जून, 1980 को जिसके द्वारा उ0 प्र0 प्रथम विधान सभा को वर्ष 80 में प्रथम सत्र के लिए बुधवार 25 जून, 1980 को 11 बजे पूर्वाह्न में आहूत किया गया था, निरस्त करते हैं" तो मान्यवर, इसी प्रकार से 26 जनवरी को जब यह दुखित घटना हुई थी, उस समय भी भारत के संविधान के अनुसार किया जाना चाहिए। राज्यपाल महोदय फिर बाद में नया सत्र आहूत करते, जो विहित प्रक्रिया है। जब ऐसा नहीं किया गया तो हम लोगों ने एक पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखा कि "श्री कुरील न केवल बाबूजी के सिपाही थे अपितु एक बेदाग गांधीवादी गरीब हरिजनों के प्राण भी थे। उनके सम्मान में राज्य सरकार ने आप ही के आदेश से प्रदेश की राजधानी के समस्त राजकीय कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ आज उनके शव का संस्कार होना है। ऐसी परिस्थिति में आप द्वारा विधान मण्डल के एक साथ कार्यरत दोनों का सम्बोधन न केवल सामान्य शिष्टाचार के विपरीत है अपितु एक निष्ठावान गांधीवादी के प्रति अनादर को भी व्यक्त करता है।" यह पत्र हम लोगों ने लिखा। अगर यह पत्र राज्यपाल महोदय को मिला होता तो राज्यपाल महोदय उसका धन्यवाद जरूर देते ज्ञान-वृद्धि के लिए। हालांकि हम लोग जानते हैं कि वह कितने भद्र हैं। अगर भद्र न होते तो लखनऊ सन्देश कर की उपाधि क्यों देते, लेकिन उन्होंने इस पत्र के संबंध में कोई एकनालेज हम लोगों को नहीं दिया।

इसमें मान्यवर, वास्तविक स्थिति यह है कि एक झूठी अफवाह राज्यपाल महोदय की तरफ से एक कोट पैंट वाले से उड़ा दी कि अगेतर सूचना तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और इसके बाद यहां पर ताला बंदी करके सब चले गये और फिर उसके बाद राज्यपाल महोदय यहां आए और जब यहां पर ताला बंदी देखी तो वह चले गये और अपने उस अभिभाषण को तीन दिन बाद इन्दिरा जी के सामने पढ़ दिया। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीन व्यवस्था के प्रश्न उठाना चाहता हूं। नम्बर एक यह कि हमारे भारत के संविधान के मुताबिक और हमारे नियमों के मुताबिक एक सत्र को स्थगित करने के जो अधिकार हैं, वह केवल आपको (अध्यक्ष) हैं और संसदीय प्रक्रियाओं के अनुरूप भी यह अधिकार केवल आपको ही है, यह अधिकार महामहिम राज्यपाल महोदय को नहीं है। यदि यह सही है, तो क्या यह बैठक जो आज हो रही है वह जायज है नियमों के अनुरूप ? नं0 दो यह कि जो विहित प्रक्रिया है, यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, जैसे उस रोज 26 जनवरी को मा0 कुरील साहब के देहावसान हो जाने की वजह से आ गयी तो उस समय स्पीकर व सचिवालय चीफ सेक्रेटरी को यह सूचित करता है कि चीफ सेक्रेटरी उसे कैबिनेट में रखता और कैबिनेट में यदि निरस्त करने की बात तय हो जाती तो सचिव, विधान सभा स्पीकर की ओर से मुख्य सचिव से अनुरोध करते कि आप महामहिम राज्यपाल से कहें कि आज का आहूत सत्र निरस्त किया जाये।

यह प्रक्रिया होनी चाहिये थी, लेकिन यह नहीं हुआ इसलिये यह अवैध ढंग से कोई विधान सभा की बैठक है तो उसमें जो कानून पारित होगा, लेखानुदान होगा और जो बजट होगा वह सारे असंवैधानिक घोषित हो जायेंगे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाये । इसलिए मैं इस पर अपनी व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको बतावें और इस पर अपनी व्यवस्था दें कि नियमावली के विपरीत आपके अधिकार का अतिक्रमण करने का क्या किसी भी व्यक्ति को अधिकार है और क्या इस प्रकार का कार्य नियमानुकूल है ।

*श्री काशी नाथ मिश्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन सिंह जी का बहुत ही विद्वतापूर्ण भाषण इस सदन में सुना और उन्होंने बहुत ही सफाई से एक तिल का ताड़ बना दिया और एक प्रश्न सदन के समक्ष पेश किया । उस दिन यानी 27 तारीख को हम लोग एकत्र हुए और माननीय मोहन सिंह जी को मालूम है और जो पुराने लोग हैं उनको भी मालूम है कि जब दोनों सदन एक साथ समवेत होते हैं तो कोई बैठक नहीं होती है । बैठक केवल अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में ही हो सकती है, जब तक वह अध्यक्षता न करें बैठक नहीं मानी जायेगी । बैठक तो उस दिन हुई नहीं । हमारे यहां एक पंडित जी कहा करते थे कि चाहे छेदीलाल कहिये या सुखी लाल कहिये, बात एक ही है । स्थगन शब्द को लेकर यह सब कहा गया । आर्टीकिल 174 में गवर्नर को अधिकार दिए गए हैं । जो अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में किंग को प्राप्त हैं वही अधिकार यहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त हैं । राज्यपाल को सदन को स्थगित करने का अधिकार नहीं है । जब यह सदन चलता रहे और उस समय वह स्थगन कर दें, राज्यपाल महोदय, तो मोहन सिंह जी की बात सही है, लेकिन जब यह सदन बैठा ही नहीं है केवल हम लोग बैठे थे। उनको जो नोटिस जारी हुई है वह आपके दफ्तर की क्लेरिकल मिस्टेक है कि निरस्त के स्थान पर स्थगन लिख कर चला गया। तो इसमें राज्यपाल ने दखलन्दाजी नहीं की। राज्यपाल ने किसी नियमावली का या संविधान की किसी भी धारा की अवहेलना नहीं की है। सदन नये सिरे से आहूत हुआ है। जब बैठक हो गयी होती तब मोहन सिंह जी का आरोप बिल्कुल सही था लेकिन बैठक नहीं हुई और वह बैठक है भी नहीं। बैठक कर ली गयी होती तो उनका आरोप सही था ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मोहन सिंह जी ने आर्टिकिल 174 का हवाला दिया जिसमें गवर्नर को अधिकार दिए हुए हैं कि वह हाउस को बुला सकता है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और जनरल क्लाजेज एक्ट की धारा 16 और 21 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बी0 आर0 मनोहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी–]

व डब्लू0 डब्लू0 चितैली की आल इण्डिया रिपोर्टर मैनुअल के पृष्ठ 871 पर दिया हुआ है कि–

21–पावर टु इशु, टु इन्क्लूड पावर टु एन्ड टु, अमेन्ड, वैरी आर रिसिन्ड नोटिफिकेशन, आर्डर्स रूल्स आर बाईलाज ।

जो अथारिटी कोई समन इशू कर सकती है वही अथारिटी उसको वापस भी कर सकती है। और उसे स्थगित भी कर सकती है। यह उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मोहन सिंह जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । दूसरी चीज यह है कि संविधान का अनुच्छेद 367 जो है उसके अन्दर आप देखें कि जो इन्टरप्रिटेशन के क्लाजेज आते हैं उसमें जो जनरल क्लाजेज एक्ट 16 और 21 हैं, वे इन्टरप्रिटेशन्स में संविधान के ऊपर भी एप्लाई करेंगे। जो अथारिटी हैं, अनुच्छेद 174 का हवाला दिया गया है, उसी के हिसाब से सदन बुलाया गया है और राज्यपाल महोदय के जरिये बुलाया गया है। राज्यपाल सक्षम हैं उसे स्थगित करने के लिये ।

मान्यवर, उसके बाद माननीय मोहन सिंह जी ने अपने पत्र का हवाला दिया। यह तो बड़ी ज्यादती है कि उन्हें सारी प्रक्रिया मालूम होते हुए भी ऐसा कह रहे हैं। माननीय नेता विरोधी दल और उनके अन्य सहयोगी तथा हम लोग मान्यवर, आपके कक्ष में आये। आपने बताया कि मैं, मुख्य मंत्री जी और विधान परिषद् के, सदन के नेता महामहिम राज्यपाल के पास गये। उस वक्त जो पत्र आपने दिया उसमें कहा कि विरोधी दल के सभी नेताओं और हमारे दल के लोगों की यही भावना है कि जो आज विधान मण्डल का ज्वाइन्ट सेशन होने जा रहा है, उसको आप एड्रेस न करें । इस पर उन्होंने कहा कि सब की यदि यही मर्जी है, पूरे सदन की मर्जी है उसके अनुसार काम होना चाहिए। यही प्रजातंत्र में होना चाहिए। लेकिन मान्यवर, ये तो एहसान मानने वाले नहीं हैं । इन्होंने कहा कि वह पत्र आप वहां पहुंचा आये हैं । हद तो यह है कि आज ये अपने सचिव को भूल गये और मार्शल को भी नहीं पहचान पाये । मैं नहीं समझता था कि इनकी याददाश्त इतनी कमजोर है । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मोहन सिंह जी को सूचित करना चाहूंगा कि देश में कहां-कहां इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी कि सदन को स्थगित करना पड़ा था। मेरे पास इसकी सूची है।

मान्यवर, आंध्र प्रदेश में 22-9-80 को सदन स्थगित किया गया । सन् 46 में गवर्नमेंट आफ इंडिया में गवर्नर जनरल द्वारा हुआ, सन् 53 में राज्य सभा में हुआ, सन् 62-63 में लोक सभा में हुआ, सन् 72 में गवर्नर आफ आसाम द्वारा हुआ, सन् 73 में बिहार में हुआ, सन् 77 में आंध्र प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ और मध्य प्रदेश में हुआ, सन् 79 में हरियाणा में हुआ, सन् 80 में पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ, सन् 80 में ही राजस्थान में भी सदन स्थगित किया गया और उसके बाद 84 में यहां पर किया गया। इसी तरह के सिमिलर सरकम-

स्टांसेज हुए थे, सदन बुलाया गया था और स्थगित कर दिया गया। उसमें कोई एसी बात नहीं हुई, जिससे संविधान की अवहेलना हुई हो । आप ही के कहने पर हुआ। बजाय इसके कि आप कोई कृतज्ञता प्रकट करें, कृतज्ञता शब्द तो इन्होंने सुना ही नहीं आभार शब्द को नहीं सुना। आप ही के कहने पर यह सब हुआ। कत्ल भी कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि किसी तरह का शोर भी न मचाया जाय। कहीं पर भी कोई असंवैधानिक बात नहीं हुई है और न उसकी अवहेलना हुई है । जो कुछ भी हुआ है वह कांस्टीट्यूशन के हिसाब से हुआ है यही मुझे कहना था।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय मोहन सिंह जी को, श्री काशीनाथ मिश्र जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को विस्तारपूर्वक सुना। माननीय देहलवी जी बैठे हुए हैं, आपको याद होगा 10 या साढ़े 10 बजे आपका टेलीफोन आया था और आपने कहा था कि कल सदन नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हरिजन हैं, इसलिये ठीक नहीं होगा कि सदन की बैठक हो, लाश पड़ी हुई है। मैंने कहा कि नेता विरोधी दल की क्या राय है तो आपने कहा कि मैं उनसे भी बात करूंगा। उसके बाद प्रातः जब मैं अपने कक्ष में था तो मोहन सिंह जी मेरे पास आये और उन्होंने एक पत्र महामहिम राज्यपाल को लिखा दिनांक 27-1-84 विधान भवन, लखनऊ उसकी अंतिम पंक्ति इस प्रकार है "अतः हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आज विधान मण्डल के दोनों सदनों के समवेत अभिभाषण को स्थगित कर दें" इसकी एक प्रतिलिपि मुझे दी है। इस पर हस्ताक्षर हैं श्री राजेन्द्र सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री मोहन सिंह, श्री भीखालाल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री फखरे आलम। इसके बाद फौरन ही मैंने संसदीय कार्यमंत्री जी को अपने कक्ष में बुलाया उन्होंने कहा सभी नेताओं को बुला लें। तो उसमें नेता विरोधी दल भी थे और नेता भी थे जिनके नाम आप जानते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय राज्य पाल के पास जायं और कहें कि विरोधी दल के नेताओं ने भी कहा है कि आज सदन नहीं होना चाहिये।

जहां तक और चीजों का सम्बन्ध है वह पत्रावली भी मेरे पास है। उसमें हमारे सचिव ने एक नोट लिखा है पृष्ठ 94 पर। माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी स्वयं महामहिम से अनुरोध करने गये और नोट कर उन्होंने सूचित किया कि महामहिम ने विधान मण्डल के सत्र को अग्रिम सूचना तक स्थगित रखने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। जिसकी सूचना अध्यक्ष विधान सभा को वहां से भेज दी गयी थी। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ और महामहिम राज्यपाल के सचिव श्री सक्सेना साहब मेरे पास आये और उन्होंने संदेश दिया कि सत्र स्थगित कर दिया है। जहां तक नियमों और कानूनों का हवाला माननीय मोहन सिंह जी ने दिया मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कौल एण्ड शकधर की जो किताब है "प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर्स आफ पार्लियामेन्ट" उसके पृष्ठ 148 पर लिखा है--समन्स आलरेडी इशूड मे बी कैन्सिल्ड एण्ड ए फ्रेश बन इशूड टू मेम्बर्स आन अकाउन्ट आफ चेन्ज इन दि डेट आफ कमेन्समेन्ट आफ दि सेशन ।

[श्री अध्यक्ष–]

जिसके द्वारा समन भेजा जाता है उसी के द्वारा कौन्सिल भी हो सकता है, स्थगित भी हो सकता है, इसका यही अभिप्राय है । निरस्त करना भी उसमें शामिल है। इसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि एम0 एल0 एज0 को डी0 ए0 मिले या नहीं मिले 27-1-84 को राज्यपाल महोदय ने सदन को आहूत किया था और उन्हें ही सदन को स्थगित करने का पूरा अधिकार है। चूंकि राज्यपाल महोदय से स्थगित करने का अनुरोध सभी विरोधी दलों के नेताओं ने स्वयं किया। सन 80 में सत्र स्थगित हुआ था। (व्यवधान)

श्री छत्तर सिंह–

निरस्त किया था।

श्री अध्यक्ष–

मैं खड़ा हुआ हूं आप मानहानि कर रहे हैं । इस तरह से स्थगन आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, लोक सभा और राज्य सभा में भी हो चुका है (व्यवधान) मैंने आपको सुन लिया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो कुछ आपने कहा है उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। आपकी बात में कोई बल नहीं है जिसको स्वीकार किया जाय इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

जनपद फैजाबाद के टाण्डा कस्बे में हुए साम्प्रदायिक दंगे से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री गोपी नाथ वर्मा–

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद में टांडा कस्बे में 17 अक्टूबर, 1983 को साम्प्रदायिक दंगा हुआ जिसकी गम्भीरता को देखते हुए प्रदेश के पूर्व नगर विकास मंत्री, श्री राम सिंह खन्ना, उद्योग मंत्री, श्री अनीस अंसारी और मुख्य मंत्री जी मौके पर गये और मामले की जानकारी की । उन्होंने घोषणा किया था कि मामले की न्यायिक जांच करायेंगे और दंगे में प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देंगे। लेकिन घोषणा के बावजूद आज तक दंगा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के नाम पर मात्र कुछ ही सहायता दी गयी है और जिस दिन मंत्री, मुख्य मंत्री जी गये थे उसके बाद एक भी पैसा सहायता के रूप में सरकार द्वारा नहीं दिया गया । इतना बड़ा दंगा जिसमें लोग मारे गये और उनकी संपत्ति लूटी गयी इसलिये हम आपसे व्यवस्था चाहेंगे कि जो आश्वासन दिया गया है कि प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देंगे और दंगे की न्यायिक जांच करायेंगे तो वह आश्वासन आप पूरा कराने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 सदस्य की बात को सुना। मा0 सदस्य को मालूम होना चाहिये कि आश्वासन के विषय में औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिये इसमें कोई बल नहीं है और न नियमों का उल्लंघन ही हुआ है, इसलिये इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, इसमें न्यायिक जांच अवश्य करायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको शासन को भिजवा दूंगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री मुहम्मद आजम खां के व्यवहार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री काशीनाथ मिश्र–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आदरणीय विधान सभा और विधान परिषद् के संयुक्त समवेत बैठक के समय 13 फरवरी को जो घटना घटी उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस आदरणीय सदन के सदस्य चाहे विरोध पक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, सभी एक मत के हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उसको पहले पढ़ दें।

श्री काशी नाथ मिश्र–

दिनांक 13 फरवरी, 1984 को उ0 प्र0 विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पुनीत अवसर पर इस सदन के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां ने मा0 अध्यक्ष, जो महामहिम श्री राज्यपाल के निदेशानुसार उनका अभिभाषण पढ़ रहे थे, के हाथ से अभिभाषण की प्रति छीन कर उनके संवैधानिक कृत्यों में बाधा पहुंचायी तथा महामहिम श्री राज्यपाल, माननीय अध्यक्ष तथा इस सदन के प्रति अनादर का भाव दर्शाया। श्री मुहम्मद आजम खां के उक्त अवांछनीय, अभद्र तथा अशोभनीय व्यवहार की सविस्तार जांच करने और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही संस्तुति करने हेतु सदन की एक समिति गठित की जाय जिसमें 7 से अनधिक सदस्य हों जो मा0 अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे, और जो 15 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यदि आवश्यक हो तो नियमों को शिथिल करके विचार करने की अनुमति प्रदान करें क्योंकि संसदीय जनतंत्र के समुचित संचालन के लिये विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष में कोई भेद नही है जैसा सभी जानते हैं। सदन अपने अंदर की कार्यवाहियों का स्वयं नियन्ता है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

यह मान्यवर, प्रस्ताव है, औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों को भी मौका दूंगा। आप लोग बैठ जांय।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह–

यह प्रस्ताव है, औचित्य का प्रश्न नही है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसे आप सुन लीजिए।

(लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

काशीनाथ मिश्र जी, मोहन सिंह जी एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, आप उसे उठाने दीजिए।

श्री काशी नाथ मिश्र–

क्या औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न होगा?

*श्री मोहन सिंह–

अभी यह स्वयं इसे उठा चुके हैं, यह नियमों को स्वयं तोड़ते हैं, पारंगत विद्वान पण्डित होने के बावजूद । श्रीमन्, आप नियमों के ज्ञाता हैं और सर्वाधिक समय से इस सदन के सदस्य रहे हैं । इस तरह के प्रस्ताव नियम 103 में आ सकते हैं। आपको अधिकार है कि आप इस तरह के प्रस्तावों को अपने कक्ष में बुलाकर स्वीकार कर सकते हैं और आप अपने सामने भी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और फिर उनके लिए समय निर्धारित होता है। कार्य मंत्रणा समिति में इस तरह के प्रश्न स्वीकार होते हैं और उनके लिए समय निर्धारित होता है। औचित्य के प्रश्नों के बारे में यह है कि संविधान की जिन धाराओं, नियमावलियों, नियम या उपनियमों, जिनसे इस सदन का कार्य संचालित होता है, उनके संबंध में औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है। वह कभी भी हो सकता है । आपके संज्ञान में है तो आप कभी भी उसे स्वीकार कर सकते हैं । जिस प्रश्न को माननीय काशीनाथ मिश्र उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं, जो स्वयं निष्कासित न्यायाधीश हैं, वह इस समय सदन में रहते तो इनको वह स्वयं रोकते कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं है । यह तो बाकायदा प्रस्ताव है। इस पर अभी चर्चा नहीं हो सकती है, जबतक आदरणीय सदन द्वारा कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर आप द्वारा स्वीकृत होने के बाद इस सदन में उसका समय निश्चित न हो जाए।

(घोर व्यवधान)

*श्री हुकुम सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप मुझे कहने दीजिये । (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान नियम 300 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके अन्तर्गत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औचित्य के प्रश्न उठाये जाते हैं। इसके उपखण्ड (5) को आप देखें, जो पेज 85 पर है—औचित्य का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ उल्लेख किया गया है कि औचित्य का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। आप दोनों चीजों को एक में कैसे मिलायेंगे? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो नियम और प्रक्रिया बनी हुई है, उसका पूरी तरह पालन किया जाए और जिसको जब मन चाहे जो कुछ चाहे कहना शुरू कर दे, तो इस तरह से सदन नहीं चल पायेगा। आप तो पिछले 20/25 साल से सदस्य होते आ रहे हैं, प्रश्न भी उठा रहे हैं, यह किस तरह से उठ सकता है? इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न कतई नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस समय आप सुन तो लें इनको, उसके बाद ही कोई निर्णय हो सकेगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं एक सलाह आपको देने के लिए खड़ा हूं। आप सलाह तो सुनेंगे अपना कोई निर्णय लेने के पहले?

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, आप उस पर निर्णय लें?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

इस तरह से ये पढ़ नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर तो आप निर्णय दीजिये?

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कमार गुप्त—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन का कार्य इस नियमावली के तहत होना चाहिये। आप किसी को किसी चीज पर मौका दें, हमें इसमें आपत्ति नहीं है, पर आपके अधिकार भी इस नियमावली में निहित हैं। माननीय हुकुम सिंह जी ने नियम 300 का उदाहरण रखा, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। उसके अन्तर्गत प्रस्ताव आ सकता था। (व्यवधान) माननीय काशीनाथ जी जब खड़े हुये तो आपकी दृष्टि उन पर पड़ी और आपने उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि वे यह प्रस्ताव रख रहे हैं . . (व्यवधान) उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। औचित्य के प्रश्न को पढ़ा नहीं जा सकता। नियमावली में किसी चीज को पढ़ना निषिद्ध है, उसका सहारा लिया जा सकता है, प्वाइन्ट्स नोट करके कोई ला सकता है। पढ़ नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने अपनी सहूलियत के लिये पढ़ दिया। (हंसी)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वे पढ़ नहीं सकते हैं । (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र–

(व्यवधान) यह सदन स्वयं नियमावली है, नियमावली से ऊपर है .. (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

इसी सदन ने संविधान के तहत इस नियमावली को बनाया है । यह सरकारी प्रेस में छपी है, माननीय काशीनाथ मिश्र जी के छापेखाने में नहीं छपी है .. (व्यवधान) हर काम इसी के तहत होगा ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप मान्यवर, नम्रता के साथ मेरी बात सुन लें । यह बात सही है कि यह सदन मास्टर है, किसी भी अपने नियम को निलम्बित कर सकता है, मगर उसके निलम्बन का प्रस्ताव आये तभी वह हो सकता है, जब तक कोई नियम निलम्बित नहीं होता, इसी नियमावली के अनुसार यह सदन चलेगा ।

मैं यह कह रहा था कि नियम 300 के अन्तर्गत यह आता । दूसरे नियम 110 के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव आ सकता था मगर इस नियम की परिभाषा के अन्तर्गत भी यह प्रस्ताव जिस तरह का आया है ग्राह्य नहीं हो सकता । आप मान्यवर, नियम 110 को देखें जिसमें बिना सूचना के प्रस्ताव आने का प्राविधान है । नियम 110 में शोक प्रस्ताव आ जायेगा या बधाई का प्रस्ताव आयेगा ।

श्री मोहन सिंह–

यह खुद ही सरकार का शोक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर यह सरकार का शोक प्रस्ताव ले आते तो मैं कोई विरोध नहीं करता । इसके अलावा नियम 110 में उपवेशन को स्थगित करने का प्रस्ताव आ सकता है, अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव आ सकता है । लेकिन यह जो इनका प्रस्ताव है यह नियम 110 में नहीं आता है और नियम 300 में भी नहीं आता है । इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और काशीनाथ मिश्र जी से पूछना चाहता हूं कि यह किस नियम के अन्तर्गत वह रख रहे हैं । वह न बतायें तो श्रीमन्, मैं आपके श्रीमुख से यह जानना चाहता हूं कि क्या नियम 300 की परिभाषा में आगे हम लोगों को भी प्रस्ताव पढ़ने को आज्ञा दिया करेंगे । काशीनाथ मिश्र जी, कौन से संविधान के नियम का या नियमावली के कौन से नियम का ब्रीच हो रहा है जिस मामले पर यह लाये हैं ?

राज्यपाल महोदय के सामने अगर कोई सदन में गलत काम हुआ है तो उस समय इंगित करके सदन से निकालने का प्रस्ताव आ सकता था। यह प्रस्ताव अनर्गल, अप्रासंगिक और अनिश्चित प्रस्ताव है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री भीखालाल–

अध्यक्ष जी, माननीय मोहन सिंह जी ने और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसमें और एक बिंदु मैं जोड़ना चाहता हूं। नियम 300 में लिखा है कि औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, तो मान्यवर, सदन के कार्य के सम्बन्ध में यह होना चाहिये था।

श्री काशीनाथ मिश्र–

यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री भीखा लाल–

आप सुनिये। माननीय मोहन सिंह जी ने 27 तारीख के उपवेशन को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। काशी नाथ जी ने तर्क दिया था कि उस वक्त सदन था ही नहीं, आपको अधिकार ही नहीं था, तो जब उस वक्त सदन था ही नहीं, सदन विधिवत् नहीं था तो वह अपनी ही दलील के विपरीत काट रहे हैं। उस वक्त हुयी अव्यवस्था के सम्बन्ध में अब सदन में कोई प्रश्न यदि वह उठा रहे हैं तो वह अपनी ही दलील को काट रहे हैं। यह नियमों के संगत नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप सक्षम हैं लेकिन आपके हाथ भी नियमावली से बंधे हुए हैं। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आप स्वयं इसे पढ़े होते तो आप इसे उनको उठाने की इजाजत न देते। मैं आपके माध्यम से काशीनाथ मिश्र जी से जानना चाहता हूं या आप मान्यवर, बतायें किन नियमों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव आया है। यह औचित्य का प्रश्न है नहीं, यह औचित्य का प्रश्न बन ही नहीं सकता इसलिये आपने ग्राह्य कैसे किया, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र–

यह प्रस्ताव नहीं है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, प्रस्ताव पढ़ रहे हैं कि एक कमेटी बना दी जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, अगर यह प्रस्ताव नहीं है तो औचित्य का प्रश्न तो यह बन ही नहीं सकता। औचित्य का प्रश्न नहीं है, प्रस्ताव नहीं है तो यह है क्या ?

श्री काशीनाथ मिश्र–

मेरी बात तो सुनते नहीं हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

इस प्रश्न की अनुमति देना अनावश्यक है । काशीनाथ मिश्र जी आवश्यकता से अधिक स्वामिभक्त बनने की दिशा में कदम उठा रहे हैं । राज्यपाल के निकट पहुंचने के लिये एक सीढ़ी बनाया है । काशीनाथ जी स्वयं जानते हैं, वह अनैतिक अपराध कांस्टीट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं । उनकी मंशा कुछ और है । वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस आदरणीय सदन का समय नष्ट कर रहे हैं । आदरणीय सदन इसकी इजाजत नहीं देगा । इसलिये मान्यवर, इसको आप आउट राइट रिजेक्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं बाद में इसका निर्णय दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

आप पहले व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दे दें, तब सदन चलेगा ।

(व्यवधान)

डा0 वृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, काशीनाथ मिश्र जी की बात सुनी जाय ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने जो कुछ भी प्रस्ताव सामने रखा है, मुझे उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, मुझे केवल नेता विरोधी दल से और उनके तमाम साथियों से यह कहना है कि जब उनकी बात हम लोग शांतिपूर्वक सुनते हैं, तो उन्हें भी हम लोगों की बात सुनना चाहिए ।

(व्यवधान)

तो मेरा बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन है कि हम लोग जब अपनी बात कहें, तो उसे आप लोग शांतिपूर्वक सुनेंगे और कहेंगे, तो हम लोग भी सुनेंगे, अन्यथा सदन में आने से क्या फायदा ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

माननीय काशीनाथ मिश्र ने औचित्य का प्रश्न उठाया है ।

(व्यवधान)

मैंने माननीय मोहन सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय भीखालाल, माननीय ओझा जी को सुना ।

(व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह (बुलन्दशहर)–

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र को तो सुना ही नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जहां तक महामहिम राज्यपाल का सम्बन्ध है, यह प्रश्न उठा था । वह सदन में आते हैं, यहां पर बैठते हैं, इधर अध्यक्ष होते हैं, उधर कौंसिल के चेयरमेन होते हैं उस वक्त विधिवत् सदन है या नहीं, इसका मैं निर्णय दे चुका हूं, जिसकी किताब मैंने मंगायी है, वह पढ़कर मैं बाद में बता दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

हमारे पास लिखित आ गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने तो उसे जल्दी कराया था ।

13 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी यहां बैठे थे, मैं इधर था और कौंसिल के चेयरमैन उधर थे, बाकी लोग पीछे थे । सदन के सम्मुख कोई चीज हुई, यह चीज हुई कि मैं अभिभाषण पढ़ रहा था, चुपचाप मेरे मित्र जो मुहम्मद आजम खां यहां पर बैठे हुए हैं, आये और मेरे हाथ से कागज छीनकर ले गये । [× ×]

(शेम-शेम की आवाजें)

क्या माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है ? क्या ऐसी बात नहीं हुई ?

(व्यवधान)

यह सब कुछ सदन के सम्मुख हुआ है ।

(घोर व्यवधान)

यह सबकी जानकारी में है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष महोदय, यह आप क्या कह रहे हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठें ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मारो गोली हम आ रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, रविवार को नेताओं की मीटिंग आपने कक्ष में बुलाई थी । माननीय संसदीय कार्यमन्त्री वहां मौजूद थे । इन्होंने जानना चाहा कि आप लोग कल क्या करेंगे । हमने अपनी प्रक्रिया बता दी थी । दूसरे दिन जो कुछ

नोट :–[× ×] यह अंश मा0 अध्यक्ष के दिनांक 22 फरवरी, 1984 को दिये गये निर्णय के आधार पर कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

यहां हुआ वह सब आपकी और इनकी कन्सेन्ट से हुआ । मैंने आपको बता दिया था ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मेरा नाम लिया है । मेरा निवेदन है कि मेरी बात सुन लें । नेता विरोधी दल ने यह बात कही थी और सब लोग वहां थे कि जब राज्यपाल महोदय आयेंगे हम अपने नोट, ड्राफ्ट या भाषण पढ़कर सुनायेंगे। लेकिन क्या यह तय हुआ था कि दुपट्टा ओढ़कर नाचेंगे, आपके हाथ से कागज छीना जायेगा ?

(व्यवधान)

जो नाच हुआ था क्या यह भी तय हुआ था, जो प्रदर्शन हुआ है क्या इसके लिये नेता विरोधी दल ने कहा था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब नेताओं की बैठक हुई थी तो मैंने प्रार्थना की थी कि कल क्या कार्यक्रम होगा । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि हम अपना रिजेन्टमेंट करेंगे । नोट पढ़कर सुनायेंगे , . . .

(व्यवधान)

दुपट्टा ओढ़कर आयेंगे, मेरे हाथ से कागज छीन लेंगे क्या यह तय हुआ था ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप उस प्रस्ताव की वकालत कर रहे हैं या ग्राह्यता पर व्यवस्था दे रहे हैं ?

श्री मुख्तार अनीस–

काशीनाथ मिश्र मारे जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

इस प्रकार से सदन नहीं चलेगा । आज कार्यवाही नहीं होगी ।

(व्यवधान)

(श्री मुख्तार अनीस अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र सिंह–

यह राजभवन से चल रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपको व्यवस्था देनी थी आप वकालत कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था दे दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह प्रस्ताव क्या आपने ग्राह्य किया ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या आप चाहते हैं कि सदन नियमों से चले या इस प्रकार से चले । इस प्रकार से सदन की कार्यवाही नहीं हो पायेगी ।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र–

बात से बात लड़ाइये। बात से हल्ला मत करिये ।

(व्यवधान)

विरोध पक्ष ने तीन-तीन प्रस्ताव रखे और हम लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना । ..... और हमारा जब औचित्य का प्रश्न आया तो हल्ला मचाने लगे । इनका कोई तर्क नहीं है । इनके तर्कों में कोई दम नहीं है। इसलिये यह अपना जवाब हल्ले से देना चाहते हैं। मैं जो प्रश्न उठाना चाहता हूं उसको आदरणीय विरोध पक्ष के लोग सुनें । तब तो बहस चल सकती है। लेकिन किसी भी बात का जवाब इस सदन में हुआ तो है नहीं .....

(शोरगुल)

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं .....

(घोर व्यवधान)

[2 बजकर 15 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही आध घंटे के लिये स्थगित की गयी। 2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को आधे घंटे तक और स्थगित किये जाने की सूचना सदन को दी । 3 बजकर 15 मिनट पर पुनः डिप्टी मार्शल ने 15 मिनट के लिये सदन को और स्थगित किये जाने की सूचना सदन को दी । 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

[3 बजकर 30 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

माननीय काशीनाथ मिश्रा जी ने जो यहां औचित्य का प्रश्न पेश किया है, मैं उसको अग्राह्य करता हूं और उसे उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं जो अपनी बात कह रहा हूं वह प्रस्ताव के रूप में नहीं, बल्कि वह एक औचित्य का प्रश्न है । जिस दिन राज्यपाल महोदय यहां पर पधारे, तो उनके भाषण के प्रति को, श्री मुहम्मद आजम खां ने छीन लिया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया कि उसको स्वीकार नहीं किया है । मैंने आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है । अग्राह्य कर दिया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं । प्रस्ताव आपने अस्वीकार कर दिया, वह अपनी जगह ठीक है । मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि जो उस दिन एक साथ समवेत दोनों सदनों की बैठक हुई थी, और उस समय जो घटना घटित हुई थी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इसके बारे में आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप बैठें । माननीय काशी नाथ मिश्र जी, जो आपने औचित्य का प्रश्न उठाया था, मैंने उसको अग्राह्य कर दिया है । मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है । मैं इसलिये उसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप कोई दूसरी बात कहना चाहें, तो कहें ।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि जो उस दिन की घटना थी, जो अशोभनीय घटना यहां घटित हुई, उसकी तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । मान्यवर, आपने देखा होगा कि जो राज्यपाल के भाषण की प्रति थी, जिसको कि श्री आजम खां ने छीन लिया था । मैं केवल यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय राज्य के प्रतीक हैं । सरकार में और राज्यपाल में अन्तर है । सरकार का विरोध करें, तो यह बात समझ में आ जाती है । लेकिन, राज्यपाल का विरोध–यह उचित नहीं है । मान्यवर, विरोध पक्ष जो इस आदरणीय सदन में बैठता है, यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वे राज्य की मर्यादाओं का परिपालन करें । राज्य की मर्यादा राज्यपाल में समाहित है । इस बात से विरोध पक्ष भी कदाचित सहमत होगा । मान्यवर, इस आदरणीय सदन को कैसे संचालित किया जाय और कैसे संसदीय जनतन्त्र एवं संसदीय मर्यादायें इस सदन की बनी रहें, इसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है।

मान्यवर, मैं एक लोक सभा में घटित घटना का दृष्टांत देना चाहता हूं । वहां एक बार राष्ट्रपति के आगमन पर विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों––स्वर्गीय श्री राम सेवक और मनी राम बागड़ी ने केवल हुल्लड़ मचाया था । इनकी उस प्रक्रिया पर वहां एक कमेटी बनायी गयी थी, जिसके द्वारा उनको शास्ति भी कराया गया था।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मैं समाप्त ही कर रहा हूं । मान्यवर, इसके बाबत किसी प्रकार की व्यवस्था करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की बातें न हो सकें । मान्यवर, माननीय सदस्य जो विरोध पक्ष में बैठे हैं, हो सकता है कि कभी इधर आ जायें, या माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी कभी यहां के मुख्य मन्त्री बन जायें, यह भी संभव है । लेकिन, मैं यही कहूंगा कि इस तरह की बातें नहीं चलनी चाहिये । मैं जब आपके कक्ष में

आज था, तो मुझसे माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि ऐसी घटना जनता पार्टी के राज्य में हुई थी। मैं मान्यवर, यही कहूंगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये कोई न कोई व्यवस्था की जाय। मान्यवर, जनतन्त्र में वाणी की स्वतन्त्रता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काशीनाथ मिश्र जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं आपको एक प्रस्ताव लिखकर दूंगा कि जैसी लोक सभा में कमेटी बैठी थी, वैसी ही एक कमेटी यहां भी अवश्य बनायी जाय और इस तरह के आचरण करने वाले लोगों को निश्चित रूप से दण्ड दिया जाय। मैं आपको इस आशय का एक प्रस्ताव लिखकर दूंगा।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति 1983-84 का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1980-81 के सिविल प्रतिवेदन के पैरा 3.1 "राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम" पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984††

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 10 पुकारे जाने पर।)

---

†छापा नहीं गया।

††दिनांक 17 फरवरी, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

(कृषि मंत्री को पुकारे जाने पर)

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आज जिस विधेयक को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगने का प्रस्ताव है, इसके पूर्व जो इस विधेयक की भावना थी उसकी अभिव्यक्ति अध्यादेश के माध्यम से कर दी गयी थी । इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों पर पड़ा है । इतने अलोकतान्त्रिक तरीके से अध्यादेश लाकर जनमानस का मखौल उड़ाया गया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग इस अध्यादेश को लेकर आज आन्दोलित हैं । हम अपेक्षा तो यह करते थे कि यह विधेयक पुरःस्थापित करने से पहले आप जनता की राय देखते हुए अपने आप को ठीक कर लेते, लेकिन इनका लोकतन्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है. . . . . ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हुकुम सिंह जी आप बैठें, पहले प्रस्ताव को पेश करने दें फिर आपको अधिकार होगा अपनी बात उठाने का ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रस्ताव पेश करने से पहले ही अधिकार है । मैं यह बताना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, पहले प्रस्ताव हो जाने दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आज के समाचार-पत्रों में छपा है कि कांग्रेस (आई) के 150 विधायकों ने हस्ताक्षर करके. . . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसका क्या मतलब है ?

श्री हुकुम सिंह–

इसका मतलब है कि स्वयं सत्ता पक्ष के विधायक इसके विरोध में हस्ताक्षर करके ज्ञापन दे चुके हैं । इसका मतलब यह है कि इस प्रदेश की जनता इसके विरोध में है ।

(व्यवधान)

(श्री मोहन सिंह के हंसने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मोहन सिंह जी, यह बात ठीक नहीं है, आप उकसाते रहते हैं और हंसते रहते हैं ।

(हंसी)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं संविधान के अनुच्छेद 246 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें तीन सूचियां बनी हुई हैं। एक सूची वह है जिसमें केन्द्र सरकार को अधिकार है, दूसरी सूची में राज्य सरकार या राज्य विधान मण्डल को अधिकार है। इसी सूची को देखें। इसमें 66 मदें हैं, जिसके ऊपर राज्य विधान मण्डल को या राज्य सरकार को अध्यादेश के माध्यम से या विधेयक के माध्यम से कानून बनाने का अधिकार है। इसमें 46, 47, 48 और 49 मद संख्या पर कृषि आय पर कर कृषि भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में शुल्क तथा कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा सूचक भूमि तथा भवनों पर कर। 49वीं मद में उत्पादन शुल्क है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृषक किसी चीज का उत्पादन करता है उसको बेचने के लिये मण्डी स्थल पर जाता है, तो क्या इस कारण से कि वह उसको उत्पादन करने के बाद बेचना चाहता है, आप उत्पादक के ऊपर शुल्क लगा सकते हैं? क्या यह विधान मण्डल के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं? आपने खरीदार पर शुल्क लगाया हुआ है, वह आता कहीं से हो लेकिन उत्तरदायित्व खरीदार के देने का है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उत्पादन किया है, अगर आपने उत्पादन पर भी शुल्क लगा दिया तो वह गलत होगा।

इसके अलावा जो भी कृषि उत्पादन वस्तुयें हैं, उनके ऊपर आप शुल्क नहीं लगा सकते हैं और दूसरी बात यह कि आप उनसे पैसे कैसे लेते हैं। यह फीस तो आपको उस समय लेनी चाहिये यह जब आप उनकी किसी प्रकार की सहायता करते हों, उत्पादन में। दूसरी बात आपने यह कही कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत यह किया जा रहा है। अगर ऐसा था तो उसकी प्रतिलिपि हम लोगों को उपलब्ध कराते ताकि हम लोग देख लेते लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसीलिये मान्यवर, आज जो विद्रोह हो रहा है वह इसी बात का प्रतिबिम्ब है। नम्बर दो यह कि ऐसा नियमों में भी कहीं नहीं है कि बगैर कोई कारण बताये टैक्स लगा दिया जाय और जो कारण दिये भी गये हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आदि के हवाले, जब तक यह सारी चीजें यहां उपलब्ध न हो जायं, तब तक मेरा सुझाव है कि इसको मतदान के लिये सदन में न रक्खा जाय।

*श्री गौरी शंकर भैय्या–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली उसके नियम 118 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें साफ तौर पर दिया गया है कि "विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन और विधेयक में धन खण्ड—(1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

श्रीमन्, अब मैं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1984 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके उद्देश्य और कारण में दिया गया है कि "मण्डी स्थलों में क्रेताओं पर लगाये और वसूल किये गये शुल्क का उपयोग मण्डी क्षेत्रों के विकास और संयोजन, सड़कों, पुलियों और ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिये नहीं किया जा सकता किन्तु इसका उपयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों को सुविधायें और सुख साधन देने की व्यवस्था करने के लिये किया जाना चाहिये जिनसे वह वसूल किया जाय। चूंकि ग्राम्य विकास के लिये सम्पर्क सड़क, पुलिया, ग्रामीण गोदामों इत्यादि का निर्माण, अनुरक्षण और उनकी मरम्मत करना अत्यावश्यक है। इसलिये यह विनिश्चय किया गया कि मण्डल क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय के सौदे पर उत्पादकों से कृषि उत्पादन के विक्रय मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मण्डी शुल्क लगाया और वसूल किया जाना चाहिये और उसका उपयोग उपर्युक्त और अन्य सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये किया जाना चाहिये।"

इसलिये मैं निवेदन करता चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन भी चाहिए और जब तक यह सरकार की तरफ से न हो तब तक इस विधेयक को सदन के अन्दर पारित करने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं नियम 123 और 125 के तहत कुछ बातें रखना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था किसी संसदीय प्रक्रिया नियमावली के अन्दर है कि यह सदन अपने निर्णय के खिलाफ कोई निर्णय ले सकता है। यह जो 1 प्रतिशत अतिरिक्त मण्डी शुल्क लगाया जा रहा है अब इससे पहले 50 पैसे लगाया गया था।

उस समय इसी सदन ने निश्चय किया और उसको रद्द कर दिया। सदन के उस फैसले को रद्द कर दिया और एक रुपया प्रति सैकड़ा कर दिया और करदाता पर टैक्स लगा दिया और फिर आप उसी काश्तकार पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उसका निगेटिव इफेक्ट हो रहा है। आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। एक रुपये के स्थान पर आप दस रुपये कर सकते हैं। आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकते हैं जो इस सदन के निर्णय को बदल दे। यह किसान हित विरोधी है। अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने इस पर विस्तार से कहा। उसके अन्दर सबसे बड़ी बात डिस्क्रिमिनेशन की है। कान्स्टीट्यूशन में यह व्यवस्था है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने साफ घोषणा की है और राजाज्ञा की है कि जो लोकल बाडीज हैं उनमें जब तक निर्वाचन नहीं होता है तब तक कोई टेक्स नहीं लगाया जायेगा। इसकी मंशा यह है कि जब चुने हुए लोग आ जायेंगे तब वह समझ बूझकर टेक्स लगायेंगे। इनके चुनाव ड्यू हैं। प्रति पक्ष की मांग है कि आप इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन को डिवैलुएट न करें, उनका चुनाव करायें। आप नियम बनाते हैं, लेकिन यह किसान हित विरोधी है। किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की गाड़ी कमाई से इसकी वसूली होनी है । जगह जगह पर बैरियर्स लगा दिये हैं । आपने इसको मल्टीपूल टैक्स कर दिया है । किसान को एक गेहूं की गाड़ी पर 25 रु0 टैक्स देना पड़ेगा । मान्यवर, चुनाव ड्यू हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक टैक्स नहीं लगाना चाहिये।

यह आर्डीनेन्स के द्वारा टैक्सेशन किया गया है । इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट का फैसला है और हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि आर्डीनेन्स के द्वारा टैक्सेशन करना अच्छी बात नहीं है, मर्यादा के खिलाफ है । इसको सदन में लाना चाहिये था । हम लोग भी उस पर अपना व्यू प्वाइन्ट रख सकते । मान्यवर, संसदीय प्रक्रिया में है क्या, हम अपनी बात कह सकते हैं । लेकिन आप हमारी बात को सुनते कहां हैं । हम जनता की आवाज आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन आपने इसको एक आर्डीनेन्स के द्वारा कर दिया । मान्यवर, नियम 123(2) की आपत्ति है । नियम 125 के बारे में भी कहना चाहता हूं। उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकते हैं कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां यदि कोई हों जिन पर विधेयक आधारित हो और गोपनीय न हो, सदन के पटल पर रख दी जायं।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि कुछ मामले हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने होल्ड किया और फैसला दिया कि मण्डी स्थलों में क्रेताओं पर लगाये और वसूल किये गये शुल्क का उपयोग मण्डी क्षेत्रों के विकास और संशोधन के लिये नहीं किया जा सकता, इसका उपयोग उन व्यक्तियों की सुख सुविधा के लिये किया जाना चाहिये । तो मान्यवर, यह फैसला आप सही मान लेते और एक संशोधन मूव कर देते जहां पर लिखा था, क्रेता के हित में अमेण्ड करके विकास के लिये कर देते तो बात पूरी हो जाती और गरीब किसान के दोहन का मौका न होता। फांसी उसको लगती है जिसके गले में फन्दा होता है। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया उसको आप मान लेते। नियम 125 कहता है कि जब कोई चीज हाई कोर्ट के फैसले पर आधारित है तो तब तक चर्चा नहीं हो सकती है जब तक उसकी प्रतिलिपि यहां पर न मिल जाये । आप कहेंगे कि आज ही क्यों जिद कर रहे हैं । 16 तारीख को छुट्टी है और हम 17 को आयेंगे तो जजमेन्ट की कापी कैसे मिल जायेगी । इसी प्रकार का एक मामला आया था और मैंने उसको उठाया था और आपने उसको स्वीकार भी किया था। सिंचाई विभाग की कमेटी की रिपोर्ट थी। सिंचाई मन्त्री की रिपोर्ट आयी तब उस पर चर्चा हुई.....।

इसके पहले जिस समय यहां पर माननीय बनारसी दास जी थे, उस समय भी यह व्यवस्था हुई है। उनकी रूलिंग है । जिस बात पर आधारित यह विधेयक है उसकी रिपोर्ट जब तक हमें देखने को नहीं मिलेगी तब तक इस पर चर्चा नहीं हो सकती है । यह हमारा अधिकार है, हक है, यह हमें मिलनी चाहिए । इसलिये, मान्यवर, नियम 125 का संरक्षण देते हुए आप सरकार को निदेशित करें कि यह यहां पर पुरःस्थापित तो चर्चा के पहले हो सकता है लेकिन जब तक हाई कोर्ट के जजमेन्ट की कापी हमें नहीं मिलती है, वह देखने को नहीं मिलता है, हम चर्चा नहीं

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

करना चाहते हैं । इसी तरह से नियम 123(2) के बारे में मैंने तीन बिन्दुओं पर आपत्ति की है । इन चार आपत्तियों का आप निराकरण कर दें । विधान सभा ने जो फैसला कर लिया है उस पर नेगेटिव फैसला करने के लिये संशोधन नहीं आ सकता है ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष, माननीय हुकुम सिंह जी ने तथा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो आपत्ति उठायी है, वह सत्य है कि जो विधेयक पेश किया जा रहा है वह किसान विरोधी है । संविधान में यह अधिकार आपको नहीं है । सिर्फ दो चीजें, अफीम और अल्कोहल को छोड़कर आप इस तरह से टैक्स नहीं लगा सकते हैं । पहले किसान पर 50 पैसा लगाया था तो विधेयक को जजमेन्ट की लाइट में एक्ट के अन्दर चेन्ज करना चाहिये था । जो पैसा किसानों से इस तरह से आता है उसे किसानों के ऊपर ही खर्च करना चाहिये । इसलिये श्रीमन्, हम चाहते हैं कि इसकी आज अनुमति न दें।

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

माननीय अध्यक्ष जी, दो प्रश्न कानूनी और एक प्रश्न अखबार से हमारे माननीय सदस्य ने एक साथ जोड़ दिये जिसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं था लेकिन उन्होंने उसे इसमें जोड़ दिया । उसका भी उत्तर मैं दूंगा । नियम 123 का हवाला है और 125 का हवाला है । जहां तक 125 का ताल्लुक है उसके बारे में हमारे माननीय सदस्य गुप्ता जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि पुरःस्थापन हो सकता है, अनुज्ञा पुरःस्थापन को मिल जाय उसके बाद वे उसे देखना चाहेंगे और तब चर्चा करेंगे। तो पुरःस्थापन हो सकता है। उसके उपरान्त ही वह स्थिति आयेगी। दूसरे 123 में जो प्रश्न है उसका अधिकार इस सदन को है और उसके गुण-दोष पर व्याख्या करने का जहां तक प्रश्न है वह पुरःस्थापित करने के बाद उस पर पूरी बहस और गुण-दोष पर विवेचना होगी।

तीसरी बात जो आपने कही कि कुछ माननीय सदस्यों का अखबार में बयान आया है वह हकीकत मुझे मालूम है कि वह किसान विरोधी है अथवा किसान विरोधी नहीं है। मैं और मेरा दल किसानों के हित में जो भी बात कहेंगे और जो भी बात विरोध की होगी उसके सुधार का अधिकार, सुधार का तरीका भी हम लोगों के पास है। उसको हम कर लेंगे। जिस संख्या की बात आपने कही है और उसके आधार पर कोई विरोध की बात होगी तो उसका सुधार हो जायेगा। इसलिये इस पर पुरःस्थापन के लिए अनुज्ञा मांगना नियम के प्रतिकूल नहीं है और न कानूनी रुकावट है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने कहा कि आप यह नेगेटिव फैसला ले रहे हैं।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

यह किसान विरोधी है।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

यहि किसान विरोधी है जिसे आप पुरःस्थापित करने जा रहे हैं.....

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि इसे पुरःस्थापित न किया जाय क्योंकि यह किसान विरोधी चीज है।

श्री श्रीपति मिश्र–

मैंने स्वतः स्वीकार कर लिया है कि अगर कोई चीज किसान विरोधी होगी तो मेरा दल जहां आवश्यक होगा उसमें संशोधन करेगा।

श्री हुकुम सिंह–

यह किसान विरोधी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय हुकुम सिंह, माननीय गौरी शंकर भैय्या, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता सदन आदि को सुना। माननीय गुप्ता जी ने जो 123 और 125 का हवाला दिया उसको मैंने देखा है। 125 में–विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति–विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और गोपनीय न हो, सदस्य के पटल पर रख दी जायं। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

वही हम कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक इन तमाम चीजों का संबंध है विधेयक की वैधानिकता के सम्बन्ध में न्यायालय ही निर्णय दे सकता है, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष पद से दिए गए निर्णयों के संकलन के, पृ0 369–372 उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, 1962 के संबंध में अध्यक्ष ने कहा है। किसी विधेयक के पुरःस्थापन की अनुज्ञा के प्रस्ताव पर विधायिनी क्षमता के बारे में ही विचार हो सकता है।

श्री हुकुम सिंह–

इसे स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक इन तमाम चीजों का संबंध है संवैधानिकता पर निर्णय न्यायालय करेगा यह सदन नहीं। चूंकि इस विधेयक में कोई व्यय अंतर्ग्रस्त नहीं है। अतः वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। जहां तक नियम 125 का संबंध में वह लागू नहीं होता क्योंकि यह तब लागू होता है जब विधेयक पुरःस्थापित हो जाय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

चूंकि इसका फैसला हो गया है इसके विरोध में हम सदन त्याग करते हैं।

श्री भीखालाल–

यह किसान विरोधी है।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री भीखालाल, श्री फखरे आलम अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री राम स्वरूप वर्मा भी सदन से उठकर चले गये।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1984†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक 1984 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मुझे आज कार्य स्थगन के बारे में 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं –– श्री सरदार सिंह, श्री धनीराम वर्मा, श्री शंकर सिंह, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री मुख्तार अनीस तथा जनार्दन प्रसाद ओझा, की प्रदेश में शिक्षकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जटाशंकर सिंह, श्री बलबीर सिंह तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की, व्यापारियों के प्रदेश व्यापी आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री भीखालाल तथा श्री मित्रसेन की गोमती नदी, लखनऊ में नाव डूब जाने से कई लोगों के मरने के संबंध में है।

श्री हरगोविन्द वर्मा की द्वारिका प्रसाद पुत्र जोधन, तहसील महमूदाबाद, सीतापुर की भूख से मृत्यु होने के संबंध में है।

---

†दिनांक 17 फरवरी, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री अध्यक्ष–]

आगे है श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, डा0 शिवानन्द नौटियाल, श्री विद्यासागर नौटियाल, श्री फखरे आलम और नियाज अहमद की चमोली में भोटिया जनजाति के लोगों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के संबंध में है।

श्री नन्द किशोर सिंह और श्री हरिवंश सहाय की फाजिलनगर (देवरिया) में उप चुनाव के दौरान तीन लोगों के मरने के सम्बन्ध में और यही सूचना श्री मोहन सिंह, श्री कुबेर भंडारी, श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह और श्री विश्वनाथ ने दिया है।

श्री राम स्वरूप निम, श्री संत बख्श रावत, श्री मोतीलाल देहलवी, श्री राम सागर और श्रीमती विमला राकेश की महर्षि गुरु रविदास जयन्ती पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा किये जाने के संबंध में है।

श्री बदन सिंह, श्री विजय सिंह राना, की, आगरा के तीर्थ स्थल बटेश्वर के अध्यापक की पुत्री का अपहरण एवं बलात्कार के संबंध में है।

श्री किरन पाल सिंह – लोकदल कार्यकर्ता महेन्द्र सिंह, जनपद बुलन्दशहर की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में है।

मैंने बोलने के लिए तीन स्वीकार किया है और सबसे पहले मैं श्री सरदार सिंह से निवेदन करूंगा कि प्रदेश में शिक्षकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ग्राह्यता के बारे में संक्षेप में अपनी बात कहें।

*श्री सरदार सिंह–

मा0 अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षक संघ हड़ताल किये हैं जिसके कारण प्रदेश के छात्रों का अहित हो रहा है और अध्यापन कार्य बिल्कुल ठप्प पड़ा है। बहुत से लोग हमसे मिले हैं और निर्णय लिया है कि इस साल अपने बेटे बेटियों को परीक्षा में नहीं बिठायेंगे चूंकि पढ़ाई नहीं हुई है। प्रदेश में शिक्षा की खराब स्थिति है। इसलिये पूरा सत्र का सत्र इस साल खतरे में है। परीक्षायें निकट हैं, इसलिये चूंकि यह प्रदेश के छात्रों, उनके अभिभावकों और अध्यापकों से संबंधित अहम मामला है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए आज आगे की कार्यवाही रोककर इस मामले पर सदन में चर्चा करायी जाये और सरकार इसके बारे में वक्तव्य दे। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

एक प्रश्न पर एक ही माननीय सदस्य बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैंने जो दिया है वह उससे हटकर है। मैं कहना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

एक प्रश्न पर एक ही मा0 सदस्य को बोलने की आज्ञा है, सभी को नहीं। जो बिना आज्ञा के बोल रहे हैं उनका नहीं लिखा जायेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मेरा भी प्रस्ताव है। हमारी नोटिस आप पढ़ें तो हमारा दूसरा मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पढ़ लिया है। आप बैठ जायं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मेरे काम रोको प्रस्ताव को देख लें तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

पांच सदस्यों की सूचना है इसलिये इसमें सभी को बोलने की इजाजत नहीं है। आप लोग बैठ जायं। मैं इसको शासन के पास भेज दूंगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

श्रीमन्, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने अपने काम रोको प्रस्ताव में एक दूसरी बात भी कही है. . . . (व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा व श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री एक साथ बोलते रहे।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा, इस पर आप लोग कन्ट्रोल कीजिए । कई बार तय हो चुका है कि एक ही माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया जायगा । आप इसको बदल दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, उसमें हम और आप दोनों नियमों में बंधे हुए हैं। आप हमें सहयोग कीजिए, इस तरह से कैसे चलेगा?

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, आपके साथ जो सहयोग करें, उसका तो ख्याल कीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने . . . .

श्री अध्यक्ष–

लेकिन केवल एक मिनट ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

श्रीमन्, मैंने दो मिनट के लिए कहा था। आज सारे प्रदेश का शैक्षिक जगत उद्वेलित है। इसी आदरणीय सदन में इस निकम्मी सरकार ने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार किया था कि हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। आज कौन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सी बात हो गई कि आप अपनी बातों से, वायदे से बिल्कुल मुकर रहे हैं। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस सरकार के राज्य में जो पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक हैं, उनकी मान-प्रतिष्ठा को तिलांजलि देकर आज उन्हें तृतीय श्रेणी में जेलों में रखा जा रहा है। उनको सुपीरियर क्लास देना चाहिए। आज वे तृतीय श्रेणी में सड़ रहे हैं। आज पूरा प्रदेश उद्वेलित है। परीक्षाएं और प्रैक्टिकल परीक्षाएं बिलकुल सामने आ गयी हैं, लेकिन यह हिजड़ी और शिक्षा और शिक्षक विरोधी सरकारी बेशर्मी से बैठी हुई है।

(व्यवधान)

मैं नम्रता पूर्वक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार सदन में आश्वासन दे कि आज ही सारे प्रदेश में शिक्षकों को जिलों से छोड़ दिया जायगा। उनकी रिहाई की यह सरकार घोषणा करे। आज जो अध्यापक जेलों में हैं और जिस बात को इन्होंने एक बार नहीं दर्जनों बार स्वीकार किया है उसको असली रूप में स्वीकार करें। यदि यह सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह आदरणीय सदन नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठिए। कोई शब्द भी नहीं लिखा जायेगा

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[× X ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं, माननीय ओझा जी बैठिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[× X ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, इसलिये एक शब्द भी नहीं लिखा जायेगा।

एक सदस्य–

अभी माननीय सदस्य ने 'हिजड़ा' शब्द का प्रयोग किया है, यह शब्द असंसदीय है, इसको आप निकलवा दीजिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[× X ×]

श्री अध्यक्ष–

यह बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, इसलिये कुछ नहीं लिखा जायेगा. . .

(व्यवधान)

नोट–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । जब वक्तव्य होगा तब मौका दूंगा । आप कृपया बैठें । यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, यह लिखा नहीं जायेगा ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने हड़ताल की बात कही। जहां तक शिक्षा का सवाल है, या शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के हितों का सवाल है, यह सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है . . . (व्यवधान)

एक सदस्य–

यह झूठ है ।

श्री अम्मार रिजवी–

झूठे को झूठ ही नजर आता है। (व्यवधान) मैंने निवेदन किया कि उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है । शिक्षकों से वार्ता भी बराबर चल रही है । हमारे राज्य मंत्री जी के साथ कई बार बैठक भी उनकी हो चुकी है । मैं स्वयं भी उनसे मिला हूं । यह प्रयास हो रहा है कि किसी प्रकार का समझौता हो जाय ।

मान्यवर, हमारे शिक्षकों को भी यह सोचना पड़ेगा कि जब भी विद्यार्थियों के इम्तिहान का समय आता है तभी वे आन्दोलन करते हैं, यह कहां तक उचित है । आज करोड़ों विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं । आज पूरी शिक्षा अव्यवस्थित और छिन्न-भिन्न हो गयी है । ऐसे समय हर शख्स को, चाहे वह अध्यापक हो, विद्यार्थी हो, विधायक हो, या अभिभावक हो यह प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा सही रास्ते पर चल सके, उसमें रुकावट न डाली जाये । अगर ऐसे समय में इस तरह से आन्दोलन किये जाते रहेंगे तो भविष्य में यह चीज भयंकर रूख अख्तियार कर सकती है । जहां तक सरकार का संबंध है, हम पूरी तरह से उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये तैयार हैं और कर रहे हैं । मैं भी 24 साल तक शिक्षक रहा हूं और मुझे भी उनके साथ पूरी सहानुभूति है । (व्यवधान) विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता . . . (व्यवधान)। हम न्यायोचित मांगों पर हर वक्त सहानुभूति पूर्वक विचार करने को तैयार हैं । उत्पीड़न अगर कहीं हुआ है तो उसको समाप्त किया जा रहा है । समाप्त किया जायेगा । जो शिक्षकों की कठिनाइयां हैं, उचित हैं, उन पर विचार किया जायेगा और उनको दूर किया जायेगा ।

लेकिन साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा और अपेक्षा करूंगा कि पूरे प्रदेश की शिक्षा को इस तबाही के कगार से बचाने के लिए माननीय नेता विरोधी दल, विरोधी दलों के नेता और अभिभावकगण भी सहयोग दें।

नोट:–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—

व्यापारियों के प्रदेश व्यापी आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गुप्ता जी आप संक्षेप में कहें, किसी दूसरे को आज्ञा नहीं मिलेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरी बात सुन लें, बाकी सदस्य जानेंगे।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि दूसरे को आज्ञा नहीं मिलेगी तो मान्यवर, कैसे चलेगा। अध्यापकों की पिटाई हो रही है। हम लोगों को फांसी के तख्ते पर अम्मार साहब ने चढ़ा दिया और कहा है कि हड़ताल करो। मान्यवर, आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, अभी जब मंडी समिति का विधेयक आया था तो हमने कहा था कि यह किसान विरोधी है, किसानों को विनाश के कगार पर सरकार ने खड़ा कर दिया है। सरकार ने अतिरिक्त मंडी शुल्क लगा दिया और अब बिक्री कर अधिनियम में एक संशोधन करके सरकार ने खतरनाक काम किया है। सरकार ने वादा किया था कि बिक्रीकर समाप्त करेगी लेकिन उसको समाप्त न करके कोढ़ में खाज का काम कर दिया है। जो चीज व्यापारी उपभोक्ता से वसूल नहीं कर पायेगा, ऐसा सरचार्ज लगा दिया है जिसको अपने पास से व्यापारी को देना पड़ेगा। जो पंजीकरण कराना चाहते हैं उसमें जमानत सिर्फ मौखिक लेते थे, अब वह टैक्सेशन के मेजर में आते हैं या नहीं, टैक्सेशन के परव्यू में आते हैं या नहीं लेकिन अगर पंजीकरण कराना है तो एक हजार रुपया जमा करना पड़ेगा। किसी भी व्यापारी, छोटे-छोटे व्यापारी हैं जो 4 या 5 हजार रुपया से अपना करोबार करना चाहते हैं उनको एक हजार रुपया जमा करना पड़ेगा। इससे सम्पूर्ण प्रदेश में आन्दोलन की स्थिति पैदा हो गयी है। यह अत्यन्त जन विरोधी कार्य सरकार ने किया है। यहां पर प्रदर्शन हुआ जिसमें 1 लाख से अधिक लोग आये और उन्होंने सम्पूर्ण प्रदेश बन्द किया। असंतोष इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके पांच प्रतिनिधियों ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है। मान्यवर, इसी लिए मैं इस पर बल देता हूं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है और सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में व्याप्त है। उपभोक्ता तथा दूकानदारों के हित के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इसको वापस ले ले। लेकिन सरकार की नियत क्या है? यहां पर प्रदर्शन हुआ और 6 व्यापारी जो सुल्तानपुर से आये थे वह कोतवाली में पता लगाने के लिए गये कि उनके और साथियों का क्या हुआ? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन 6 लोगों से नाम और पता तक नहीं पूछा गया और बन्द कर दिया गया। उन पर 307 लगाया गया। वह मुख्य मंत्री के क्षेत्र के थे, बदले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

की भावना से, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए धारा 307 में बन्द कर दिया गया। उनको सुपीरियर क्लास भी नहीं दिया गया इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन जो आन्दोलन हो रहा है उस पर मैं बल देना चाहता हूं कि इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर चर्चा करा दें वक्तव्य से हमारा समाधान नहीं हो सकता। यह अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है, तत्काल घटी है और सम्पूर्ण प्रदेश इससे आन्दोलित है। मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

(श्री अम्मार रिजवी के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

कृपया भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि जिस मंत्री से सम्बन्धित यहां पर प्रश्नोत्तर हो उनको यहां रहना चाहिए यदि वह बाहर नहीं हैं और बीमार नहीं हैं। संबंधित मंत्री को जवाब देना चाहिए। आप अपनी तरफ से या मुख्य मंत्री से अपने मंत्रियों को इस प्रकार का एक सर्कुलर भेजें और भविष्य में खास तौर से इसका पालन होना चाहिए। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी का आप जवाब न दें।

श्री ऊदल—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री ऊदल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आपने संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहा कि आप अपने मंत्रियों के लिए एक सर्कुलर कर दीजिए कि जिनका विषय हो यदि वह यहां लखनऊ में उपस्थित हों तो जवाब दें।

मान्यवर, इनके सर्कुलर से तो काम चलेगा नहीं, मान्यवर, हमेशा पीठ की तरफ से इस तरह के निर्देशन किये गये थे। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि आपकी तरफ से इसके संबंध में निर्देशन होना चाहिये और अगर श्रीमन्, आपकी तरफ से निर्देशन नहीं होता, तो माननीय सदन का अपमान जिस तरह से हो रहा है, आगे भी होता रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री सचिवालय में मौजूद हैं, मान्यवर, उनको बुलाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह कृषि मंत्री से कहां संबंधित है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह कृषि मंत्री और वित्त मंत्री से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

मैं भी अपनी तरफ से लिख दूंगा, यदि संबंधित मंत्री यहां पर हैं और यदि वह नहीं आ सकते हैं, तो वह मुझसे आज्ञा ले लिया करें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, सरकार उनके ऊपर विचार कर रही है, इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें। मान्यवर, इससे सारी स्थिति सदन के सामने आ जायगी।

(श्री भीखा लाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, कांग्रेस की गोली से जो तीन लोग मारे गये हैं, उसके बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, लखनऊ में 8 फरवरी को सरस्वती पूजा के दिन मूर्ति विसर्जन के समय जो 40 आदमी, नवजवान और बच्चे गोमती में डूब कर मर गये यह सभी लोग जानते हैं। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसी दुर्घटनायें पहले भी हो चुकी हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी लखनऊ से सम्बन्धित हैं, उन्हें मालूम होगा कि शबे-बारात का जुलूस जब पहले निकला था, उसमें भी नाव दुर्घटना से तीन आदमियों की मृत्यु हुई थी। मान्यवर विश्वकर्मा के विसर्जन के समय भी ऐसी दुर्घटना हुई थी। उसमें एक व्यक्ति मरा था। मान्यवर, सरकार ने उन पुरानी दुर्घटनाओं के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं किया कि वहां पर दरियायी पुलिस का प्रबन्ध हो, विशेष गोताखोर की व्यवस्था कर दी जाय, विशेष प्रकार की नावों की व्यवस्था कर दी जाय और रोशनी का माकूल प्रबन्ध किया जाय। मान्यवर, उन आदमियों को छोड़ दिया गया कि वह अपनी भाग्य से जिन्दा रहें या अपनी मौत से मरें। मान्यवर, ऐसे मौके पर वहां पर रोशनी की भी व्यवस्था नहीं की गयी। मान्यवर, इस घटना से खाली लखनऊ ही नहीं, पूरा प्रदेश दुःखी है। एक घंटे के अन्दर 40 नवजवान और बच्चे डूब कर मर गये। मान्यवर, आपने कहा कि इसे नियम 301 में स्वीकार कर लिया गया गया है, मेरा निवेदन है कि उसमें मेरा भी नाम जोड़ दिया जाय और जो भी कार्यवाही हो शासन की तरफ से, उसकी सूचना मुझे भी मिलनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री कोष से रुपये की घोषणा की गयी है, मेरी जानकारी है कि अभी कल तक वह रुपया नहीं पहुंचा है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री से इतना कहलवा दें कि कल तक वह रुपया मिल जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो विचार माननीय भीखा लालजी ने व्यक्त किये हैं, उससे हम सभी लोग सहमत हैं, उससे हम सब बेहद दुःखी हैं। उसमें 5 हजार रुपया प्रति व्यक्ति माननीय मुख्य मंत्री के कोष से घोषणा की गयी है, मैं यह प्रयास करूंगा कि कल तक वह रुपया पहुंच जाय। जो माननीय भीखा लाल जी ने विशेष प्रकार की मोटर और किश्ती की व्यवस्था के संबंध में जीवन बचाने के लिए कही है, उसके संबंध में जो भी व्यवस्था हो सकती है, मान्यवर, उसकी व्यवस्था की जायगी।

[4 बजकर 25 मिनट]

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक बहुत गम्भीर मामले से सम्बन्धित है। मान्यवर, एक मनहूस मंत्रि मण्डल के पुनर्गठन के दो दिन बाद ही जिला चमोली में पहली बार भोटिया जन जाति के ऊपर भीषण गोली का प्रहार किया गया और वहां घटनास्थल पर श्री फतेह सिंह की मृत्यु हो गई। भोटिया लोगों की बारात लंगासू बाजार के पास से जा रही थी और वह अपना पुस्तैनी नृत्य पाहुना कर रहे थे उधर से तहसीलदार, कर्णप्रयाग की जीप निकली और उसने एक आदमी को टक्कर मारी जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। उन लोगों ने उसका विरोध किया तो तहसीलदार ने थाना कर्णप्रयाग में रिपोर्ट लिख कर 5 लोगों को गांव में जाकर गिरफ्तार करा लिया। उसके विरोध में उन लोगों ने 9 तारीख को प्रदर्शन किया। उनका प्रदर्शन शान्तिप्रिय था। किन्तु पुलिस ने उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ी और वह लोग तितर-बितर हो रहे थे कि उनके ऊपर पुलिस ने 2 सौ गोली चलायी जिसमें एक व्यक्ति घटना स्थल पर ही मारा गया और कितने लोग गायब हैं। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया इसमें दो महिलायें भी हैं। वहां पर भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। पुलिस गांवों में जाकर लोगों को आतंकित कर रही है। वहां के एक वकील नारायण सिंह राणा घटना स्थल से गायब हैं। अभी तक उनका पता नहीं चला है। वहां पर बाजार बन्द है, हड़ताल हो रही है। बार एसोसियेशन हड़ताल कर चुका है। मैं इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय और सदन का कार्य-स्थगन होना चाहिए। इस प्रकार की घटना यहां के लिए तो सामान्य है किन्तु पहाड़ के लिए जहां लोग शान्तिप्रिय हैं भयंकर बात है। वहां पर लोगों में आतंक व्याप्त है। यह ए0 डी0 एम0, चमोली, एस0 डी0 एम0, कर्णप्रयाग और सी0 आई0, पुलिस, गोपेश्वर की लापरवाही की वजह से हुआ है। वहां आतंक व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष–

बहुत हो गया। अब आगे मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मंत्री जी से कुछ कहलवा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रस्तावों को लेने का समय है....

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

4 बजे समय हो गया। मैं स्वीकार भी कर लूं तो बहस नहीं हो सकती है। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[× X ×]

श्री विद्या सागर नौटियाल–

[× X ×]

श्री अध्यक्ष–

एक शब्द नहीं लिखा जायेगा। जसवन्त सिंह जी आप बैठें . . . .

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं विचार करूंगा। आप बैठें।

श्री विजय सिंह राना–

एक मेरा भी प्रस्ताव है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

कितना गम्भीर मामला है माननीय मंत्री जी का कुछ जवाब तो आ जाय ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसमें सारी घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा चुकी थी उसके बाद जो निष्कर्ष . . . .

(व्यवधान)

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री विद्यासागर नौटियाल, डा0 शिवानन्द नौटियाल तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी सदन के बीच फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे) श्रीपति मिश्र की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, अंधे बहरों की सरकार नहीं चलेगी।)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा स्वीकार करते हैं, आप बैठिये। समय को देखिए 4.00 बजे का समय था। हम वायदा करते हैं।

(श्री अध्यक्ष के आश्वासन पर सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

नोट :—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा उत्तराखण्ड

*श्री मोहन सिंह—

हम तो आपके सहयोगी हैं। मान्यवर, एक बिन्दु की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे सामने एक संकट आ गया है। 23 तारीख को देवरिया जिले के फाजिलनगर में शान्तिपूर्वक मतदान हो रहा था। इस चुनाव में कांग्रेस (आई) के श्री गुलाब सेहरा व श्री बच्चा पाठक जो मंत्रि मण्डल के सदस्य हैं चुनाव इंचार्ज बनाये गये थे। इन लोगों के नेतृत्व में पूर्वांचल के अपराधी गिरोह निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद अस्त्र-शस्त्रों से लैस होकर के निरीह मतदाताओं को धमका रहे थे कि चुनाव के मौके पर सहकारिता विभाग और हरिजन समाज कल्याण विभागों से उक्त मंत्रीगण संबंधित चुनाव चन्दा के नाम पर अधीनस्थ अधिकारियों को आतंकित कर हरिजन अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया और उन्हें आतंकित कर इन मंत्रियों द्वारा धन संग्रह किया गया। मान्यवर, मैंने चार दिन पहले ए0 डी0 एम0 से कहना शुरू किया कि कुछ लोग गिरोह बनाकर बोरे में कारतूस भर कर घूम रहे हैं।

यह एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। मान्यवर, 23 तारीख को गुरवालिया पोलिंग स्टेशन के दोनों तरफ से गोलियां चलीं। एक संजय मंच के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे जो गोली से मारे गये। इसके साथ ही मान्यवर, कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता पुलिस को मार्गदर्शन देकर पुनः खड़े रहे। वहां साजिश हो रही है। मान्यवर, वहां सब कहते हैं साजिश हो रही है। मान्यवर, वहां श्री भास्कर पाण्डे जिनके पास बन्दूक थी उनकी बन्दूक ले ली गई और उनके बूढ़े पिता जिनका दोष सिर्फ इतना था कि बन्दूक का लाइसेंस उनके नाम था उन्हें रस्से से बांधकर पहुंचाया गया। लेकिन विधायक पुलिस को संरक्षण दिए हुए हैं। उसके बाद मान्यवर, कांग्रेस (आई) के नेता और पूर्वांचल के कुख्यात लोग श्री हरी शंकर द्वारा जो अस्त्रों शस्त्रों से लैस गाड़ियां चला रहे थे कई लोगों की हत्या हो गई और कई घायल हो गये। उधर से मान्यवर, माननीय बच्चा पाठक, सहकारिता मंत्री आ रहे थे उनसे मैंने कहा लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उसके ठीक दो घंटे बाद मुगलपुरा में हम लोगों के देखते-देखते उन गाड़ियों से गोली निकलती है और 19 वर्ष का सुक्खन लाल शहीद हो जाता है। उसके साथ और भी घायल होते हैं मैं उसको अपनी गाड़ी पर ले लेता हूं मान्यवर, मैं उसे लेकर फाजिलनगर आता हूं, वहां मुझे पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान दावत खा रहे हैं। 19 साल का नौजवान मारा गया और सरकार ने केवल 5 हजार रुपये देने की बात कही। उसकी वृद्धा माता है, पिता नहीं है, 19 तारीख को उसका गौना था। उसे पांच हजार रुपये दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या उसका सुहाग वापस आ सकता है। मान्यवर, वोट लेने के लिए इन्होंने गोली चलाई है। उसकी 62 वर्षीय वृद्धा की गोरखपुर मेडिकल कालेज में टांग काटी गयी।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक सुना है कि सरकारी पक्ष के लोग चन्दा चाहते हैं चुनाव के लिये। लेकिन अब मंत्री लोग चुनाव के लिए चन्दा वसूल कर घर ले जाते हैं। यह मैंने पहली बार ही सुना है। इस भ्रष्ट मंत्रि-

मण्डल को नहीं चलना चाहिये। चुनाव के दिन मंत्रियों की साजिश से यह सब हुआ है। इनके एक विधायक की साजिश से 3 निरपराध लोगों की हत्या हुई है। इसलिये इस विषय पर भी यदि आप चर्चा नहीं करायेंगे तो इससे अधिक महत्वपूर्ण विषय और क्या हो सकता है? आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी के आचरण से त्रस्त है। क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही चुनाव होगा, यह प्रश्न उठता है। मान्यवर, आप इस पर चर्चा करावें। मन्त्री जी बैठे हैं। इनके एक विधायक के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 है, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दारुलशफा में छिपे हैं। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उनको गिरफ्तार करे। मान्यवर, आप इस पर चर्चा नहीं करायेंगे और हम अपने कर्तव्यों से च्युत होंगे। इसलिए मान्यवर, आप इस पर चर्चा करावें।

(सहकारिता राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

(श्री कुबेर भण्डारी "यह गोली चलवाते हैं" का नारा लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आये।)

(व्यवधान)

(श्री किरन पाल सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री विश्वनाथ भी खड़े होकर बोलने लगे)

(श्री कुबेर भंडारी ने सदन के फ्लोर पर खड़े हुए कहा कि यदि श्री बच्चा पाठक को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह सदन नहीं चलेगा)

श्री अध्यक्ष–

श्री कुबेर भण्डारी अपने स्थान पर जायें अथवा सदन छोड़ें। सब लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठें।

(नेता विरोधी दल के आग्रह पर श्री कुबेर भण्डारी व अन्य सदस्य अपनी सीट पर वापस चले गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य का नाम यहां पर लिया गया है, क्या उनको नियमों के अनुसार अधिकार है कि वे अपनी सफाई दे सकें ?

श्री मोहन सिंह–

बिल्कुल है।

श्री बच्चा पाठक–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य मोहन सिंह ने अभी अपने वक्तव्य में मेरा नाम लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बातें माननीय श्री मोहन सिंह जी ने कही हैं, वे बिलकुल गलत हैं। जिन तथ्यों की तरफ श्री मोहन सिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया है, यदि उनमें दम है तो वह इसे सिद्ध कर दें। जिस दल की वह बात कर रहे हैं, उसके पीछे मैं नहीं था बल्कि स्वयं मोहन सिंह जी थे।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, इस बात की जांच होनी चाहिये ।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, जिस प्रकार एटा में चुनाव के दौरान लोकदल के लोगों ने प्रदर्शन किया और जिस प्रकार के अस्त्रों का उन्होंने वहां पर प्रयोग किया, उसी को यह लोग बता रहे हैं । यदि माननीय श्री मोहन सिंह जी इस बात को साबित कर दें तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं, अन्यथा श्री मोहन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय श्री मोहन सिंह जी ने कहा कि इनका हाथ था और माननीय श्री बच्चा पाठक कहते हैं कि मेरा हाथ नहीं था बल्कि माननीय श्री मोहन सिंह जी का हाथ था । इस बात की वह चुनौती दे रहे हैं । इसलिये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज की इन्क्वायरी करा ली जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे नियम 56 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जिसमें से मैंने सर्वश्री सरदार सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त, भीखा लाल, कुंवर सिंह नेगी और श्री मोहन सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । माननीय श्री राम स्वरूप निम की सूचना को सरकार का ध्यान आकर्षित करने तथा जांच इत्यादि के लिये भेजा है । माननीय श्री किरनपाल सिंह जी की सूचना को सरकार का ध्यान आकर्षित करने तथा जांच के लिये कहा है कि इस पर इमीडिएटली जांच होनी चाहिये । बाकी को मैंने अस्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राना तथा श्री बदन सिंह हाउस की फ्लोर पर आकर चिल्लाने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर चले जायं । मैं इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवा दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, मुझे दो मिनट सुन लें, मुझे मौका दे दें । मेरा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा की बलात्कार की घटना वाला विषय, जो हमने दिया है, मान्यवर, उस पर दो मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप लोग अपनी-अपनी जगह जाकर बैठें ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मौका दे दें ।

मान्यवर, उस घटना से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं ऐसी किसी बात को नहीं सुनूंगा । आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठें ।

मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है । आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायं ।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, अगर आप उसको वक्तव्य के लिये नहीं स्वीकार कर सकते हैं, तो चर्चा के लिये ही स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायं।

(श्री विजय सिंह राना व श्री बदन सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह के प्रयास से अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, बुलन्दशहर वाले मामले में तो सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने शासन का ध्यान आकर्षित तो कर ही दिया है। मैं किरनपाल सिंह जी को मौका दूंगा। अगर उससे मैं संतुष्ट हो गया तो सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश वाली बात भी देख ली जायेगी।

श्री बदन सिंह–

[× X ×]

श्री अध्यक्ष–

बिना मेरी आज्ञा के जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनकी बात नहीं लिखी जायेगी। मैंने श्री जगदीप सिंह बरार जी को बुला लिया है। आप लोग बैठें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कार्यसूची में दो सदस्यों के नाम छपे होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

नोटः–[×X×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री अध्यक्ष–

अब आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

*श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज की जो कार्य-सूची आई है, उसके 13वें क्रम पर आप देखें । हो सकता है मान्यवर, मुझे जो कापी उपलब्ध हुई है, वह गलत हो और श्रीमन्, आपको दूसरी कापी दी गयी हो । इसमें यह छपा है–श्री सोमांश प्रकाश निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा श्री सुरेन्द्र कपिल इसका समर्थन करेंगे अथवा श्री जयदीप सिंह बरार निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और सर्वश्री कैलाश चन्द्र यादव इसका समर्थन करेंगे:–

"यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 13 फरवरी, 1984 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।" इसमें आगे लिखा है प्रस्ताव में प्राप्त संशोधनों के लिये देखिये नत्थी (घ) ।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली जो है, उसके अध्याय 5 में देखें–इसमें दिया है विधान मण्डल के दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा–इसमें क्रम 3 में दिया हुआ है कि अध्यक्ष, सदन-नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा।

परन्तु कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये नियत होते हुए भी, उस दिन सदन में अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ होने या जारी होने के पूर्व अन्य औपचारिक कार्य किया जा सकेगा । इसमें आगे व्याख्या में दिया है व्याख्या––विधेयक के पुरःस्थापन का प्रस्ताव औपचारिक कार्य है। अब इसमें 4 में देखेंगे–दिया हुआ है (4) इस प्रकार नियत दिन या दिनों में सदन एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिये स्वतन्त्र होगा ।

मान्यवर, जो यह कार्य-सूची के क्रम 13 पर छपा है, श्रीमन्, आपको मालूम है कि श्रीमन् को आज कितनी परेशानी हुई है । शासक पक्ष के माननीय सदस्यों को चुप कराने में ।

कई बार श्रीमन् ने देखा कि हमारी बहस से ज्यादा शोर शासक दल की लांबी से आ रहा है। वहां पर कुछ चल रहा है। किस तरह की आग सुलग रही है, यह तो वही जानें । अखबार वालों का कहना है कि कभी 100 टूट रहे हैं कभी 200 टूट रहे हैं । इसमें दिया हुआ है कि सोमांश प्रकाश जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा सुरेन्द्र कपिल इसका समर्थन करेंगे अथवा श्री जयदीप सिंह बरार प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे एवं श्री कैलाश चन्द्र इसका समर्थन करेंगे । यह नियम कहता है कि एक माननीय सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और दूसरे इसका समर्थन करेंगे । पार्लियामेण्टरी हिस्टरी में यह पहला मौका होगा जबकि राज्यपाल महोदय के भाषण पर अथवा राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये दो-दो व्यक्तियों का नाम पेश किया गया हो । ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि इनकी पार्टी में फूट है, टूटी हुई पार्टी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार दो-दो व्यक्तियों के नाम दिये जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय नौटियाल साहब की बात को सुनी। जहां तक एजेण्डे का सम्बन्ध है, मैंने भी उसको देखा था । इसी प्रक्रिया का अनुसरण 9 मार्च, 1979 की कार्य-सूची के सम्बन्ध में भी किया गया था । यह नियम विरुद्ध नहीं है । इसमें लिखा हुआ है कि श्री सत्यदेव त्रिपाठी निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा श्री मुख्तार अनीस इसका समर्थन करेंगे अथवा श्री शम्भूनाथ चौधरी निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे एवं श्री बनारसी दास चांदना इसका समर्थन करेंगे । इस प्रकार से एक बार यह हो चुका है। इसलिये माननीय नौटियाल जी ने जो तथ्य रखे हैं, उसमें बल नहीं है और मैं उसको अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

(श्री जयदीप सिंह बरार का नाम पुकारे जाने पर) :

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें अब हम एजेण्डा में बहुत आगे बढ़ गये हैं, मैंने श्री बरार को बुला लिया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 13 फरवरी, 1984 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, मुझे भी एक मौका दीजिये, मुझे आप बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

आगे मौका दिया जायगा, आप बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री सन्त बख्श रावत–

नहीं मान्यवर, आप मुझे बोलने का मौका दीजिये, मैं एक हरिजन हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी, जैसा कि मा0 राम स्वरूप निम, सन्त बख्श रावत व अन्य नेतागण जो छुट्टी के विषय में कह रहे हैं, उस पर आप विचार कर लें।

श्री ऊदल–

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक पुरानी बात को या यह कहिए कि एक गलती को आपने पढ़ दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कभी कोई गलती किसी से हो गयी हो और उस पर किसी ने कोई बात न उठाई हो, आपत्ति न की हो तो यह मतलब नहीं है कि वह एक प्रिसिडेंस बन जाए, रूलिंग हो जाए।

डा0 बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, जब आपने एक मामले पर अपनी रूलिंग दे दी तो उस पर कोई टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है, तो यह कैसे कर रहे हैं ?

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपकी रूलिंग पर कोई बात नहीं कह रहा हूं केवल मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कभी भूल से कोई बात हो गयी हो तो उसे फिर दोहराना नहीं चाहिए और उसे प्रेसिडेंस परम्परा और रूलिंग नहीं बनाना चाहिए इसलिए निवेदन है कि इस पर पुनः विचार कर लें ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई बात फिर न उत्पन्न हो।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस बात को देख लूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उसमें बहुत ही स्पष्ट दिशा-निर्देश है और अपने इस प्रदेश में एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार और समानता का पूरा मौका मिले।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं वक्तव्य के लिए, जिसमें से श्री भीखा लाल की स्वीकार की गयी है जो प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों को प्रोन्नति न दिये जाने के सम्बन्ध में है स्वीकार की है बाकी सब अस्वीकार हुईं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, हमारा प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़े इसके लिए समस्त प्रयास किये जा रहे हैं और जब हम अपनी उपलब्धियों को देखते हैं तो विश्वास हो जाता है कि हमारी सरकार अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है और

साथ ही उसका यह भी प्रयास है कि अगर कोई प्रदेश की प्रगति की राह में अड़चन बनेगा तो हमारी सरकार अपने कानून के मजबूत हाथों से बहुत जल्द उसे हटा देगी ताकि प्रदेश आगे बढ़ता रहे । महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है प्रदेश की पिछड़ी हुई जनता, निर्बल जनता और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए वह मात्र अभिभाषण ही नहीं है बल्कि एक ऐसी आशा की किरन है जो----

श्री अध्यक्ष–

आप अपना यह भाषण कल भी जारी रखेंगे ।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1983-84 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और परसों 11.00 बजे प्रातः फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 02 मिनट पर शुक्रवार, 17 फरवरी, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
15 फरवरी, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 186 पर)

		विवरण
1—ग्रामों का विद्युतीकरण	संख्या—1244	विद्युतीकृत हो गये हैं।
2—लघु सिंचाई की नहरें	संख्या—52	कार्य प्रगति पर है।
3—विद्यालय—		
(क) प्राइमरी स्कूल	संख्या—231	खुल गये हैं।
(ख) जूनियर हाई स्कूल	संख्या—80	खुल गये हैं।
(ग) हाई स्कूल	संख्या—38	खुल गये हैं।
(घ) इण्टर कालेज	संख्या—30	खुल गये हैं।
4—मार्गों की संख्या	संख्या—260 कि0मी0 1548	कार्य प्रगति पर हैं
5—चिकित्सालय—		
(क) एलोपैथिक	संख्या—110	खुल गये हैं।
(ख) आयुर्वेदिक	संख्या—27	खुल गये हैं।
(ग) होम्योपैथिक	संख्या—10	खुल गये हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थियां

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 187 पर)

क्रम-सं0	ठेकेदार का नाम	30-12-82 को अवशेष भुगतान	1-9-83 को अवशेष भुगतान
1	2	3	4
1	श्री बैरिस्टर सिंह	17041.00	6203.00
2	श्री तेज प्रताप सिंह	16489.00	7823.00
3	श्री अनिल कुमार सिंह	15571.00	7401.00
4	श्री चन्द्र शेखर पाण्डेय	1243.00	1243.00
5	श्री चन्द्र शेखर पाण्डेय	832.00	..
6	श्री चन्द्र शेखर पाण्डेय	1195.00	1195.00
7	श्री राम निहोरा पाण्डेय	1199.00	1199.00
8	श्री मो0 इकबाल	8181.00	8181.00
9	श्री हजरत अली	16741.00	8371.00
10	श्री हरिशंकर पाण्डेय	14259.00	..
11	श्री शिवनाथ	15248.00	2614.00
12	श्री वीरेन्द्र कुमार	16309.00	6309.00
13	श्री प्रमोदशाही	16671.00	6671.00
14	श्री रवीन्द्र सिंह	6742.00	..
15	श्री नन्द लाल	6747.00	..
16	श्री वीरेन्द्र सिंह	6616.00	..
17	श्री रविन्द्र सिंह	3880.00	..
18	श्री दुब्बर	12549.00	..
19	श्री डी0 एन0 सिंह	13537.00	..
20	श्री वी0 वी0 शाही	12001.00	..
		203051.00	57210.00

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 190 पर)

विधान सभा क्षेत्र, बाँदा के अन्तर्गत वितरित आर्थिक सहायता का विवरण

वर्ष	क्रमाँक	उद्यमी का नाम व पता	उद्योग का नाम	प्रदत्त आर्थिक सहायता—ऋण
				रु0
80–81	1	सर्वश्री रामप्रसाद पुत्र लक्षिमन खाईदार	चर्मकला	2,250
	2	मूल्लू पुत्र श्री मुन्नी लाल, खाईपार	,,	2,250
	3	बृजलाल पुत्र श्री मुन्नूलाल, खाईदार	,,	2,250
	4	भगवान दास पुत्र श्री छुन्नीलाल	,,	2,250
	5	गुरुवरण पुत्र नन्नू	,,	2,250
	6	एस0वाई0 खान, पुत्र अब्दुल मो0 गुलरनाका।	,,	2,250
	7	नसीम अहमद पुत्र कुतुबअली खाईपार	,,	1,67,000
	8	बाबू खां पुत्र श्री गफूर बक्स, खाईपार	कुम्हारी	5,000
81–82	1	श्रीमती पद्मा सिंह पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद, कटरा।	अ0दा0प्र0	4,000
	2	श्री अजमतुल्ला पुत्र श्री फरहतुल्ला, छिपटहरी।	,,	4,000
	3	शलैन्द्र सागर साहू पुत्र श्री भैयादीन, जेल रोड।	,,	1,500
	4	श्री पन्ना लाल पुत्र श्री काशी प्रसाद, छोटी बाजार।	का0लौ0	6,000
	5	करमचन्द्र पुत्र श्री परशुराम, बंगालीपुरा	,,	15,000
	6	बुन्देलखण्ड ग्राम मण्डल गूजरनाका	गोद	20,000
	7	बशीर अहमद पुत्र श्री एवज बक्स, छावनी।	चर्मकला	2,250
	8	रमजान अली पुत्र श्री शमीम, गूजर नाका	,,	2,250
	9	श्रीमती श्यामा सेठ पत्नी श्री इन्द्रचन्द्र, कैलाशपुरी।	चूना	1,500
	10	चुनवार पुत्र श्री जानकी, नोनिया मोहाल।	कुम्हारी	2,455
	11	मी0 पुष्पा-गुप्ता पुत्री श्री श्यामा कुमार, चौक।	,,	2,775
	12	श्री कालीचरन पुत्र श्री राम भरोसे, रामलीला मैदान।	,,	2,775
	13	श्री बड़े प्रजापति पुत्र श्री दशरथ, खाईपार	,,	2,455
	14	श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद, सेदू तलैया।	,,	2,455
	15	देवीदीन पुत्र श्री चुन्नीलाल, अलीगंज	,,	10,000

वर्ष	क्रमांक	उद्यमी का नाम	उद्योग का नाम	प्रदत्त आर्थिक सहायता-ऋण
				रु0
	16	श्री लक्षिमन पुत्र श्री नन्हा, खाईपार	कुम्हारी	10,000
	17	श्री आदर्श काष्ठ एवं लौ0औ0उ0स0स0लि0, लड़का पुरवा।	,,	30,000
82–83	1	श्री बाबू लाल पुत्र श्री लोटन, रगईपार		10,000
	2	श्री राम आसरे पुत्र श्री चुनुवाद रगईपार	,,	10,000
	3	श्री बुधावा पुत्र श्री गुडिया, रगईपार	,,	5,000
	4	श्री साधु प्रसाद पुत्र श्री महादेव,अलीगंज	,,	10,000
	5	श्री सरजू प्रसादपुत्र श्री खुवा, रंगईपार	कुम्हारी	5,000
	6	श्री गिरधर गोपाल पुत्र श्री शिवनारायण कटरा।	,,	5,000
	7	श्री होरी लाल पुत्र श्री मदवा, तुन्देआरा	,,	5,000
	8	श्री राम चरन पुत्र श्री भागीरथ, अस्पताल रोड।	,,	5,000
	9	श्री श्याम लाल पुत्र श्री जियालाल, नोनिया।	,,	2,462
	10	श्री रामदेव पुत्र श्री रामकृपाल महोखर	चर्मकला	2,250
	11	श्री बच्ची लाल पुत्र श्री चूनू महोखर	,,	2,250
	12	मो0 याकूब अब्दुल खालिक, छावनीपार	,,	2,250
	13	श्यामलाल पुत्र श्री नगुआ, खाइपार	,,	2,250
	14	श्री जगदो पुत्र श्री सुमेश महोवरा	,,	2,250
	15	श्री राम औतार पुत्र श्री भैयादीन परशु-राम तालाब।	,,	3,750
	16	श्री मंहगू पुत्र श्री बैकन परशुराम तालाब।	,,	3,750
	17	श्री समग्र ग्रामो0 समिति बाँदा	गोद	20,000
	18	श्री सर्वोदय ग्रामो0 संस्थान, गूजरनाका	,,	20,000
	19	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ, छोटी बाजार।	अ0दा0प्र0	750
	20	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद कटरा बक्श।	,,	9,000
	21	श्री भगवानदीन पुत्र श्री भिखारी लाल, केवटरा।	रेशा	775
	22	बांदा ग्रामीण डेवलपमेंट सो0 कोतवाली रोड।	कागज	40,000
	23	बुन्देलखण्ड मानव सुधार संस्था छावनी	माचिस	57,000

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 212 पर)

विकलांग व्यक्तियों की सूची

1—बिन्दो देवी उपाध्याय, इमामगंज, मिर्जापुर।

2—श्री लल्लू राम पुत्र श्री जेठराम, ग्राम डंगेहर, डा0 सदर, मिर्जापुर।

3—कु0 मुरली पुत्री स्व0 श्री बैजनाथ, ग्राम वीडर, डा0 रजखड़, मिर्जापुर।

4—कु0 छाया रानी श्रीवास्तव, कक्षा 12 राजकीय महिला इण्टर कालेज, चुनार, मिर्जापुर।

5—श्री सुरेश चन्द्र, विद्युत् प्रथम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर।

6—बमभोला, फिटर द्वितीय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर।

7—राम सजीवन बिन्दू, बी0 ए0 1, गोवर्द्धन दास विनानी डिग्री कालेज, मिर्जापुर।

8—दल सिंगार राम, कक्षा 8, जयहिन्द विद्या मंदिर इण्टर कालेज, अहिरौरा, मिर्जापुर।

9—दिलीप चन्द्र पटेल, कक्षा 7, सर्वोदय इण्टर कालेज, अथवार, मिर्जापुर।

10—रमाकान्त, कक्षा 7, बापू उपरौध इण्टर कालेज, लालगंज, मिर्जापुर।

11—समसुलहक कक्षा 7, बापू उपरौध इण्टर कालेज लालगंज, मिर्जापुर।

12—माधुरी चौरसिया, बी0 ए0 द्वितीय वर्ष, कमला माहेश्वरी डिग्री कालेज, मिर्जापुर।

13—आनन्द राज सिंह, कक्षा 11, ए0 एस0 जे0 इण्टर कालेज, मिर्जापुर।

14—रवीन्द्र नाथ ओझा, कक्षा 11, ए0 एस0 ज0 इण्टर कालेज, मिर्जापुर।

15—गंगाधार, बी0 ए0 प्रथम, गोवर्द्धनदास बिन्नानी महाविद्यालय, मिर्जापुर।

16—भोलानाथ उर्फ जायेन्दर सिंह, बी0ए0, के0 वी0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मिर्जापुर।

17—राम नरेश, कक्षा 5, स्व0 रामतीर्थ, के0 वी0 पाठशाला, नगरपालिका।

18—शमशुलहक, कक्षा 8, बापू उपरोध इण्टर कालेज, लालगंज, मिर्जापुर।

19—रमाकान्त शुक्ला, कक्षा 8, बापू उपरोध इण्टर कालेज, लालगंज, मिर्जापुर।

20—ओम प्रकाश पाण्डेय, प्राइमरी पाठशाला, खण्डुरौल, नारायणपुर, मिर्जापुर।

21—हरिवंश सिंह, कक्षा 11, जनता जनार्दन इण्टर कालेज, भुडभुड, मिर्जापुर।

22—नखिल बेगम अंसारी, कक्षा 10, ए0 एस0 जे0 इण्टर कालेज, मिर्जापुर।

23—श्याम कुमारी यादव कक्षा 11, सुन्दर मुन्दर नगरपालिका इण्टर कालेज, मिर्जापुर।

24—बमभोला, बी0 ए0 प्रथम, गोवर्द्धन दास विन्नानी महाविद्यालय, मिर्जापुर।

25—भोलानाथ, बी0 ए0 प्रथम, गोवर्धन दास बिन्नानी महाविद्यालय, मिर्जापुर।

26—राम सजीवन, बी0 ए0 प्रथम, गोवर्द्धन दास महाविद्यालय, मिर्जापुर।

27—मटरू सिंह, बी0 ए0 प्रथम गोवर्द्धन दास बिन्नानी महाविद्यालय, मिर्जापुर।

28—अवधेश कुमार त्रिपाठी, एम0 ए0 प्रथम वर्ष, के0 वे0 डिग्री कालेज, मिर्जापुर।

29—अरुण कुमार मिश्रा, कक्षा 11, बापू उपरोध इण्टर कालेज, लालगंज, मिर्जापुर।

30—तालुकेदार दुबे, डिप्लोमा राजकीय पालीटेकनिक, मिर्जापुर।

31—विजय बहादुर सिंह, जय हिन्द विद्या मंदिर इण्टर कालेज, अहिरौरा।

32—सरद धर दुबे, कक्षा 12, राजस्थान इण्टर कालेज, मिर्जापुर।

33—माल्ती देवी, कक्षा 11, सर्वोदय इण्टर कालेज, अधवार, मिर्जापुर।

34—अवधेश कुमार गुप्ता, कक्षा 9, श्री माता प्रसाद माता भीख इण्टर कालेज, मिर्जापुर।

35—आनन्द राज सिंह, कक्षा 12, ए0 एस0 जे0 इण्टर कालेज, मिर्जापुर।

36—कु0 पार्वती त्रिपाठी, एम0 ए0 प्रथम, के0 बी0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मिर्जापुर।

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 96 का उत्तर पीछे पृष्ठ 214 पर)

वर्ष 1981–82 में निलम्बित किये गए आबकारी निरीक्षकों की सूची

क्र0 सं0 कर्मचारी का पदनाम	निलंबन आदेश का विवरण	आरोपों का प्रकार	कहां नियुक्त थे	आरोप पत्र जारी करने की तिथि संख्या	अन्य विवरण
सर्वश्री:—					
1–डी0 के0 सोती आ0 नि0	आदेश सं0 735 9–7–81	जोशीमठ चमोली के अपने नियुक्ति काल में दिनांक 27–4–79 को ग्राम बनखरा (कक सभाई) में एक श्री सोहन सिंह को धारा 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार करना तथा बाद में वहां पर 200 उत्कोच लेकर छोड़ने की शिकायत।	आ0 नि0 क्षेत्र जोशीमठ चमोली	सं0 2348 दिनांक 17–10–81	पुनर्स्थापित हो चुके हैं जांच चल रही है।
2–परम सिंह बघेल आ0 नि0	सं0 3892 दि0 9-12-81	नानपारा बहराईच में रोड चेकिंग के समय एक श्री चन्द्र भान रावत के साथ अमानवीय व्यवहार तथा उससे 220 रु0 हड़प लेने के कथित अपराध के कारण।	आ0 नि0 नानपारा बहराईच	सं0 4715 दि0 6–2–82	पुनर्स्थापित जांच समाप्त हो गई।
3–एस0 के0 बबेरिया आ0 नि0	सं0 246 दि0 19–11–81	बंधित आबकारी गोदाम संडीला, हरदोई में गोदाम से 2308.8 अ0 लि0 शराब तथा 120 कि0 ग्रा0 भांग का गायब होना तथा नियमित कार्यभार ग्रहण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही न करना।	क्षेत्र–3 संडीला हरदोई	सं0 2852	जांच समाप्त हो गई है। पुनःस्थापित कर दिये गये हैं।
4–ब्रजमोहन आ0 नि0	सं0 243 पी0 ए0 दि0 30-9-81	उपरोक्तानुसार	उपरोक्त	आरोप पत्र जारी हो गया है।	पुनर्स्थापित कर दिये गये हैं। जांच चल रही है।

1	2	3	4	5	6	7
5–उमेश चन्द्र रस्तोगी आ0 नि0	सं0 2302 दि0 19–11–81		क्षेत्र गुरसहायगंज, फर्रुखाबाद की दुकान से दिनांक 28–9–81 को जहरीली शराब पीकर चार व्यक्तियों की मृत्यु।	क्षेत्र–3 फर्रुखाबाद	मैजिस्ट्रीयल जांच	पुनर्स्थापित मजिस्ट्रेटी जांच पूर्ण हो गयी है। जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है।
6–सी0 पी0 सागर आ0 नि0	सं0 197 दि0 7–9–81		दिनांक 31–5–81 को सर्वश्री भारत फार्मा एण्ड केमि0 बंधित फार्मेसी, अलीगढ़ का प्रा0 अधि0 मुख्यालय द्वारा निरीक्षण में 1218.350 ब0 लि0 टिंचर एरोमेटिक का अवधानिक रूप से निर्माण 33.750 बी0 एल0 टिंचर कार्डमय का अधिक निर्माण व 373.6 ए0 एल0 रैक्टीफाईड स्प्रिट का स्टाक में अधिक होना तथा अन्य गंभीर अनियमिततायें।	प्रभारी आ0 नि0 सर्वश्री भारत एण्ड केमि0 बंधित फार्मेसी हाथरस, अलीगढ़।	जारी किया गया	जांच समान्त हो गई मूल चन्द उप आ0 नि0 पद पर कार्यरत है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 235 पर)

प्रेषक,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (प्रगति आश्रम),
बालागंज, लखनऊ ।

पत्रांक 637–43/02/83/शिक्षा–ब, लखनऊ, दिनाँक 17 जुलाई, 1982

विषय—प्रगति आश्रम, हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में इण्टर शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों तथा शिक्षा विभाग के अन्य नियमों को, जो प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था पर लागू होते हैं, लागू करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहना है कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में इन्टर शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों तथा शिक्षा विभाग के अन्य नियमों को, जो प्रत्येक मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था पर लागू होते हैं, के अनुसार कार्यवाही करने के लिए शिक्षा विभाग के जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा अनेकों बार लिखा गया किन्तु इसका न तो कोई प्रभाव हुआ और न ही समस्या का निराकारण हो सका। अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि "अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं की भांति इस विद्यालय पर भी इण्टर शिक्षा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने विनियमों तथा शिक्षा संहिता के प्राविधान लागू हों, तथा संस्था के प्रबन्धतन्त्र का यह दायित्व होगा कि उक्त विनियमों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। यह भी निर्णय लिया गया है कि इसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा भविष्य में इस संस्था को अनुदान तभी स्वीकृत किया जाय जब जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ की यह संस्तुति प्राप्त हो जाय कि संस्था द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस संस्था के बारे में शासन द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय का अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित कराने की कृपा करें अन्यथा आपकी संस्था को अनुदान स्वीकृत करना सम्भव नहीं होगा ।

भवदीय,

आर० चन्द्रा;
निदेशक ।

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 159 का उत्तर पीछे पृष्ठ 244 पर)

जलाशय का नाम	सी0 सी0 ए0 (हेक्टर में)	प्रस्तावित क्षेत्र		सिंचित क्षेत्र (रबी, खरीफ सम्मिलित करते हुये) 1980–81		1981–82		1982–83	
1—बोर जलाशय—									
(क) सिंचाई खण्ड रुद्रपुर (नैनीताल)	5231	11374	(217.4)	11797	(225.5)	12294	(233.3)	12383	(236.7)
(ख) रामपुर-नहर-खंड (रामपुर)	21340	14106	(66.1)	22060	(103.4)	23398	(109.6)	24139	(113.1)
योग	26571	25480		33657		35602		36522	
2—हरिपुरा जलाशय									
(क) सिंचाई खंड रुद्रपुर (नैनीताल)	10782	15051	(139.6)	15078	(139.8)	15624	(144.9)	15727	(145.9)
(ख) रामपुर नहर खंड (रामपुर)	25059	16194	(64.6)	23947	(95.6)	24510	(97.8)	25525	(101.8)
योग	35841	31245		39025		40134		41252	

पी0 एस0 यू0 पी0–एल0 387 एल0 ए0–(683)–1984–813 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा